लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र]
Eleventh Session

[खण्ड 44 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

28 अगस्त, 1970 । 6 भाद्र , 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
39	पंक्ति 6 , `प्रश्न संख्या `4327` के स्थान पर `4331 पढ़िये ।
47	नीचे से पंक्ति 7 , `संख्या एल.टी.4043।70` के स्थान पर `4093।70 `पढ़िये ।
101	नीचे से पंक्ति 4 , प्रश्न संख्या `4469 `के स्थान पर `4459 `पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—23, शुक्रवार, 28 अगस्त, 1970/6 भाद्र, 1892 (शक)
No.—23, Friday, August 28, 1970/Bhadra 6, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCES	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
661. वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Scientific and Technical Personnel	3—6
662. दिल्ली की एक फर्म द्वारा विदेशों में नौकरियों के लिये प्रलोभन देना	Allurement offered by a Delhi firm for securing Jobs in Foreign Countries	6—10
663. त्रिपुरा में मिजो संकरक द्वारा छापा	Mizo Sankrak Raid in Tripura	10—12
669. पाठ्य पुस्तकों में कुछ अंशों के शामिल किये जाने के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन का विरोध	Protest by Delhi Administration against inclusion of certain portions in Text Books	12—15
671. नई दिल्ली स्थित पटेल रोड पर निर्माणाधीन ऊपरी पुल	Overbridge under Construction at Patel Road, New Delhi	15—16
672. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा असैनिक उड्डयन विभाग के कार्य अपने अधीन लेना	Taking over of work from Civil Aviation Department by International Air Port Authority	16—18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
9. कलकत्ता में अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमिटर	Super-power Transmitter in Calcutta	18—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या STARRED QUESTION Nos.		
664. दिल्ली के गुरुद्वारों के प्रबन्ध को नियमित करने के लिये अध्यादेश	Ordinance to Regulate Management of Gurdwaras in Delhi	22
665. कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा सरकारी कार्यालयों पर लाल झंडों का फहराया जाना	Hoisting of Red Flags on Government Offices by Naxalites in Calcutta	22—23
666. पर्यटकों की देख-भाल के लिये पुलिस बल	Police Force for looking after Tourists	23
667. हवाई अड्डों पर अग्निशामकों की व्यवस्था	Provision of Fire Crash Tenders at Airports	23—24
668. विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग	Switch over to Regional Languages Medium by Universities	24—25
670. पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों से होकर जाने वाली नहर में सुधार	Improvement of Canal passing through Coastal Districts of West Bengal and Orissa	25
673. मद्रास तथा पोर्टब्लेयर के बीच जामेर एयरलाइन्स को विमान सेवा की अनुमति देना	Permission to Jamair Airlines to operate between Madras and Port Blair	25
674. व्यक्तियों से भारत दर्शन रेलगाड़ी के लिये लिया गया पैसा हजम करना	Persons deceived of Money paid for Bharat Darshan Train	25—26
675. पालम हवाई अड्डे पर अवांछनीय गतिविधियों में ग्रस्त आप्रवास अधिकारी	Immigration officers indulging in Undesirable Activities at Palam Airport	26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
676.	भारतीय संदर्भ वार्षिकी (इंडियन रेफरेन्स एनुअल) और भारत भौगोलिक विवरण (गजेटियर आफ इंडिया) में भारतीय संघ से सम्बन्धित आंकड़ों में अन्तर	Difference in Figures re : area of Indian Union shown in India Reference Annual and Gazetteer of India	26—27
677.	उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिये विश्वविद्यालयों को एक मुश्त सहायता	Block Grants to Universities for improving Higher Education	27—28
678.	दिल्ली तथा मनीपुर के लिये राज्य के दर्ज के लिये फिर से मांग किया जाना	Renewal of Demands for statehood for Delhi and Manipur	28
679.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित नई दिल्ली में संपर्क कार्यालय	Liaison Office in New Delhi maintained by West Bengal Government	28—29
680.	भारतीय पत्तनों पर जहाजों से माल उतारने में विलम्ब	Delay in Unloading of Ships at Indian Ports	29
681.	पश्चिम बंगाल में प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की कार्यवाहियां	Activities of progressive Muslim League in West Bengal	29
682.	समाचार पत्र कार्यालयों तथा मोटरगाड़ियों पर हमलों को रोकने के उपाय	Measures to stop attacks on News Papers Offices and Vehicles	30
683.	विदेशियों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र	Requests from Foreigners for Employment in Central Universities	30
684.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़तालों पर रोक	Ban on strikes by Central Government Employees	30
685.	पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग	Boundary commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	31
686.	भारत में मुस्लिम लीग का पुनर्गठन	Re-organisation of Muslim League in India	31
687.	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Recommendations of ARC	31—32

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
689. चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में होटलों के निर्माण के लिये दिया गया धन	Funds provided for construction of Hotels during Fourth Plan period	32—33
690. सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन	Promotion of Cultural Tourism	33

अतारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

4321. संग्रहालयों तथा मंदिरों से चुरायी गयी पुरातन वस्तुयें	Antiques stolen from Museum and Temples	33—34
4322. घेराव कानूनी अपराध	Gherao as a Legal Offence	34
4323. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिये विशेष कोटा	Special Quota for Junior Assistants for Promotion to Grade of Section Officer	34—35
4324. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिये विशेष कोटा	Special quota for promotion to the Grade of Section Officer	35
4325. फाजिल्का तहसील का हरियाणा में विलय	Merger of Fazilka Tehsil in Haryana	36
4326. प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार व्यवसायी विमान चालक	Unemployed Commercially Trained Pilot	36—37
4327. आसाम नागालैंड सीमा विवाद	Assam Nagaland Border Dispute	37
4328. जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of spies	37—38
4329. मैसर्स अनिल साइंस आपरेटर्स वर्क्स वर्धा पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारना	Raid on M/s Aneel Science Apparatus Works, Wardha by Enforcement Directorate	38
4330. बंगलौर में विमान चालकों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum presented by Pilots in Bangalore	38—39
4331. पाकिस्तानी आक्रमण के समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक से सहयोग तथा सहायता मांगा जाना	RSS Co-operation and Assistance sought at the time of Pakistani Invasion	39
4332. एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क पास	Free passes for Staff of Air India and Indian Airlines	39—40

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4333. एयरलाइन्स के कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of Airlines Staff	40
4334. दुबाई में पकड़े गये भारत-वासी	Indians arrested in Dubai	40
4335. विभिन्न राज्यों में भूमि हथियाओं आन्दोलन के कारण फसलों और जन जीवन को हुई हानि	Loss to crops and lives as a result of land Grabbing Programmes launched in various States	40—41
4336. देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकि व्यक्तियों की गणना	Census of Scientific and Technical Personnel in the country	41—42
4337. मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या और समान नैतिक संहिता	Strength of Cabinet and Common Moral Code	42—43
4338. श्रीमती गांधी के नाम पर गांव का नाम इन्द्रपुरी रखा जाना	Indirapuri Village names after Shrimati Gandhi	43
4339. विदेशों द्वारा आयोजित दौड़ों में भारतीय जोकियों द्वारा भाग लिये जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Indian Jockeys to participate in Races organised by Foreign countries	43
4340. चतुर्थ ग्रेड सेवा में पदोन्नति के लिये अनुसंधानकर्ताओं की पात्रता	Eligibility of Investigators for promotion to Grade IV Service	43—44
4341. दिल्ली के सिनेमाघरों में राष्ट्र गान	Playing of National Anthem in Delhi Cinemas	44
4342. मासिक बुलेटिन "यात्री" का निकाला जाना	Production of Monthly "Yatri"	44—44
4343. उत्तर प्रदेश तथा बिहार की पार्श्व सड़क परियोजना	Lateral Road Project of Uttar Pradesh and Bihar	45
4344. वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दी गई शिक्षा शास्त्री उपाधि को मान्यता दिया जाना	Recognition to Shiksha Shastri Degree Awarded by Varanasi Sanskrit Vishwavidayalya, New Delhi	45—46

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4345. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित "प्राचीन भारत" पुस्तक में विवादास्पद अंश	Controversial passages in the book "Prachin Bharat" Published by NCERT	46
4346. यूनेस्को में जाने वाले भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi by Indian Delegates to UNESCO	46—47
4347. दिल्ली नगर उपक्रमों के बारे में मोरारका समिति का प्रतिवेदन	Morarka Committee Report on Delhi's Civic Undertakings	47
4248. योग विज्ञान का अध्ययन	Study of Science of Yoga	47
4349. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग के समर्थन में बड़े पैमाने पर आंदोलन के बारे में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उपमुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement by Former Deputy Chief Minister of West Bengal re. Mass Movement Demanding Mid Term Election in West Bengal	47—48
4350. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरों/डाक्टरों के वेतन में विषमता	Disparity in Pay of Senior Government Officers and Engineers/Doctors	48
4351. भारत में हिप्पियों के प्रवेश पर रोक	Ban on Entry of Hippies in India	48—49
4352. आसूचना विभाग के कर्मचारियों को स्थाई बनाना	Confirmation of Employees in Intelligence Bureau	49
4353. आसूचना विभाग में स्टेनोग्राफर की सेवा	Stenographer Service in Intelligence Bureau	49—50
4354. बरढिमों कोयला खान में कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Mine Workers in Burra Dhemo Colliery	50
4355. इंजीनियरों के लिये रोजगार की संभावना	Employment outlook for Engineers	50—51
4356. राजघाट, दिल्ली में गांधी दर्शन प्रदर्शनी	Gandhi Darshan Exhibition at Rajghat, Delhi	51—52

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4357. भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के नियम	Recruitment Rules for IAS and IPS	52
4358. हावड़ा जिले के भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) श्रमिक संघ नेता पर आक्रमण	Attack on C. P. I (M) Trade Union Leader of Howrah District	52—53
4359. पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers in West Bengal	53
4360. केबरे कलाकारों के बारे में आचार संहिता	Code of Conduct re : Cabaret Artistes	53
4361. पश्चिम बंगाल के सर्तकता आयुक्त को भेजे गये भ्रष्टाचार के मामले	Cases of corruption referred to Vigilance Commissioner, West Bengal	54
4362. हावड़ा जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालयों पर हमला	Attack on C.P.I. (M) Offices in Howrah District	54—55
4363. पश्चिम बंगाल में मारे गये और घायल हुये पुलिसमैन	Policemen killed and injured in West Bengal	55
4364. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये नौकरी की सुरक्षा	Job Security for Delhi University Teachers	55
4365. नागदा में खुदाई कार्य	Excavation work at Nagda	56
4366. कलकत्ता के लेक गार्डन डाकघर पर हमला करना	Raid on Lake Garden Post Office in Calcutta	56
4367. शिक्षा पद्धति और विषय में सुधार तथा उसका आधुनिकीकरण	Reform and Modernisation of method and content of Education	56—57
4368. मिजो लोगों की विरोधी कार्यवाहियां	Hostile activities of Mizos	57
4369. फिरोजपुर जिले (पंजाब) में पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Pakistani Spies in Ferozepore District (Punjab)	57—58

अ	अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4	4370. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर दुर्घटनायें	Accidents on National Highway No. 1	58
4:	4371. पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम 1947 के संशोधन के बारे में भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग की सिफारिश	Recommendation of Indian Historical Records Commission re: Amendment of Antiquities (Expert Control) Act, 1947	58—59
43	4372. बीजा लेकर भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का पता न लगना	Untraced Pakistani Nationals entering India on Visas	59
42	4373. अंशशोधन (केलिब्रेशन) कार्य के लिये वायुयानों की खरीद	Purchase of Aircraft for calibration work	59—60
43	4374. इण्डियन एयर लाइन्स का यात्रियों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में असमर्थ होना	In an Airlines not in a position to cope up with increasing demand of passengers	60—61
	4375. नक्सलवादी प्रहारों के संबंध में पश्चिमी बंगाल सरकार की आसूचना रिपोर्टें	Intelligence Reports of West Bengal Government re: Naxalite attacks	61
435	4376. स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी बनाना	Confirmation of Technical Staff of Post Graduate Institute, Chandigarh	61
435	4377. चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति में रेहड़ी वालों को प्रतिनिधित्व देने की मांग	Demand for representation to Rehriwalas on Chandigarh Local Advisory Committee	61—62
4352	4378. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के पुस्तकालय में पुस्तकों का रख रखाव	Maintenance of Books in NCERT Library	62
4353			
4354.	4379. बालकों की पाठ्यपुस्तकों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र सम्मिलित करना	Inclusion of life sketches of eminent Persons in Text Books for children	62—63
4355.			
4356.	4380. दिल्ली में शिक्षा संस्थानों के नामतंत्र से साम्प्रदायिक/धार्मिक नामों का हटाया जाना	Dropping of names of Communities/Religions from nomenclatures of Educational institutions in Delhi	63

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4381. गोखले इंस्ट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकनोमिक्स में आन्तरिक विवाद	Mutual disputes in Gokhale Institute of Politics and Economics	63—64
4382. इलाहाबाद का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करना	Development of Allahabad as Turist Centre	64
4383. नई दिल्ली में पुलिस स्टेशन में खून से लथपथ पाया गया अभियुक्त	Accused found lying in a pool of blood in Police Station in New Delhi	64
4384. इण्डियन एयर लाइन्स के लिये जम्बो जेट विमान	Jumbo jets for Indian Airlines	64—65
4385. हिन्दी अनुवादकों की भर्ती	Recruitment of Hindi Translators	65
4386. शिक्षा मंत्रालय कार्य कर रहे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधिकारी	Officers of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology working in Educational Ministry	65—66
4387. दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का आरक्षित कोटा	Reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts of Post Graduate Teachers in Delhi Administration	66
4388. नई दिल्ली में एक अमरीकी पर्यटक के साथ कथित बलात्कार तथा उसे अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने के बारे में जांच	Enquiry into alleged criminal assault and illegal detention of an American Tourist in New Delhi	66—67
4389. कश्मीर में हुई विचार गोष्ठियां तथा सम्मेलन	Seminars and Conferences held in Kashmir	67
4390. केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्य	Working of Central Road Transport Corporation	67—69
4392. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालिज	Colleges affiliated to Jawaharlal Nehru University	69

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4393. पूर्वी पाकिस्तान की सहायता से मिज़ो विद्रोहियों द्वारा गुमटी पन बिजली परियोजना स्थल पर आक्रमण किया जाना	Attack by Mizo hostiles backed by East Pakistan on Gumti Hydro Electric Project site	69—70
4394. एडमोन्टेन में भारतीय पहलवानों के दल द्वारा भाग लिया जाना	Participation by Indian Wrestling Team at Edmonton	70
4395. भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director, Indian Institute of Public Administration	70—71
4396. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाना	Prosecution of Central Government Employees for participating in strike of 19th September, 1968	71
4397. धोला कुआं तथा राजा गार्डन चौक, नई दिल्ली के बीच रिंग रोड़ पर बिजली लगाना	Electrification of Ring Road between Dhaula Kuan and Raja Garden Chowk, New Delhi	71—72
4398. पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा दलों के सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ	Instructions into Indian territory by Pakistani Border Forces	72—73
4399. केरल की यात्रा करने वाले पर्यटक	Tourists visiting Kerala	73—74
4400. जाली नोट, जाली बी० ए० की डिग्री और जाली पार पत्र बनाने वालों का गिरोह	Racket in forged currency Notes B. A. certificates and passports	74
4401. पालघाट में नक्सलवादियों द्वारा एक भूस्वामी की हत्या	Murder of a landlord by Naxalities in Palghat	74—75
4402. सितम्बर, 1968 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान इन्द्र प्रस्थ भवन में हुई घटनाओं के संबंध में की गई विभागीय जांच पर की गई कार्यवाही	Action taken on findings of Department inquiry into incident at Indraprastha Bhawan, New Delhi during Central Government Employees strike in September, 1968	75

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4403. हिन्दी स्टेनोग्राफरों को केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी सहायक सेवा में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Hindi Stenographers in Central Secretariat Stenographers Service and Hindi Assistants in Central Secretariat Service	75—76
4404. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना	Recognition of Central Government Employees' Union	76
4405. बम्बई और पानागढ़ के बीच जामायर एयरलाइन्स की विमान सेवायें	Jamair Airlines Services between Bombay and Panagarh	77
4406. अमृतसर तथा काबुल के बीच सामान ढोने वाली विमान सेवा	Freight service between Amritsar and Kabul	77
4407. पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप	Allegation against West Bengal Police	77—78
4408. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह को स्वायत्तशासी इकाई का दर्जा किये जाने की मांग	Demand for Autonomous Status for Andaman and Nicobar Islands	78
4409. मद्रास में हुए सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementations of Recommendations made by Whips Conference held in Madras	78
4410. नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाना	Naxalite Hanging Father to Death	78—79
4411. पत्राचार पाठ्यक्रमों के तथा गैर स्कूलों छात्रों के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रसारण केन्द्र की स्थापना	Setting up of Broadcasting Studio in Delhi University Campus for Correspondence Courses and Private Candidates	79
4412. हरिजनों पर प्रहार की घटनायें	Incidents of attacks on Harijans	79—80
4413. भारत के पुराने प्रतिरक्षा नियमों और सुरक्षा अधिनियमों के अधीन उपबन्धों को फिर से लागू करना	Revival of Provisions contained in old Defence of India Rules and Security Act	80

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4414. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) द्वारा माओ के विचारों का प्रचार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee by C.P.I. (ML) to propagate Mao's Thoughts	80
4415. पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा में पाकिस्तानी जासूसों का जाल बिछाना	Setting up of Espionage Ring in Tripura by Pakistan	80—81
4416. त्रिपुरा के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों की अलाभकारी सेवा की शर्तें	Deprecable conditions of service of non-Government college teachers of Tripura	81
4417. असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among employees of Civil Aviation Department	81
4419. प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राज-मार्ग घोषित की गई सड़कें	Roads declared as National Highways in each State	82—83
4420. राजपथों की मरम्मत पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on maintenance of National Highways	83—84
4421. मध्य प्रदेश में सड़कों तथा पुलों का निर्माण	Construction of Roads and Bridges in Madhya Pradesh	84—85
4422. पहाड़ी तथा बसोहली शैली के चित्रों का व्यापार	Trading in Pahari and Basohli Paintings	85—86
4423. दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये तिगुनी लाभकारी योजना के लागू किये जाने की मांग	Demand for Introduction of Triple Benefit scheme for Delhi University Teachers	86
4424. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये विदेशी क्षात्र वृत्ति की अवधि बढ़ाना	Extension of period of Overseas Scholarships to S. C. and S. T.	86—87
4425. भारत सर्वेक्षण विभाग में अनुभाग अधिकारियों का कार्य कर रहे नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन)	Draftsmen discharging duties of Section officers in Survey of India.	87

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4426. अवध के नवाब, टीपू सुल्तान तथा मुगल शासकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन का भुगतान	Payment of pension to successors of Nawab of Avadh, Tipu Sultan and Mughal Rulers	87—88
4427. नाविक संघ (सीमेंस यूनियन) कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र	Charter of Demands given by Seamen's Union, Calcutta	88
4428. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिछात्रवृत्ति का दिया जाना	Fellowship Awards by University Grants Commission	88—89
4429. कलकत्ता के कार्नवालिस स्ट्रीट क्षेत्र में दंगे	Disturbances in Cornwallis Street area of Calcutta	89
4430. दिल्ली में हत्या, लूटमार तथा हिंसात्मक कार्यों के दर्ज किये गये मामले	Cases of Murder, Loot and Violent acts Registered in Delhi	89—90
4431. हिन्दी आफीसरों तथा अन्य आफीसरों के लिये भर्ती के नियम	Recruitment Rules for Hindi Officers and others	90
4432. लुधियाना में महात्मा गांधी की मूर्ति को विकृत करना	Disfiguring the Statute Mahatma Gandh in Ludhiana	90
4433. पुलिस की गोलियों से मारे गये हरिजन तथा अनुसूचित जन जाति के लोग।	Harijans and scheduled tribes people killed in Police firings	90—91
4434. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	Jawaharlal Nehru University	91—92
4435. राज्यों को अधिक अधिकार देने के बारे में मांग	Demand for giving more powers to States	92
4436. राष्ट्रीय एकता परिषद् की राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों पर रिपोर्ट	Report of National integration council on Communal Riots in State	92—93

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4437. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण सुविधाएं देना	Facilities for Migration of students in Regional Engineering college, Durgapur to other Universities	93
4438. मैसूर तथा पड़ोसी क्षेत्रों के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दौरा	Tour sponsored by education Minister to Mysore and neighbouring areas	93—94
4439. बौद्ध यात्रियों के धार्मिक स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना	Provision of facilities at Religious places for Budhist Pilgrims	94—95
4441. राजधानी में छल-कपट के मामलों में वृद्धि	Increase in cases of Cheating in the Capital	95
4442. बहावलपुर का पंजाब में विलय	Merger of Bahawalpur with Punjab	95
4443. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भारतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में पूर्वी निमाड़ जिले के ऐतिहासिक अवशेषों के महत्व को शामिल करना	Inclusion of importance of Historical Remains of East Nimad Distt. in Text Books of Indian History at Higher Secondary level	96
4444. मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़ जिले में खूनी भण्डार का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Khunibhandara in East Nimad District of Madhya Pradesh as Tourist Centre	96
4445. होशंगाबाद तथा पूर्वी निमाड़ जिले में पर्यटन केन्द्रों पर खर्च की गई राशि	Amount spent on Tourist centres Hoshangabad and East Nimad District	96
4446. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on National Highways in Madhya Pradesh	96—97
4447. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर नदियों के पुल	River Bridges of National Highways in Madhya Pradesh	97
4448. 25 जून, 1970 को सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी	Payment of salary to West Bengal Employees who observed Token Strike on 25th June, 1970	97

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4449. कलकत्ता में सरकारी बसों से आय	Earnings from State Buses in Calcutta	98
4450. कलकत्ता संग्रहालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनयमन करने वाले नियम बनाना	Formulation of Rules Governing conditions of Service of Calcutta Museum Employees	98
4451. दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा सुधार के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की मांग	Demand by Delhi University Teachers Association for a time Bound Programme of Reforms	98—99
4452. पश्चिम बंगाल के दो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पाकिस्तान हाई कमीशन से सम्पर्क	Contracts of two IAS officers of West Bengal with Pakistan High Commission	99
4453. निर्माणाधीन नये हवाई अड्डे	New Airports under construction	99
4454. मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में हिन्दी आफीसरों की नियुक्ति	Provision for Hindi officers in each Department of a Ministry	99—100
4455. हिन्दी अधिकारियों तथा अनुवादकों की भर्ती	Recruitment of Hindi Officers and Translators	100
4456. कुंजपुरा के सैनिक स्कूल के छात्रों को मंजूर की गई छात्रवृत्ति	Scholarships granted to boys of Sainik School, Kunjpura	100—101
4457. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण	Transfer of Delhi Municipal Corporation Schools to Delhi Administration	101
4458. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर दिल्ली नगर निगम की बकाया धन की राशि	Amount due to Delhi Municipal Corporation from RSS	101
4459. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध	Requests for Central Assistance from students of Central Universities	101—102
4460 अहिन्दी भाषी राज्यों को उपहार रूप में हिन्दी पुस्तकें देना	Free gifts of Hindi books to non-Hindi speaking States	102

ता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4461. कालिंगा एयर लाइन्स द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले हवाई मार्ग	Routes operated by Kalinga Airlines	102—103
4463. नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित इमारतों में होटल चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Run Hotel in the Building constructed by NDMC	103
4464. रिजर्व पुलिस की संख्या बढ़ाना	Strengthening of Reserve Police	103
4465. मध्य प्रदेश के डाकुओं से ग्रस्त क्षेत्रों में चौथी पंचवर्षीय योजना में सुरक्षात्मक सड़कें बनाने के लिये सहायता	Assistance for construction of Safety Roads in Dacoit infested areas of M.P.	103—104
4466. आसनसोल में एक बैंक में हुई डकैती	Robbery committed in a Bank in Asansol	104
4467. जमानत के लिए एस. डी. ओ. बसीरहाट (पश्चिम बंगाल) को बाध्य किया जाना	SDO Bashrhat (West Bengal) Forced to Grant Bail	104
4468. पश्चिम बंगाल में जनता द्वारा पुलिस अधिकारियों को पीटा जाना	Man Handling of Police Officers in West Bengal	104—105
4469. पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Trouble in 24 Parganas District in West Bengal	105
4470. उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण	Revision of Salaries of Judges of High Courts and Supreme Court	105
4471. रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Temporary Government Employees in Registrar Generals Office	105—106
4472. मिदनापुर जिले के कंटाई सब-डिवीजन की स्थानीय परियोजनायें	Local Projects of Contai Sub-division of Midnapur District	106—107

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4473. जालंधर में जासूसी करते हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	Persons arrested for spying in Jullundur	107
4474. महाराष्ट्र में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड	Selection Grades for Teachers in Maharashtra	107—108
4475. महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना	Improvement of Tourism in Maharashtra State	108
4476. नागपुर हवाई अड्डे के सुधार के लिये व्यापक योजना	Scheme for improvement of Nagpur Aerodrome	109
4477. मिजो तथा त्रिपुरा के विद्रोहियों द्वारा डुम्बूरु हाइडल प्रोजेक्ट हैडवर्क्स पर आक्रमण	Attack on Dumburu Hydel Project Headworks by Mizo and Tripura rebels	109
4478. दिल्ली नगर निगम को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to Delhi Municipal Corporation	109—110
4479. रामाकृष्णमपुरम नई निल्ली में और अधिक उच्चतर माध्यमिक/ प्राथमिक/ नर्सरी स्कूल खोले जाना	Opening of more Higher Secondary, Primary, Nursery Schools in R.K.Puram New Delhi	110
4480. मनीपुर राज्य परिवहन द्वारा मोटर कारों के पुर्जे खरीदना	Purchase of motor parts by Manipur State Transport	111
4481. मनीपुर की क्रान्तिकारी सरकार से सम्बन्ध रखने पर गिरफ्तार किये गये युवक	Arrest of persons having association with Revolutionary Government of Manipur	111—112
4482. मनीपुर में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिये भर्ती नियम	Recruitment Rules for Elementry School Teachers in Manipur	112
4483. मनीपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को तदर्थ मंहगाई भत्ता देना	Grant of Ad-hoc Dearness Allowance to Aided School Teachers of Manipur	112—113
4484. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही	Action taken on recommendations of Annual Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Schedule Tribes	113

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4485. मनीपुर राज्य परिवहन विभाग द्वारा एफ. आर. 56 (6) का लागू किया जाना	Enforcement of F.R. 56 (b) by Manipur State Transport Department	113—114
4486. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स लेनिन) की भारत को युद्ध के बारे में धमकी	C.P.I. (ML)'s warning to India against war	114
4487. दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य शैक्षिक वातावरण लाने के लिये विद्यार्थियों और अध्यापकों में संयुक्त परामर्श	Joint consultation between Students and Teachers to restore normal Academic Atmosphere in Delhi University	114—115
4488. दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पत्रों का हिन्दी में उत्तर दिया जाना	Answering of Question Papers in Hindi by Students of Delhi University	115
4489. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये विधेयक	Bill to Amend Aligarh Muslim University Act	115
4490. मन्दोर (राजस्थान) के निकट आर० ए० सी० तथा सीमा सुरक्षा बल के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centre for RAC and BSF near Mandor (Rajasthan)	115—116
4491. भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा ग्रैंड होटल बम्बई के एक कक्ष को किराये पर लेना	Occupation by Pakistan High Commission in India of a Room in Grand Hotel, Bombay	116
4492. फेल होने वाले वाह्य विद्यार्थियों का दिल्ली विश्वविद्यालय के बी.एस.सी. (आनर्स) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पुनः दाखिला	Re-admission of failed students to 1st Year of B.Sc. (Hon.) course of Delhi University	116—117
4493. 19 सितम्बर, 1968 को कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को इनाम	Awards to Employees who attended office on 19th September, 1968	117

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4494. केन्द्रीय सरकारी सचिवालय में संवर्गों में कमी करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recommendation of ARC for Reduction in Cadres in Central Government Secretariat	117—118
4495. पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों से निपटने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग	Use of CRP for dealing with Naxalites in West Bengal	118
4496. पश्चिम बंगाल में आसूचना विभाग का कार्यकरण	Working of Intelligence Department in West Bengal	118—119
4497. बम्बई के श्री अरबिन्द दीक्षित द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Shri Arvind Dixit of Bombay	119
4498. आंध्र प्रदेश में हरिजनों के मकानों में आग लगाया जाना	Burning of houses of Harijans in Andhra Pradesh	119
4499. गुजरात के कुछ हरिजन परिवारों को बलपूर्वक बाहर निकालना	Forcible ejection of Harijan Families of Gujarat	120
4500. ब्रिटिश सेना द्वारा दंगों को दबाने के लिये नये हथियारों का प्रयोग	Weapons to Quell Riots introduced by British Army	120
4501. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये सहायता	Assistance for propagation of Hindi in non-Hindi Regions	120—121
4502. भारत के प्राचीन इतिहास को बताने वाली पुस्तकों की मांग	Demands for books depicting India's Ancient History	121
4503. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी, लेनिनवादी) का कलकत्ता में विनाश कार्यक्रम का विस्तार	Extension of Annihilation Programme of CPI (MX-ML) to Calcutta	122
4504. भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार	Extension of Bhubaneswar Airport	122
4505. सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में निर्माणाधीन होटल	Hotels under construction in Public and Private sectors	122—123

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4506. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रिक्त पद	Vacant posts in National Museum, New Delhi	123—124
4507. सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों के लिये शराब का खरीदा जाना	Purchanse of Wine for BSF & CRP Jawans	124
4508. दिल्ली के लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश के प्रदर्शन (शो) से आय	Earnings from Sound and Light show at Red Fort, Delhi	124
4509. बड़े पत्तनों की वित्तीय स्थिति	Financial position of Major Ports	124—125
4510. पत्तन प्रशासन में सुधार करना	Improving of Port Administration	125—126
4511. बंगलौर में पांच स्टार होटल की इमारत का निर्माण	Construction of 5 Star Hotel Building at Bangalore	126
4512. केन्द्र से राज्यों को शक्तियां देने के बारे में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य	Statement of Tamil Nadu Chief Minister re. Divesting the Centre of Powers	126
4513. प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदनों की जांच	Scrutiny of Reports of Administrative Reforms commission	126—127
4514. भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना	Scheme to attract Foreign Tourists to India	127—129
4515. विदेशी पत्तनों के लिये भारतीय जहाजों का अधिक बड़ा होना	Indian Ships too big for Foreign Ports	129
4516. न्याय पालिका के ढांचे तथा कार्यपद्धति में परिवर्तनों के बारे में विचार करने हेतु आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission to consider changes in the set up and working of Judiciary	129
4517. सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों को भेजे गये शिष्टमंडल	Delegations sent abroad in the field of social education	129—130
4518. पाकिस्तानी छात्रों को दिये गये वीजे	Visas granted to Pakistan students	130

तारा०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
4519. ईस्टर्न फ्रन्टियर रायफल के कर्मचारियों द्वारा शिवपुर इंजीनियरिंग कालेज (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों पर आक्रमण	Assault by E.F.R. Personnel on employees of Sibpore B.B. College (West Bengal)	130
4520. मध्य प्रदेश के डाकुओं के संकट के बारे में ज्ञापन	Memorandum in regard to Dacoit Manace in Madhya Pradesh	131—134
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथित फूल (भस्म) जापान से भारत लाने के बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णय का समाचार	Reported Government decision to bring ashes supposed to be or Netaji Subbas Chandra Bose from Japan to India	131
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	132
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	133—134
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135—136
गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	136
कार्यवाही सारांश	Minutes	136
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	136
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति नवां प्रतिवेदन	Committee on Government Assurances Ninth Report	136
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1968-69	Demands for Excess Grants (General) 1968-69	137
सभा का कार्य	Business of the House	137—140
उड़ीसा में हरिजनों की हत्या के बारे में वक्तव्य	Statement re. Killing of Harijans in Orissa	140
श्री रामनिवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	141

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक पुरःस्थापित	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill-Introduced	141—142
दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re. Delhi University (Amendment) Ordinance and Delhi University (Amendment) Bill	142—143
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	142
डा० वी०के०आर०वी० राव	Dr. V.K.R.V. Rao	143
पुरःस्थापित किये गये विधेयक	Bills Introduced	143
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 अनुच्छेद 163 का संशोधन (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)	(i) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 163) by Shri Om Prakash Tyagi	143—144
(दो) रेल पटरी की समीपस्थ भूमि का उपयोग विधेयक, 1970 (श्री रघुवीर सिंह शास्त्री का)	(ii) Utilisation of Land Adjoining Railway Track Bill, 1970 by Shri Raghuvir Singh Shastri	144
(तीन) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970 (धारा 488 का संशोधन (श्री रघवीर सिंह शास्त्री का)	(iii) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Section 488) by Shri Raghuvir Singh Shastri	144
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (तृतीय अनुसूची का संशोधन) (श्री शिव चन्द्र झा का)	(iv) The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Third Schedule by Shri Shiva Chandra Jha	144—145
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 74 का संशोधन) (श्री ओम प्रकाश त्यागी का)	(v) Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 74 by Shri Om Prakash Tyagi	145

विषय		Subject	पृष्ठ Pages
(छः) संसद सदस्यों के विधायी प्रस्ताव षिधेयक 1970 (श्री रघुवीर सिंह शास्त्री का)	(vi)	Members of Parliament Legilsative Proposals Bill, 1970 by Shri Raghuvir Singh Shastri	145
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (नये अनुच्छेद 16 क का अन्तः स्थापन) (श्री नाथ पाई का)	(vii)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of new Article 16A) by Shri Nath Pai	146
(आठ) संविधान (संशोधन), विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन) (श्री यशवन्त सिंह कुशवाह का)	(viii)	Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of Artilcle 370) by Shri Yashwant Singh Kushwah	146
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 तथा 332 का संशोधन) (श्री सूरज भान का)	(ix)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 330 and 332) by Shri Suraj Bhan	147
विचार करने का प्रस्ताव		Motion to consider	147
श्री सिद्धया		Shri Siddayya	147—148
श्री आत्म दास		Shri Atam Das	148—149
श्री सोनावने		Shri Sonavane	149—150
श्री शिवचन्द्र झा		Shri Shiva Chandra Jha	150
श्री रा० ढो० भण्डारे		Shri R.D. Bhandare	150—152
श्री एस० कण्डप्पन		Shri S. Kandappan	152—154
श्री दे० अमात		Shri D. Amat	154—155
श्री बसुमतारी		Shri Basumatari	155—156
श्री शिव चण्डिका प्रसाद		Shri Shiv Chandika Prasad	156
श्री शिवचरण लाल		Shri Shiv Charan Lal	157
श्री ओंकार लाल बेरवा		Shri Onkar Lal Berwa	157
श्री रामावतार शास्त्री		Shri Ramavatar Shastri	157

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	158
दिल्ली के बड़े होटलों में भारतीयों के शराब पीने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Indians taking wine in big hotels in Delhi	158—159
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar	159
श्री के० हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya	160

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 28 अगस्त, 1970/6 भाद्र, 1892 (शक)
Friday, August 28, 1970/Bhadra 6, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री के० वी० जीवराज हेगडे के निधन की दुःखद सूचना देनी है । उनका 27 अगस्त, 1970 को मंगलौर में देहान्त हो गया ।

श्री हेगडे वर्ष 1938 से 1945 तक केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे । वह कृषकों के हितों के महान् समर्थक थे और उन्होंने कृषकों से सम्बन्धित कई आन्दोलनों और संगठनों में भाग लिया ।

हम इस मित्र के देहान्त पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में यह सभा भी मेरे साथ है ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : श्रीमान जी आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनके साथ हूँ । श्री हेगडे, भूमि तथा भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों की समस्याओं में भाग लेने तथा अपनी समाज सेवाओं के लिए जाने माने थे ।

मैं आप से निवेदन करती हूँ कृपया हमारी हार्दिक सहानुभूति तथा संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दें ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान जी, मुझे कृषकों के परम मित्र तथा केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य, श्री हेगडे के देहान्त का समाचार सुन कर दुःख हुआ है । उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के दौरान भारतीय कृषि और कृषकों की दशा सुधारने के लिए अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व किया हम इस मित्र के देहांत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं विरोधी दल की

तरफ से आप से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी संवेदना तथा दुःख उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दें।

श्री रंगा : श्रीमान, हम अपने मित्र श्री जीवराज हेगडे के देहांत पर दुःख व्यक्त करते हैं। वह हमें विशेष रूप से प्रिय थे और उन्हीं के आमन्त्रण और पहल के फलस्वरूप हमने 4 जून 1959 को मद्रास में स्वतन्त्र दल की स्थापना की थी। वह कृषकों के हितों के समर्थक थे और यह कार्य उन्होंने कई दशकों तक किया। जब केवल कृषकों पर एक तरफा भूमि की सीमा निर्धारण करने की बात चली, जब कि अन्य सभी की सम्पत्ति और आय आदि को सीमा से मुक्त रखा गया, तो उन्होंने इस के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई और यहां दिल्ली में एक गोष्ठी का आयोजन किया। उस समय मैं और श्री दासप्पा कांग्रेस में थे और हमने कृषकों के साथ इस भेदभाव के विरुद्ध ज़ोरदार आवाज़ उठाकर उनका साथ दिया। इसके बाद उन्होंने स्वर्गीय श्री सरदार बहादुर लाल सिंह के सहयोग से अखिल भारतीय कृषक महासंघ का आयोजन किया और वह एक उच्चकोटि के आयोजक तथा महासचिव सिद्ध हुये। इसके उपरांत उन्होंने स्वतन्त्र दल में भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया। वह हमारे दल की मद्रास शाखा के अध्यक्ष थे। और उन्होंने दोनों आम चुनावों में हमारे दल के चुनाव अभियान का संचालन भी किया। इस के बाद फिर जब कृषि को अनिवार्य रूप से आवश्यक सहयोग सहकारिता के अंतर्गत लाने की बात चली जिससे कि कृषक भूमि-विहीन हो जाते, तो उन्होंने इसके विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के आयोजन में सक्रिय सहायता दी। तत्पश्चात उन्होंने संविधान के 17वें संशोधन के विरुद्ध किसानों की ओर से अपनी आवाज़ उठायी जिसके परिणामस्वरूप उन सब किसानों की ज़मीनें जो निर्धारित सीमा से कम थीं उक्त संशोधन की गिरफ्त से मुक्त हो गयीं।

इस तरह अनेक तरीकों और अन्य विभिन्न उपायों से वह सदा कृषकों के हितों के पक्ष में आवाज उठाते रहे। उन्होंने अपने अपार संसाधनों को कृषकों के हितों के लिए लगा दिया और वर्षों के अथक और अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप वह हाल ही में बीमार पड़ गये और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे उनकी मृत्यु का अत्यंत दुःख है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से भी मेरे प्रिय और निष्ठावान् मित्र थे।

श्री लोबो प्रभु : श्रीमान जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने व्यक्तिगत मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के देहांत पर संवेदना व्यक्त करने का मौका दिया है। मैं उन्हें इतने निकट से जानता था कि आज उनके देहांत से मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मानों मैं लुट गया हूँ। मैं यह तो नहीं कहता कि उनकी मृत्यु अचानक हुई, परन्तु उनकी मृत्यु से पूर्व मैं उनसे मिल भी न सका। श्री रंगा जी पहले ही उनके विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि वह केवल कृषकों के हितों के सशक्त पोषक ही नहीं थे अपितु स्वयं भी एक कृषक थे। उनका अपना एक फार्म था और मुझे संदेह नहीं कि उस फार्म को सफल बनाने के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। मैं मैसूर से भारत के प्रथम कृषक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, sir, I associate myself and my party with the feelings expressed by you and the Leader of the House on the sad demise of Shri Hegde and request you kindly to convey the same to his family.

श्री एस० कन्डप्पन : श्रीमान जी, मैं द्रविड़ मुनेत्र कणगम दल के संसदीय ग्रुप की ओर से अपने आप को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं जो सदन के नेता और विरोधी दल के अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त की गई हैं और मैं आपसे आर्थना करता हूं कि आप हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

श्री योगेन्द्र शर्मा : श्रीमान जी, मैं स्वयं तथा अपने दल को श्री हेगडे के देहांत पर व्यक्त की गई संवेदनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान जी, मैं अपने आप को और अपने दल को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूँ जो आपने और सदन के नेता तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने मेरे पुराने मित्र के प्रति व्यक्त की हैं। मुझे आशा है कि आप हमारे दल की तरफ से हमारी संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा देंगे।

Shri Shiv Chandra Jha : Mr. Speaker, sir, I myself and on behalf of my party pay homage to the departed Member and request you to convey the same to the bereaved family.

श्री बी० कृ० दासचौधरी : श्रीमान जी, मैं अपने तथा अपने संयुक्त स्वतंत्र प्रगतिशील दल को इस सभा में श्री हेगडे के देहांत पर व्यक्त की गई संवेदना से सम्बद्ध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े हो जायें।

इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे

(The Members than stood in silence for a short While)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

*661 **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि गत तीन वर्षों में वैज्ञानिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में वैज्ञानिकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) चौथी योजना में उनकी संख्या कितनी हो जाने का अनुमान है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की संख्या 1967-69 की अवधि में लगभग 2,76,000 बढ़ गई।

(ग) वर्तमान बढ़ौतरी की दर और व्यावसायिक वर्गों के लिए दृष्टिगत स्थूल लक्ष्यों के अनुसार वर्तमान आयोजना अवधि के अंत तक इस संख्या के बढ़कर लगभग 1,52,0000 हो जाने अथवा 5,93,000 बढ़ जाने की आशा है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : कल राज्य सभा में प्रधान मंत्री ने इन वैज्ञानिकों के कार्य की

सराहना की है। परन्तु हमें मालूम है कि एक ओर तो प्रतिभा का पलायन हो रहा है और दूसरी ओर ये लोग बेरोजगार हैं। अतः क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि वह बेरोजगारी को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ? क्या इन वैज्ञानिकों और तकनीकों की बेरोजगारी का प्रमुख कारण यही है कि देश में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से चल रहा है, और सरकार औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि यह धीमी गति पूर्णतः समाप्त हो जाये ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने इतना बड़ा प्रश्न पूछा है कि जो विभाग मेरे पास है उसे देखते हुए प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है। (एक माननीय सदस्य अपना विभाग बदल लीजिये) मैं सम्बद्ध माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करदूं कि यदि मुझे विभाग बदलना हुआ तो उसके लिए उचित व्यक्ति प्रधान मंत्री हैं और मैं उन्हीं से इसके लिए कहूँगा न कि इस सभा से।

श्री नाथ पाई : आप जो कुछ कह रहे हैं उसे प्रधान मंत्री भी सुन रही हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं पुनः अपने शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध प्रश्न पर आता हूँ। हम अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, वह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए हम 'जीनियरिंग और पालेटेक्निक स्नातकों के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा विचार है कि एक वर्ष में 10,000 से 12,000 व्यक्तियों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण दिया गया है। यद्यपि यह समस्या का समाधान नहीं है फिर भी इससे उन लोगों को कुछ व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है जो रोजगार प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने कुछ और भी उपाय किये हैं जैसे कि विनियोजन सम्बन्धी अधिक निशुल्क सेवा, परियोजनाओं की तैयारी आदि का अधिक कार्य और राष्ट्रीयकृत बैंकों को, छोटे उद्योग स्थापित करने वाले व्यवसायों के लिए विशेष सुविधाजनक आर्थिक सहायता उपलब्ध करने के लिए निर्देश आदि देना। अनेक राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि पिछले एक या दो वर्षों में राज्य सरकारों की सहायता से लगभग 500 छोटे उद्योग स्थापित किये गये हैं।

परन्तु फिर भी मैं यह मानता हूँ कि इन सभी उपायों में से कोई भी समस्या का उचित समाधान नहीं कहा जा सकता। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वंय ही कहा है कि बेरोजगारी की समस्या प्रमुख रूप से आर्थिक विकास की दर से सम्बन्धित है और आर्थिक विकास का सम्बन्ध निसन्देह औस्द्योगिक विकास की दर से है। औद्योगिक विकास को बढ़ाया देने के लिए क्या किया जाना चाहिये, यह मेरे विभाग का विषय नहीं है और इसके बारे में इस सभा में कोई सुझाव देना मैं उचित नहीं समझता। परन्तु मैं निश्चय ही अपने सुझाव औद्योगिक विकास के कार्यभारी माननीय साथी सदस्य को भेज दूंगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उसे उत्तर के लिए उससे सम्बद्ध मंत्री को भेज देगें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वह ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो बस यही कहना है कि देश की औद्योगिक उन्नति पर, भारत सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के अपार प्रतिबन्ध लगा रखे है उन्हें कुछ उदार किया जाना चाहिये और 'यदि', 'किन्तु' आदि पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये।

डा० वी० के० रावo की राव : माननीय सदस्य ने केवल अपना मत व्यक्त किया है, मैं उसका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों को चाहे वह श्री बिड़ला के हो या किसी और के अथवा सरकार के उन्हें अपने अनुसंधान और विकास संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करें और निर्देश दें, इससे देश के बहुत से वैज्ञानिकों और तकनीशनों को रोज़गार मिल सकता है । आज देश का कोई भी उद्योग चाहे वह भी बिड़ला का ही क्यों न हो, इस प्रकार के संस्थानों के लिए कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : खर्च कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : अगर वह इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना करें तो क्या इससे बहुत से वैज्ञानिकों और तकनीशनों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता ? क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है तथा वह इसके लिए क्या करना चाहती है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है, परन्तु जहां तक उन्हें इस सम्बन्ध में निर्देश आदि जारी करने का प्रश्न है, इसके बारे में मैंने अभी तक कोई नीति-निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन लोगों को बड़ी संख्या में अनुसंधान और विकास उद्योग में खपाया जा सकता है ? सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ऐसे विषय पर मुझे अपना मत प्रकट करने को कह रहे हैं जिस पर केवल अटकल या अनुमान ही लगाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रा० बरूआ

श्री रा० बरूआ : आज वैज्ञानिकों की संख्या और रोज़गार के अवसरों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है । यह भी एक पहलू है इसके साथ ही एक दूसरा पहलू यह भी है कि प्रतिभा पलायन हो रहा है और भारत के बहुत से प्रमुख वैज्ञानिक रोज़गार के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं । इन प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के लिए भारत में ही रोजगार जुटाने के लिए सरकार उनके लिए क्या कर रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक आपके प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वैज्ञानिकों का पूल बनाया हुआ है । जिन लोगों के पास अपेक्षित योग्यतायें हैं, जो विदेशों में हो आये हैं और जिन्हें अपने देश में कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिली, उन्हें, रजिस्टर में दर्ज करके, छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं—

श्री पीलुमोदी : उन्हें केवल आप बेकारी अनुदान दे रहे हैं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : वह बेकारी अनुदान है या नहीं, यह तो माननीय सदस्य के उस जीवन स्तर पर निर्भर करता है, जिस के वह आदी हैं । जहां तक उन्हें रोज़गार दिलाने

का प्रश्न है हम इन लोगों के नाम केवल रजिस्टर में ही नहीं रखते अपितु उनका नाम सभी भारी नियोजकों को भी भेजा जाता है और उन के रोज़गार के लिए सक्रिय कार्यवाही की जाती है।

श्री लोबो प्रभु : मेरा प्रश्न वैज्ञानिकों और तकनीशनों में से केवल इंजीयनियरों से सम्बन्धित है। यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पास 1 लाख इंजीनियर फालतू हो जायेगें। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वैदेशिक कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग करके कभी इन इंजीनियरों को विकासशील देशों में भेजने की संभावना पर विचार किया है। यह एक सामान्य प्रचलित प्रथा है कि विकसित देशों के युवक विकासशील देशों में भेजे जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोगों को विदेश भेजने का कार्य केवल वैज्ञानिकों तक ही सीमित क्यों रखा जाता है, हम अपने डाक्टरों आदि की तरह इंजीनियरों को विदेश क्यों नहीं भेजते ?

डा० वी० के० आर० वी० राव० : जहां तक आप के प्रश्न के अंतिम भाग का सम्बन्ध है, हमने इंजीनियरों के रोज़गार के लिए विदेश जाने पर कोई प्रतिगन्ध नहीं लगाया है। कई बार बाहर के देशों ने हमारे इंजीनियरों की सेवाओं का प्रयोग किया है। जहां तक इंजीनियरों को विदेश भेजने का प्रश्न है, यह प्रश्न मैं अपने आयात-निर्यात कार्यभारी साथी को भेज दूंगा।

Shri Om Parkash Tayagi : May I know whether the number of enginee ing graduates passing out from the universities has been related to the demand of Planning Commission or not ?

Secondly, when Dr. Trigun Sen was the Education Minister, it was decided that in view of unemployment among the Engineers, the admission to Engineering courses would be reduced by 40 percent, but till now that has not been done. May I know the reesons for that ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : आपके प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में तो मुझे यही कहना है जहां तक इंजीनियरिंग संस्थानों और उनकी नीतियों का सम्बन्ध है, हम योजना आयोग से यह मालूम करके ही उनकी संख्या पता लगाते हैं कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश में और कितने इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। आज तक जितने भी दाखिले हुये हैं वे इन निर्देशों के अनुसार ही हुये हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम ही है कि हमारी आवश्यकता का अनुमान ठीक नहीं निकला। भरे जाने वाले स्थान अनुमान से कम रहे जबकि सप्लाई अनुमान अधिक थी। यही कारण है कि आज हमारे 54,000 इंजीनियर बेकार हैं। सभा को यह जान कर खुशी होगी कि पिछले वर्ष से बेरोजगारी इंजीनियरों की संख्या कम हो रही है और हमें आशा है कि हमारी स्वनियोजन और इंजीनियरों को वैयक्तिक और सहकारी रूप से उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण आदि की सुविधा जुटाने की नीति के फलस्वरूप इस समस्या का समाधान सरल हो जायेगा।

जहां तक दाखिले को घटाने का प्रश्न हैं, उसे हमने कम कर दिया है। आज से दो वर्ष पूर्व की अपेक्षा अब दाखिले में लगभग 30 प्रतिशत कटौती करदी गई है। पालिटैक्निक कालेजों में इंजीनियरी कालिजों की अपेक्षा दाखले की अधिक कटौती करदी गई है।

Allurement offered by a Delhi Firm for securing jobs in Foreign Countries

*662. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan dated the 3rd June, 1970 wherein it has been stated that on a complaint lodged by the Director of Employment Exchange, the Police had registered a case of cheating and forgery against a firm in Connaught Place, New Delhi which used to cheat the people by offering them allurements of securing jobs for them in foreign countries : and

(b) if so, the stage at which the matter stands at present ?

The Minisrer of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) : Government have seen a news item appearing in daily Hindustan of 6th June, 1970 relating to such a case.

(b) : A case under section 420 IPC has been registered at Police Station Parliament Street on 4.6.1970 against the partners of M/s. Foreign Travels and Employment Corporation, Connaught Place, New Delhi. The case is under investigation.

Shri Molahu Prashad : The case was registered on 4th June and it is now almost three months. I would like to know whether the police report has been received and if so, what are its details ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The case is still under police investigation and final report will take some time.

Shri Molahu Prashad : Delhi is having special police which can conduct investigation in a scientific way, but it has not been able to complete its investigation within three months It is only after the complaint of Employment Offices that you came to know about this firm. What was being done by the Intelligence Bureau earlier ? Is the Intelligence Bureau always busy writ political aspects and has no time to enquire into the offences covered by section 420 ? I would like to know why this case was registered only at the instance of Employment Officer ; What was being done by the police earlier ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is a complicated case and is being investigated. First of all the registers etc. of the firm have been seized. A fairly long list of names of a number of persons connected with this firm has been found in the registers.

Shri Molahu Prashad : Then, let me know the names and addresses of the partners against whom cases have been registered.

Shri Ram Niwas Mirdha : These details are not available with me.

Shri Molahu Prashad : Why hon. Minister is replying in such a tone ? When the investigation report is expected ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I cannot say anything with certainty, but the investigation will be completed expeditiously.

श्री क० लक्कप्पा : मैसर्ज फारन ट्रैवलज एण्ड ऐम्प्लायमेंट कारपोरेशन एक जाली फर्म है और इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। हाल ही में मुझे मैसूर से एक तार मिला है। इस कम्पनी ने मैसूर राज्य के एक सुपरवाईजर तथा उसके बहनोई को अमरीका में बहुत अच्छी नौकरियां दिलवाने की पेशकश की थी और यह कम्पनी आवेदन पत्र की जांच कर रही है इसने उनसे 670 रुपये प्राप्त किये हैं। इस फर्म ने मैसूर के इसी व्यक्ति को एक और तार भेजा है जिसमें अमरीका में नौकरी के लिए उसके आवेदन पत्र की जांच के लिए और धन मंगाया गया है। इसी कम्पनी से दूरभाष द्वारा बात करने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि इस कम्पनी का सम्बन्ध वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक वरिष्ट अधिकारी से है और वही अधिकारी इसे चला रहा है और

जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें इस प्रकार नौकरियों का प्रलोभन देकर, धोखा दिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इसकी कोई सूचना है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार फारहन ट्रैवलज एण्ड एम्प्लायमेंट कारपोरेशन कनाट प्लैस, नई दिल्ली के मामलों की पूरी जांच करवायेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यदि माननीय सदस्य, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधिकारी के इस कम्पनी के साथ सम्बन्ध के बारे में कुछ और जानकारी दें तो मैं इसकी जांच करवा सकता हूँ। जहां तक दूसरे आक्षेप का सम्बन्ध है यह ठीक है कि यह कम्पनी समाचार पत्रों मे विज्ञापन देकर विदेशों में अपने भागीदारों के सहयोग से लोगों को नौकरियां दिलाती है और कई बार कम्पनी ने इस काम के लिये लोगों से पैसे भी लिये हैं। अगर उस फर्म ने कोई संज्ञेप अपराध किया होगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : अभी कुछ देर पूर्व जुलाई में जब कि मैं इंगलैंड में था तो वहाँ मैंने लोगों को यह कहते सुना कि कुछ ऐसी यात्रा एजेंट फर्में हैं जो भारतीय नागरिकों को अवैध रूप से नौकरियों के प्रलोभन देकर इस देश में लाकर छोड़ देती हैं। अतः मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे ब्रिटेन के उच्चायुक्त से इस सम्बम्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है तो उन्होंने इसके बारे में क्या जांच की है।

श्री रामनिवास मिर्धा : इस का मूल प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैंने पहले कहा न, कि वह लोगों को नौकरियों का प्रलोभन देकर उन्हें ठगते हैं। श्रीमान जी, मैं इसके बारे में आपके निर्णय की अपेक्षा करता हूँ।

श्री नाथ पाई : यह उसी से संबंधित है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित पूरक प्रश्न नहीं है ? वह लोगों को विदेशों में अच्छी नौकरियों का प्रलोभन देकर उन्हें ठग रहे हैं। यह कोई आम बात तो नहीं है परंतु फिर भी इंगलैंड में यह कार्य काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसीलिये मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार को इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? इस प्रकार के यात्रा ऐजेटों के मामलों की कोई जांच की गई है ? आप स्वयं ही यह निर्णय कीजिये कि क्या यह प्रश्न उसी से सम्बन्धित है या नहीं।

श्री नाथ पाई : यदि यह नहीं तो भला उससे सम्बन्धित और क्या हो सकता है ?

श्री क० लकप्पा : यह बड़ी कम्पनी है और इस कम्पनी के नीचे और बहुत सी कम्पनियां काम करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह चाहे प्रश्न ही हो, परंतु यदि मंत्री महोदय इसका उत्तर न दे सकें तो मैं भला क्या करूं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मूल प्रश्न पर यह पूरक बन ही नहीं सकता। यदि वह समझते हैं कि कोई इस प्रकार का पत्र आया होगा तो उन्हें यह बात वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछनी चाहिये। गृहकार्य मंत्रालय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान दिल्ली की फर्म द्वारा दिये गये विज्ञापनों

की ओर भी गया है जिनमें यह लिखा गया है कि "विदेशों में नौकरी के सुअवसर" और 'ए' ग्रेड नर्सों से आवेदन पत्र मांगे गये हैं। उन्होंने उन्हें हर सम्भव सहायता और पी फार्म देने का आश्वासन दिया है। नन्ज की तरह ही यह भी लड़कियों की जालसाजी का मामला हो सकता है। क्योंकि विज्ञापन केवल नर्सों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह नन्ज की बात को छोड़ कर अब मूल प्रश्न पर आयें।

श्री हेम बरूआ : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वह देश में चल रहे इस षड्यन्त्र से अवगत हैं जिसमें केवल नर्सों को ही आमन्त्रित किया जा रहा है। यदि हां, तो सरकार इस तरह के राकेट, जिनका विशेष सम्बन्ध लड़कियों से ही होता है, को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : जिस कर्तन का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, मुझे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। परन्तु इस तरह के विज्ञापन समाचार पत्रों में आते रहते हैं और सरकार उन पर नजर रखती है।

श्री नाथ पाई : आपको तो इसका पता तब चलता है और आप हमें भी तब ही बताते हैं जब यह "सण्डे टाईम्स" या "लन्दन टाईम्स" में छप जाते हैं।

श्री पीलूमोदी : अब मुझे पुनः विश्वास हो गया है कि वह इस पर कड़ी निगरानी रखे हैं।

श्री हेम बरूआ : क्या मैं विज्ञापन की कार्टन सभा पटल पर रखूं ? यह रही कार्टन।

श्री नाथ पाई : मैं समझता हूँ कि आपने नन्ज की ओर विशेष ध्यान न देने का जो अनुरोध किया है, उसे इन्होंने स्वीकार कर लिया है। परन्तु उसका सम्बन्ध आम औरतों से नहीं है। मेरा नन्ज की समस्या की ओर को ध्यान नहीं। परन्तु मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत की गरीबी से लाभ उठाकर, उसकी औरतों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिये जाते हैं। मुझे मालुम हुआ है कि मध्य-पूर्वी देशों में भारतीय नारियां जा रही हैं। क्या यह सच है ? क्या वह इसे जानते हैं ? क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध भारतीय नारी के सम्मान से है अतः इसका उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा ही दिया जाना चाहिए। हम नारी का सम्मान, केवल एक नारी को प्रधानमंत्री बना कर तो नहीं करने लग जाते.....

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मूल प्रश्न पर आयें।

श्री नाथ पाई : श्री हेम बरूआ ने बहुत ठोस उदाहरण दिया है परन्तु उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

श्री क० लकप्पा : सारे मामले की जांच करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न बहुत सीमित है और उसका सम्बन्ध 'दी हिन्दुस्तान' में छपी एक खबर से है.....

श्री हेम बरूआ : नर्सें भारतीय हैं और एक भारतीय फर्म ही यह जालसाजी कर रही है।

श्री नाथ पाई : मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ कहना चाहती हैं। मैं समझता हूं कि आपको प्रधानमंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति देनी चाहिये। वह तीन बार उठी परन्तु आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी। आप उन्हें अनुमति नहीं दे रहे। क्या यह उचित है ?

श्री चेंगलराया नायडू : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की जालसाजी कम्पनियों से ऐसे बेरोजगार लोगों को बचाने के लिए सरकार अपने विदेशों में स्थित दूतावासों के माध्यम से, अपने तकनीकी तथा अन्य लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार कार्यालय खोलेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस तरह के कोई रोजगार कार्यालय नहीं खोले गये हैं और न ही इन्हें खोलने की मैं कोई आवश्यकता समझता हूं।

Shri Deven Sen : May I know since how long this firm is cheating the public and what its object was ? Do the papers confiscated from this Company throw any light on the countries to which these persons were allowed for jobs ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have already submitted that several papers of this company have been confiscated by the police and they contain names of the persons who gave money to the company. Investigations about some persons have been completed. Some people complaint that they have given money for passport while others say that they gave money for passports, and got the passport as well as joli. Therefore as long as the investigation is not completed, nothing can be said about this company and its associates.

त्रिपुरा में मिजो-संकरक द्वारा छापा

* 663. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य के अमरपुर सब-डिवीजन में तीर्थमुख-नूतन बाजार-जतनवाड़ी क्षेत्र में मिजो-संकरक ने 1 जुलाई, 1970 को छापा मारा था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि छापा-मार लोग सैनिक वर्दी में थे और उनके पास आधुनिक अमरीकी हथियार थे, और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पूर्व-सूचना मिल गई थी ; और यदि हां, तो जनता की ऐसे छापों से रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही की गयी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

2 जुलाई, 1970 को पूर्वी पाकिस्तान से संचालित मिजो देशद्रोहियों ने त्रिपुरा में गुमती बिजली प्रायोजना, टिर्थामुख, नूतन बाजार, जतनबाड़ी और राम भद्रबाड़ी पर साथ साथ आक्रमण किए। उन्होंने चार व्यक्तियों को मार दिया तथा सात व्यक्तियों को घायल किया। छापामार लगभग 35,000 रु० के मूल्य की सम्पत्ति व नकदी ले गये और बिजली प्रायोजना व कुछ गैर-सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुँचाई। छापामार सैनिकों जैसे कपड़े पहने हुए थे और आधुनिक हथियारों से लैस थे। छापे के बारे में कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं थी। बिजली प्रायोजना के लिए और सीमा के साथ सुरक्षा प्रबन्धों को सशक्त कर दिया गया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह आक्रमण कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पूर्व भी इस प्रकार के हमले सैकड़ों बार हो चुके हैं। वास्तविकता तो यह है कि सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद भी यह आक्रमण होते रहे हैं। ऊशासा में परियोजना अधिकारी को आक्रमण की पूर्व सूचना दी गई थी। इसी प्रकार नूतन बाजार पर जो हमला हुआ उस के लिए स्थानीय लोगों ने 25 मार्च 1970 को मैजिस्ट्रेट को आरक्षण के लिए याचिका दी थी परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। यही नहीं कि परियोजना तथा अन्य अधिकारियों को आरक्षण न दिया गया परन्तु दामपुर परियोजना, जिस पर कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है उस की सुरक्षा के लिए भी कोई उपाय नहीं किये गये। वहां किसी प्रकार की सेवा या सुरक्षा पुलिस आदि तैनात नहीं की गई। केवल कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के लिए वहां एक छोटा सा केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस का दस्ता भेजा गया था। सरकार इस 200 मील लम्बे क्षेत्र की सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं करती जबकि बार-बार सशस्त्र मिज़ों अमरीकी शस्त्रों के साथ इस क्षेत्र के गांवों और व्यापारियों पर छापे मारते हैं। अनेक बार सरकार को इसकी सूचना दी गई है परन्तु कभी भी न तो राज्य सरकार ने कोई उपयुक्त कार्यवाही की है और न ही केन्द्रीय सरकार ने। अब सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस बांध पर एक पुलिस दल तो था परन्तु, क्योंकि छापामारों की संख्या बहुत अधिक थी और साथ ही वह पूर्वी पाकिस्तान की बन्दूकों से लैस थे, अतः हमारे इस छोटे से दल द्वारा उनका सामना करना सम्भव नहीं था।

जहां तक सरकार को पूर्व सूचना प्राप्त होने की बात का सम्बन्ध है, मैं उस विशेष घटना की जांच पड़ताल करूंगा, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। परन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि आक्रमण इतना भारी होगा, ऐसी हमें कोई सूचना नहीं थी। जहां तक अब की गई सुरक्षा कार्यवाही का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है और अधिक सीमा चौकियां बना दी गईं और सुरक्षा को काफी सुदृढ़ बना दिया है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : एक ऐसी सूचना है कि उस क्षेत्र में मिजों लोगों के संकणक लोगों के साथ संबंध हैं और यह संकराक पार्टी एक कांग्रेसी मंत्री द्वारा संगठित की गई थी और वे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और इन लुटेरों की सहायता कर रहे हैं। इस आरोप की क्या वे उच्च-स्तरीय जांच करवाएंगे और इसकी सत्यता का पता लगाएंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सत्य है कि मिजों लोगों में और संकराक पार्टी में कुछ गठजोड है। परंतु मैं यह कह सकता हूँ कि सकराक पाटी कांग्रेसी मंत्री या कांग्रेस के बीच कोई संबंध नहीं है।

श्री नाथ पाई : क्या वे दोनों कांग्रेस दलों के संबंध में कह रहे हैं।

श्री जि० मो० बिस्वास : जांच किए बिना वह कैसे कह सकते हैं ? उन्हें जांच करने दीजिए।

श्री राम निवास मिर्धा : इस संबंध में की गई जांच तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर मैं बोल रहा हूँ।

Shri Yajna Datt Sharma : Is it a fact that state the Mizo raiders took away rifles from persons belonging to Village Security Force and during such sporadic attacks at other places also they take away rifles ? These arms are given to persons who do not have the capacity to keep them and Security Officers do not keep a strict ingil over these things. Is the Government aware of all these things ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The raiders were equipped with arms and as I have mentioned they had the backing of East Pakistan Rifles. They bought their arms and they fired shorts and frightened the villagers and then left. The question of taking our arms does not arise as they had come equipped with their own Rockets and 303 rifles.

डा० राम सुभग सिंह : सीमावर्ती गांवों पर बारबार होने वाले हमलों के सम्बन्ध में क्या त्रिपुरा सरकार ने सरकार को सूचित किया है ? क्या यह भी सत्य है कि काफी संख्या में लोगों के इन गांवों को खाली कर दिया है और राजस्व की वसूली भी रोक दी गई है ? यदि हां, तो सीमा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस चौकियों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त सरकार और क्या कदम उठाने का सोच रही है, क्योंकि जैसा मन्त्री महोदय ने बताया है कि हमलावर पहले सूचना देकर नहीं आते ? पहले सूचना देकर कोई हमला कैसे हो सकता है ?

श्री राम निवास मिर्धा : एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार को पूर्व सूचना थी । उसका मैंने उत्तर दिया कि इस हमले के संबंध में हमें कोई पूर्व सूचना या खबर न थी । यह उत्तर एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में था । मैंने स्वयं कुछ नहीं कहा था ।

जहां तक वर्तमान प्रबन्धों का सम्बन्ध है मैंने बताया है कि सुरक्षा दलों को सुदृढ़ किया गया है और इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए प्रत्येक संभव उपाय किया जा रहा है ।

राजस्व वसूली, आदि के सम्बन्ध में मैं जांच करूंगा ।

श्री रंगा : इस स्थिति की गंभीरता और इस क्षेत्र के सामरिक महत्व की दृष्टि से सरकार यह प्रश्न और उत्तर क्या त्रिपुरा तथा असम सरकारों को भेजेगी और इस विषय में जांच करने के लिए मुख्य मंत्रियों से अनुरोध करेगी तथा इस विषय में उन्हें मंत्रणा देगी कि उनके द्वारा क्या और कदम उठाए जाए या भारत सरकार द्वारा उठाए जाएंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : असम सरकार त्रिपुरा सरकार तथा सीमा क्षेत्रों की सभी सरकारों के साथ सरकार निरन्तर सम्पर्क बनाएं है। माननीय सदस्य तथा इस सदन की यह भावनाए हम उन्हें सूचित कर देगें कि प्रतिरक्षा के लिए अधिक प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए ।

Protest by Delhi Administration against Inclussion of certain portions in Text-Books

*669. **Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Education and youth services be pleased to state :**

(a) whether the Delhi Administration has protested against the instructions given by the Central Government regarding certain portions in the text-books about the eating of beef and the sacredness of the Ganga and the Yamuna rivers ; and

(b) if so, the reaction of Government to the views expressed by the Delhi Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt

Darshan) : (a) Neither any instructions were issued by the Central Government nor has the Delhi Administration protested in this regard.

(b) Does not arise.

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : Religious susceptibilities of Hindus have deen offended by the mention in the book "Pracheen Bharatvarsh" that in olden days Aryans used to eat beef. I would like to know from the Government the reason for adopting such policy about the sentiments and religious traditions of the majority community and whether Government is prepared to change it or not ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : As I have mentioned in reply to original Question there is no basis for such difference of opinion and I think that hon. Member has got wrong information. I am in a position to say on behalf of the Education Ministry and the Goverment that neither we have any intentions nor we have tried to hurt the feelings of any body be Hindus or followers of any other religion.

Shri Ram Gopal Shalwale : I am very happy that the hon. Minister has assured that he is ready to assure this House that he is prepared to delete such positions from the course books where there is mention about eating of Beef by Aryans in India in old days.

Shri Bhakt Darshan : Sir, generally it is not the practice to give assurances in the House..... (Interruption)

Shri Kanwar Lal Gupta : Who told you ?

Shri Bhakt Darshan : Even then, Sir, I would like to remove the worries of the hon. Member with the words that neither has any attempt been made nor would it be made to hurt the feelings of members of any community. There should not be any doubt about this.

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, Sir, I have put a direct question to the hon. Minister, whether he is prepared to give assurance about deleting tuch portions from course books which reads that Aryans in India used to eat beef in olden days ? The hon. Minister should give a direct and clear reply to this question.

Shri Bhakt Darshan : Sir, such a mention was there in one english book "Ancient India". But later on when our attention was drawn towards it. This portion has been deleted from the revised edition of the book.

Shri Ramavtar Shastri : A book "Sahsi Balak" is taught in the Schools under Delhi Municipal Corporation. Is it a fact that there were certain objectionable references in that book and National Federation of women had submitted a Memorandum to the hon. Minister about it ? If so, what are the details of that Memorandum and what action has been taken by the Government in that regard.

Shri Bhakt Darshan : Sir, the Memorandum mentioned by the hon. Member...

Mr. Speaker : It is not relevant. Hon. Member should give a separate notice about it.

Shri Ramavtar Shastri : Mr. speaker, Sir, it is relevant to that.

Mr. Speaker : It is not relevant to the present question.

Shri Ramavtar Shastri : Mr. speaker, Sir, such books as contain objectionable references are being taught to children.....

अध्यक्ष महोदय : आप विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं ?

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, Sir, you are unnecessarily preventing the hon. Minister from answering my question. He is prepared.....

Mr. Speaker : But I am not prepared, because the question asked is not relevant to the present question.

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, Sir, this is unjustice that you do not want the hon. Minister to answer. I do not think it proper. Communal feelings are aroused with the reading of that book. Therefore objectionable references should be deleted from that book.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact tha objections had been refused by Delhi Administration about certain books which had been forwarded by the Central Government, because these contained certain references against our culture and civilization, but inspite of that the Central Government asked the Delhi Administration not to make any changes to them ? If so what are the names of the books, what changes had been made by Delhi Administration and what action was taken by the Gouernment of India on this.

Shri Ramavtar Shastri : The hon. Member is asking the names of the books but Mr. Speaker is not objecting to that.

Mr. Speaker : He is asking question about certain references in books for Delhi Administration.

Shri Bhakt Darshan : Mr. Speaker, Sir, so far as the Government is concerned no book has been prescribed by it. However, we have one organisation by the name of N. C. E. R. T. It perepared certain model books and all the State Governments and the Delhi Administration were requested that they may adopt or prepare their own books on the basis of these books with such changes as they like to make. After mutual consultae tion the Delhi Administration brought out a new edition of one book, which is in use thesdays. Therefore, question of difference of opinion does not arise.

श्री सोनावने : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या पुराणों, स्मृतियों तथा वेदों में से उन सभी उल्लेखों को हटाने पर भी विचार किया जाएगा जहां पर महिलाओं और अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में अपमानजनक बातें हैं ? सरकार क्या इस पर विचार करेगी ?

श्री कंवरलाल गुप्त : ऐसा कुछ नहीं है । महिलाओं और अनुसूचित जातियों के अपमान की बात वेदों में कही नहीं है । इस प्रकार की बात करना कोरी बकवास है । There is no such reference in the Vedas. There is no reference against Scheduled Castes in any Veda. This is non-sense.

श्री चन्द्रजीत यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब एक माननीय सदस्य कोई विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या किसी अन्य माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि यह बकवास है ?

Shri Kanwarlal Gupta ; Any member can say wrong things about Vedas and Puranes, like this. Where is such a reference in Vedas ? Let them quote from the Vedas.

श्री सोनावने : आप डरते क्यों हैं ? कई स्थानों पर ऐसा लिखा है । सरकार उन्हें देखे ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए :

श्री सोनावने : वे आपत्ति क्यों करते हैं । कई स्थानों पर ऐसा लिखा है और हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे तथा तथ्यों का पता लगाए । **(व्यवधान)**

कई माननीय सदस्य खड़े हुए :

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । It has become a habit with some members to do something. This is unfair.

Shri Om Prakash Tyagi : How Veda has come in it ? **(Interruption)**

Shri Kanwarlal Gupta : If any thing is said here against Vedas it would not be tolerated. He is quoting wrong things. He does not know Sanskrit and talks uselessly.

नई दिल्ली स्थित पटेल रोड पर निर्माणाधीन ऊपरी पुल

* 671. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल नगर, नई दिल्ली में, दिल्ली दुग्ध योजना के समीप पटेल रोड पर निर्माणाधीन ऊपरी पुल के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है तथा उसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया था,

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के पीछे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) अब इस पुल के कब तक पूरा हो जाने तथा यातायात के लिए खुल जाने की सम्भावना है, और

(घ) इस पुल पर अनुमानत: कुल कितनी लागत आयेगी ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). जबकि उत्तरी रेलवे ऊपर गामा भाग का निर्माण कर रहा हैं पहुँचमार्ग दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाये जा रहे हैं । परियोज़ना पर कार्य 10 जनवरी 1969 को शुरू किया गया वेयरिंगों के निर्माण के लिए उचित विशिष्टियों के इस्पात को प्राप्त करने के बारे में कार्य करने के दौरान अनुभूति कठिनाइयों और अन्य सामग्री, सेवाई लाइन को अलग ले जाने और भूमि अधिग्रहण के बावजूद उत्तयोत्तर प्रगति रखी गई और कार्यक्रम के अनुसार 9 जनवरी 1971 तक परियोजना की पूरी होने की संभावना है परियोजना की कुल प्रत्याशित लागत रेलवे के शेयर सहित 42.00 लाख रुपये है ।

श्री बलराज मधोक : मुझ यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आपने एक तिथि नियत की है और मुझे विश्वास है कि आप उस पर दृढ़ रहेंगे और पुल को पूरा करेंगे । परन्तु क्या मैं यह जान सकता हूँ कि उसी सड़क पर नरैना में क्या एक ऊपरी पुल पिछले दो वर्षों से निर्माणाधीन है, उसे यातायात के लिये खोला नहीं जा रहा है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि पटेल रोड के साथ के अन्य उपरी-पुलों को भी क्या नियत समय में पूरा किया जायेगा, जिससे कि दिल्ली में यातायात की कठिनाई दूर हो सके ?

श्री इकबाल सिंह : यह सभी पुल अधिकतर दिल्ली प्रशासन या दिल्ली नगर निगम के हैं । पुलों सम्बन्धी प्रश्न हमारे पास केवल तकनीकी मंजूरी के लिए आते हैं और तकनीकी निर्देशन देने वाले मन्त्रालय के रूप में हम उन्हें इस विषय में शीघ्रता करने को कहते हैं । हमने उन्हें कहा है कि निर्माणाधीन सभी अन्य पुलों को भी समय के भीतर पूरा किया जाए, परन्तु उनकी अपनी कठिनाइयां हैं । यह प्रश्न विशेषरूप से दिल्ली नगर निगम य दिल्ली प्रशासन से पूछा जाना चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा असैनिक उड्डयन विभाग के कार्य अपने अधीन लेना

*672. **श्री इंद्रजीत गुप्ता** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के कार्य का केवल कुछ अंश ही प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा अपने अधीन लिया जायेगा ;

(ख) क्या तकनीकी विशेषज्ञों ने तथा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले टाटा समिति के एक सदस्य ने, प्रस्ताव के वर्तमान रूप के विरुद्ध परामर्श दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्राधिकरण को वर्तमान रूप में स्थापित करने के बारे में निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) (क) बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के विकास, नियंत्रण तथा प्रबन्ध का कार्य प्रस्तावित 'भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र प्राधिकरण'को सौंपने का विचार है। विनियामक कार्य जिनमें विमान यातायात नियंत्रण, वैमानिक संचार तथा दिक्चालन सेवाएं शामिल हैं, नागर विमानन विभाग के पास ही रहेंगे।

(ख) और (ग). जी, नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र समिति द्वारा 'कम्पनीज़ एक्ट' के अन्तर्गत एक प्राधिकरण स्थापित किए जाने की सिफारिश के विरुद्ध समिति में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बोर्ड की स्थापना के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की थी। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार ने संसद के एक एक्ट के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के निगम के रूप में एक प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अन्य देशों में जहां बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और सरकार के सम्बद्ध विभाग के मध्य कार्यों का क्या इस प्रकार का बँटवारा है या हवाई अड्डे के लिए उत्तरदायी स्वतंत्र प्राधिकरण को सभी सम्बद्ध कार्य पूरी तरह सौंप दिये जाते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा इस प्रकार की है कि इंगलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और जापान जैसे कई ऐसे देश हैं जहां हवाई अड्डों के प्रशासन के लिए अलग निकायों की स्थापना की गई है। असैनिक विमानन के महानिदेशक के पास हवाई संचार तथा मार्ग-निर्देशन नियन्त्रण का कार्य रहने देने का कारण यह है कि इन चार हवाई अड्डों के अतिरिक्त भारत में लगभग 90 अन्य हवाई अड्डे हैं और संचार व्यवस्था द्वारा वे सभी आपस में सम्बद्ध हैं। अतः इन चारों को उनमें से निकालना संभव नहीं। अतः इन कार्यवाहियों को हमने विभाग के पास रहने देने का निर्णय किया है। शेष कार्यवाहियां इस प्राधिकरण द्वारा की जाएंगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्राधिकरण के सदस्यों के क्या नाम हैं और इसकी शक्तियां तथा कार्य क्या होंगे ?

डा० **कर्ण सिंह** : इस सम्बन्ध में इसी सत्र में सदन में विधेयक प्रस्तुत करने का मेरा वि ार था, परन्तु यह संभव नहीं हो सका है। यह विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संगठन, कार्यों आदि के सम्बन्ध में पूरे ब्यौरे उस विधेयक में दिये जाएँगे और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रत्येक को अवसर दिया जाएगा।

श्री नाथ पाई : क्या यह नई संस्था केवल प्रशासकीय उद्देश्य प्राप्त करने के लिए है या हमारे शोचनीय हवाई अड्डों के कार्यकरण में भी ये सुधार करेगी ? मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय कुछ करने के लिए वीरता से संघर्ष कर रहे हैं परन्तु हममें से जो हवाई अड्डों का प्रयोग क ते हैं वे जानते हैं कि सेवाएं खराब हो रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जुम्बो जेट हवाई जहाजों के उतरने के लिए अभी तैयार नहीं। एक अधिकृत सूत्र ने हाल ही में बताया था कि हमारी कार्यात्मक दक्षता डकोटा जहाजों के स्तर की है, जो जहाज संसार के अन्तिम जीवित हाथी हैं जिनका धीरे धीरे निष्क्रमण हो रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह प्राधिकरण हवाई अड्डों की दक्षता सुधारने से मूलतः सम्बन्धित होगा या उन असंख्य प्रशासकीय नवीनताओं में से यह एक है जिनमें हम वर्षानुवर्ष अनुरत हैं।

डा० **कर्ण सिंह** : इस प्राधिकरण के गठन का अभिप्राय अपने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के कार्य को उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनिश्चित करना है। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हमारे हवाई अड्डे निम्न दक्षता पर कार्य कर रहे हैं। वास्तव में हम जुम्बों काल के लिए तेजी से तैयारिया कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे हवाई अड्डे इस समय इस के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। वास्तव में संसार का कोई भी हवाई अड्डा जुम्बो जहाजों के लिए तैयार नहीं।

श्री नाथ पाई : देश में जहां कहीं दक्षता है उसे मैं कम करके नहीं बताना चाहता। परन्तु जहां पर है ही नहीं वहां के लिए मैं कहां से ला सकता हूँ। बम्बई से आने पर पालम हवाई अड्डे से अपना सामान पास करवाने में 65 मिनट का समय लगता है।

श्री पीलु मोडी : वह भी यदि आप भाग्यशाली हैं।

श्री नाथ पाई : हां, परन्तु किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पाँच मिनट से कम समय में आप का सामान पास कर दिया जाता है। यह कहना अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देना है कि हमारे हवाई अड्डे अनुकूल रूप से तुलनीय हैं।

डा० **कर्ण सिंह** : मैंने यह नहीं कहा कि हमारे हवाई अड्डे संसार के अच्छे हवाई अड्डों के साथ अनुकूल रूप से तुलनीय हैं। मैंने यह कहा कि हम बहुत तैयारी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अभी भी कमियां और दोष हैं परन्तु हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। (**व्यवधान**) (श्री मोदी जी आप अपना सामान स्वयं क्यों नहीं उठाते ? यह बहुत अच्छा अभ्यास होगा। (**व्यवधान**)

श्री पीलु मोडी : मन्त्री महोदय अपने सामान के पास किए जाने तक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ? एक बड़ी कार में बैठकर वह चले जाते हैं और एक घंटे के पश्चात कोई कर्मचारी उनका सामान लाता है। अपना सामान पास करवाने के लिए यदि वे हवाई अड्डे पर वह प्रतीक्षा करें तो उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार कार्य हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री स० मो० बनर्जी : मन्त्री महोदय ने कहा कि यहां पर 10 हवाई अड्डे हैं और इन्हें ठीक करने की एक योजना है। दुर्भाग्यवश कानपुर में भी हवाई अड्डा नाम का कुछ है, परन्तु वह हवाई अड्डा प्रतीत नहीं होता। हमारे लिए यह शर्मनाक बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसका भी क्या नवीकरण किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कानपुर का प्रश्न कहां से बीच में आता है।

श्री स० मो० बनर्जी : किसी समय यह भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नोत्तर काल समाप्त।

———

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT-NOTICE QUESTION

Super-Power Transmitter in Calcutta

S. N. Q. No. 9. **Shri Om Prakash Tyagi :**

Shri Samar Guha :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the Super-power transmitter set up by U.S.S.R. in Calcutta is not powerful enough to beam programmes to the South-East Asian countries;

(b) if so, the causes thereof :

(c) the steps proposed to be taken by Government to increase the transmitting capacity of the aforesaid transmitter keeping in view the importance of South Asia and to strengthen our relations with South Asian countries; and

(d) if not, the reasons therefor ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कलकत्ता में अति शक्तिशाली ट्रांसमिटर

दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों, चीन तथा तिब्बत में वैदेशिक सेवा को शक्तिशाली बनाने के लिए कलकत्ता में एक सुपर पावर मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया गया है। इस ट्रांसमिटर का प्रसारण क्षेत्र रात्रि में लगभग 2000 किलोमिटर तथा दिन में 400 से 500 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इसका वास्तविक परिचालन तकनीकी आशाओं के अनुरूप है। इसमें कोई खराबी नहीं है तथा यह कहना सही नहीं है कि इसका वास्तविक कार्य आशाओं से कम है।

2. इसकी प्रेषण क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

3. मीडियम वेव ट्रांसमिटरों की दिन के समय जबकि प्रोपेगेशन ग्राउण्ड वेव द्वारा होता है, पहुँच सीमित है। जो देश इस ट्रांसमिटर की परिधि में नहीं आते, उनके लिए प्रसारण शार्ट-वेव ट्रांसमिटरों से वैदेशिक सेवाओं के अंतर्गत किए जाते हैं।

4. इस ट्रांसमिटर का सही उपयोग इसको उन सेवाओं के लिए इस्तेमाल करके किया जाएगा जो इसके प्रसारण क्षेत्र के अंदर निदेशित की जाती है और जहां सुनने का समय अनुकूल है।

Shri Om Prakash Tyagi : A transmitter was set up with Russian Collaboration in Calcutta in 1962 after the Chinese aggression with a view to facilitating the people of South Asian Countries to hear the news and views being broadcast by India. But the service area of the transmitter, which has been set up there at present, is only 350 Km. in day time and the news is broadcast during the night. No news is broadcast to the countries of South Asia in day time. With the result it does not serve any purpose. At the time the agreement was concluded the Broadcasting Ministry was under Shrimati Indira Gandhi. At that time the experts gave their views that installation of short wave transmitter would be more useful than the Super Power Transmitter and the news would be heard in the whole of Asia. I want to know whether the decision to instal this transmitter was politically motivated or there were some other reasons which resulted in rejecting the views of experts and the High Power Transmitter was installed.

May I know whether the Government of U. S. S. R. had given any guarantee at the time of installations of this transmitter that news would be heard in South-East Asian Countries and whether the guarantee has been fulfilled and if not, whether they would instal another transmitter and remove the short comings.

श्री इ० कु० गुजराल : वैदेशिक प्रसारण के लिए हमारी नीति मीडियम वेव और शार्ट वेव दोनों के लिए है, कुछ क्षेत्रों को प्रभावी तौर पर मीडियम वेव के अंतर्गत लाया जा सकता है और हम दो उच्च शक्ति वाला मीडियम वेव ट्रांसमीटर —एक कलकत्ता में जो कि स्थापित कर दिया गया और दूसरा राजकोट में स्थापित कर रहे हैं ताकि हम कुछ उन क्षेत्रों को इसके अंतर्गत ला सकें जहां के लोगों के पास कम क्षमता वाले ट्रांजिस्टर हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम शार्ट वेव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय हमारे पास लगभग 5 शार्ट वेव ट्रांसमीटर दिल्ली से कार्य कर रहे हैं। अलीगढ़ में दो और ट्रांसमीटर लग रहे हैं। चौथी योजना में हमारा विचार अलीगढ़ में इन दो ट्रांसमीटर के अलावा दो और ट्रांसमीटर लगाने का है। योजना यह है कि शार्ट वेव और मीडियम वेव ट्रांसमीटर की बैटरी लगायी जाये ताकि हम यथा संभव सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने में समर्थ हो सकें।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि ट्रांसमीटर का कार्य गारंटी के अनुसार हुआ है या नहीं इसका उत्तर यह है कि ट्रांसमीटर में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है, अतएव किसी त्रुटि के पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Om Prakash Tyagi : My question has not been replied to. After the Chinese invasion in 1962, this transmitter was installed with the object of beaming views and news of India to South East Asia. May I know whether this aim has been fulfilled or not. If not, how are you going to fulfil that ?

Shri I. K. Gujral : I think, I have replied to it. I will try to reply in Hindi.

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether the experts had given their opinion or not that the Short wave, Medium transmitter would be more useful that the one which you were going to instal ?

Shri I. K. Gujral : The question is not of medium wave or short wave but of installing both medium wave and short wave transmitters and both have been installed. Our policy is to encourage both. Where the distance is long, the short wave is used and where the distance is short and conditions are favourable, then the medium wave is used.

Mr. Speaker : You have gone to other points. You simply state whether it is heard in South East Asia or not.

श्री इ० कु० गुजराल : शार्ट वेव ट्रांसमीटर को दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया

और अफ्रीकी देशों के लगभग सभी भागों में सुना जा सकता है, इस समय मीडियम वेव ट्रांसमीटर को दक्षिण-पूर्वी एशिया के एक बड़े भाग, विशेषकर रात में तथा दिन में भी पड़ोसी देशों के एक भाग में सुनाई दिया जा सकता है, हम उस उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : The High Power Transmitter is heard in day time as well as in night for some time. But the fact is that when you broadcast news in the night at 8-30 p. m. or 10-30 p. m., then the news would be heard in that region at 12-30 p. m. 1 p. m. in the night in according to their standard time when there is hardly anyone to listen to it. May I know whether it is not wrong that such a high power transmitter is not heard in day time and the transmission in the night prove useless as there is no one to listen to it ?

Shri I. K. Gujral : The science has not invented such a thing as may do the entire work. The medium wave serves a special purpose and it is used for that purpose. For the rest, the short wave transmitter is used. We are installing more short wave transmitters for that purpose.

श्री समर गुह : मैं नहीं जानता कि यह 3 करोड़ रुपये के मूल्य का रूसी ट्रांसमीटर दक्षिण पूर्वी एशिया में सोये हुए लोगों को प्रसारण भेजने के लिए लगाया गया है। इन्डियन स्टेण्डर्ड टाइम्स और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों के समय में 1 से 3 घंटों का अंतर है। प्रसारण का समय रात के 8-50 बजे तथा 9-30 बजे है। इसका तात्पर्य यह है कि थाइलैण्ड या वियतनाम या इन्डोनेशिया के लोग या तो उस समय सो रहे होंगे.....

श्री लोबो प्रभु : वे काफी देर से सोते हैं

श्री समर गुह : एल्डस हक्सले यह ज्ञात कर बहुत खुश होता, जैसे कि उसने अपनी पुस्तक "दि ब्रेव न्यू वर्ल्ड" में कल्पना की थी, कि एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जा सकता है जिससे कोई भी व्यक्ति सोया हुआ सुन सकता है।

मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि कलकत्ता ट्रांसमीटर से प्रसारण का समय रात के 8-30 और 9-30 होने से दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग इसे नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उस समय वे लोग सोये होंगे ? दूसरा, मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की राय की उपेक्षा करके यह मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था ? अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हमारे दूतावासों से वहां के लोगों की संख्या, कम से कम उनकी औसत संख्या, के बारे में पता लगाया है, जो भारतीय समाचार सेवा को सुनते हैं और उस पर उनकी प्रतिक्रिया हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं अपने माननीय मित्र को बता दूं कि इसके विरुद्ध कोई तकनीकी संबंधी परामर्श नहीं दिया गया है। उन्हें याद होगा कि यद्यपि मैं सरकार में नहीं था तो फिर भी उस समय वॉयस आफ अमेरिका ट्रांसमीटर उसी स्थान पर समान आकार तथा समान विमिति का था। अतएव प्रश्न इसके अमेरिकी अथवा रूसी होने का नहीं है दोनों की प्रायोजना समान है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे माननीय प्रोफेसर एक वैज्ञानिक भी हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इलेक्ट्रानिक्स विज्ञान की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय वैज्ञानिक नहीं हैं। वे राजनीतिज्ञ हैं और वह भी पक्षपाती राजनीतिज्ञ ।

श्री इ० कु० गुजराल : दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि दक्षिण पूर्व एशिया के लोग केवल मीडियम वेव को ही नहीं सुन रहे हैं। हमारे शार्ट वेव ट्रांसमीटर वहां हैं। मीडियम वेव पर हम कार्यक्रम देने का प्रयास कर रहे हैं जो कि उनके समय के अनुकूल बनता है। हम अपना प्रयत्न भली प्रकार से कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : ट्रांसमीटर के मामले में भी वे अपनी हमेशा की तरह दर्शनशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जो दर्शनशास्त्र का प्रयोग वे दिन में करते हैं उसका प्रयोग वे रात को नहीं करते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से हमारा संचार संबंध बहुत महत्व का है तो क्या कारण है कि वे ऐसा ट्रांसमीटर लगा नहीं सके हैं जिसका प्रसारण रात और दिन में सुना जा सके ?

श्री इ० कु० गुजराल : अभी हमारे पास 6 शार्ट वेव ट्रांसमीटर हैं। चौथी योजना के अंत में अलीगढ़ में दो और ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे। पांचवीं योजना के अन्त में हम 6 शार्ट वेव ट्रांसमीटर अलीगढ़ में लगायेंगे जो कि 6 और कार्य कर रहे ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त होंगे आशा है कि हम इन 12 ट्रांसमीटरों से आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय, ये जन संघ के लम्बी दूरी वाले ट्रांसमीटर हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether it is a fact that this Powerful transmitter was brought here and the agreement was Concluded at the time when Shrimati Indira Gandhi was Information and Broadcasting Minister and such a condemned transmitter was brought only to please Russia ? The conditions of that agreement were not fulfilled. I want to know what action has been taken by the Government on non-fulfilment of that agreement ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यह ट्रांसमीटर अभी लगाया गया है, यह पहले उस समय नहीं लगाया गया था।

Shri Hukum Chand Kachwai : The agreement was concluded at that time. It was the opinion of experts that this transmitter was not useful but Shrimati Indira Gandhi wanted to bring it here.

Shri I. K. Gujral : Shrimati Indira Gandhi definitly wanted this and she even wants that the broadcasting systen of this country may be strong and transmitters are installed here. At that time it was decided to instal transmitter of 1,000 Kw. The Voice of America also mentioned to instal transmitter of 1,000 Kw. Afeen that we enquired from all the countries of the world. We could not get transmitter from anywhere within the short time at our disporal and at that price.

An Hon. Member : So condemned and old.

Shri I. K. Gujral : No, it was brand new.

Shri Hukam Chand Kachwai : The opinion of experts was against it.

Mr. Speaker : The Hon. Member is interested in transmitter or in linking Shrimati Indira Gandhi with it ?

Shri Hukam Chand Kachwai : with both.

श्री लोबो प्रभु : मैं जानना चाहूँगा कि क्या रूस को छोड़कर अन्य ऐसा कोई देश है जहां 3 करोड़ रुपये लागत वाला ट्रांसमीटर केवल रात में ही कार्य करता है, जब आप ट्रांसमीटर पर 3 करोड़ रुपया व्यय करते हैं तो क्या इसका कार्य रात्रि के लिए ही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे माननीय मित्र एक उच्च तकनीकी जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं परंतु उनकी तकनीकी जानकारी उससे भी बढ़कर है। यह ट्रांसमीटर उनकी भाँति दिन और रात में कार्य करता है।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस ट्रांसमीटर से विशेषकर सिंहली और मलय भाषा में कार्यक्रम भेज रहे हैं ? दूसरा, मैं इन कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहता हूँ, वे किस मशीनरी द्वारा विदेशों में विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में श्रोताओं की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : आकाशवाणी में हमारा एक अलग विभाग है जिसका नाम वैदेशिक सेवा विभाग है और इस समय हम विश्व की 19 भाषाओं में उन सभी क्षेत्रों में समाचार आदि प्रेषित कर रहे हैं जहां हम चाहते हैं। निश्चय ही हम मलयालम भाषा में भी इसका प्रसारण करते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : मलय भाषा मलयेशिया और इन्डोनेशिया की एक प्रमुख भाषा है।

श्री इ० कु० गुजराल : हम वहां तमिल तथा स्थानीय भाषाओं में समाचार आदि भेज रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध को नियमित करने के लिये अध्यादेश

*664. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की मांग की गई है कि दिल्ली में गुरुद्वारों के प्रबन्ध को नियमित करने के लिये सरकार को पंजाब के वर्तमान अधिनियम की भांति अध्यादेश पास करना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री श्री (कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा सरकारी कार्यालयों पर लाल झंडों का फहराया जाना

*665. **श्री मयावन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जुलाई, 1970 को कलकत्ता के बंदरगाह क्षेत्र में कई सरकारी कार्यालयों पर लाल झंडे फहराते हुए पाए गये थे; और

(ख) क्या पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी की गयी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 29 जुलाई, 1970 को कलकत्ता के बंदरगाह क्षेत्र में कुछ भवनों पर लाल झंडे फहराते हुए पाये गए और पुलिस द्वारा उन झंडों को हटवा दिया गया था। इस सम्बन्ध में अभी तक किन्हीं गिरफ्तारियों की सूचना नहीं है।

पर्यटकों की देखभाल के लिये पुलिस बल

*666. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री 10 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5919 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्यटकों की देखभाल के लिए बनाये गये विशेष पुलिस बल ने इस बीच काम करना आरम्भ कर दिया है और क्या उक्त पुलिस बल बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों की देखभाल के लिए पर्याप्त है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : पर्यटन पुलिस फोर्स के बन जाने तक दिल्ली में ऐसे छः विशेष स्थानों पर जहां कि पर्यटक ज्यादातर आते हैं, एक सहायक उप-निरीक्षक तथा चार सिपाहियों के दिल्ली पुलिस के एक दल को गश्त लगाने के लिये नियुक्त कर इस दिशा में कुछ शुरूआत की गई है। पूरी योजना के क्रियान्वयन के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

हवाई अड्डों पर अग्निशामकों की व्यवस्था

*667. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : **श्री बाबूराव पटेल** :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ हवाई अड्डों पर अग्निशामक जैसे अत्यावश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने असैनिक उड्डयन के महानिदेशक की अग्निशामकों की मांग दो वर्षों से पूरी नहीं की है; और

(ग) क्या इस स्थिति के परिणामस्वरूप देश के 90 हवाई अड्डों में से कम से कम 40 हवाई अड्डों पर, विशेषकर उत्तर-पूर्व में विमानों को 'ओवरफ्लाई' करना पड़ता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). यद्यपि नगर विमानन विभाग के नियंत्रण के अधीन बहुत से हवाई अड्डों पर वर्तमान व्यवस्थाओं को और अधिक परिकुट करने की आवश्यकता है, तथापि इंडियन एयरलाइन्स महसूस करता है कि जिन हवाई अड्डों पर, वे परिचालन करते हैं उनमें से केवल चार पर व्यवस्था निश्चित रूप से अपर्याप्त है अतिरिक्त उपकरण खरीदने तथा देश के अन्दर ही इसके विकास एवं निर्माण को बढ़ावा देने

के लिये कार्यवाही की गई है। इंडियन एयरलाइंस ने पिछले वर्ष के दौरान अपने परिचालनों में 97% नियमितता की सूचना दी है।

(ख) : जी, नहीं। क्रैश फायर टैन्डरों की खरीद तथा उनके देश में ही विकास तथा निर्माण के बारे में प्रस्तावों पर अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करके कार्यवाही की जा रही है।

विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

*668. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विश्वविद्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या उन्हें अपेक्षित स्तर की विज्ञान और तकनीकी विषयों की पुस्तकों के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी पुस्तकें तीव्र गति से तैयार कराने के लिए यदि सरकार ने कोई व्यवस्था की है तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत सरकार एक योजना चला रही है, जिसके अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर, नागालैंड के राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक ऐसे राज्य को जिनके क्षेत्राधिकार में विश्वविद्यालय हैं, उनकी प्रादेशिक भाषा में विश्वविद्यालय स्तर तक की पुस्तकों के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपयों तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसी वित्तीय सहायता चौथी आयोजना अवधि के दौरान दी जाएगी। संबंधित राज्यों ने पुस्तक-निर्माण मंडल समितियां स्थापित कर ली हैं, जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत से मंडलों/समितियों ने विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का अंग्रेजी से प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य अथवा मूल पुस्तक लेखन का काम नियत कर दिया है।

2. उपरोक्त प्रयास की अनुपूर्ति करने के लिए, भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से एक दूसरी योजना चला रही है, जिसके अधीन विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विषयों में मास्टर डिग्री के बाद विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें लिखने अथवा मानक पुस्तकों का अनुवाद करने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट अध्यापक के अधीन कार्य करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियां दे सकेगा।

3. विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग के लिए मानक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने अथवा विशिष्ट लेखकों के द्वारा मूल पुस्तकें लिखने के लिए भारत सरकार एक और योजना चला रही है, जो "कौर पुस्तक कार्यक्रम" के नाम से जानी जाती है।

मूल पुस्तकें लिखने अथवा मानक पुस्तकों के अनुवाद के चयन में पुस्तक का विषय इस प्रकार चुना जाएगा कि सामान्यता सभी विश्वविद्यालय उन्हें पाठ्यपुस्तकों के रूप में अथवा सदभ साहित्य के रूप में स्वीकार करेंगी तथा वे कम से कम 5 से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए सार्थक बनी रहेंगी।

पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों से होकर जाने वाली नहर में सुधार

*670. **श्री स० कुण्डू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नहर व्यवस्था में सुधार के लिये गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) क्या पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में होकर बहने वाली तटीय नहर में सुधार करने के बारे में भी इस समिति ने विचार किया है।

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार ने इस नहर को पूरे वर्ष नौवहन योग्य बनाने का तथा इसमें सुधार करने का निर्णय किया है ?

संसदकार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया): (क) देश में नहरों सहित अंतर्देशीय जल परिवहन के सुधार के प्रश्न पर व्यापक रूप से जांच करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त अंतर्देशीय जल परिवहन समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं की हैं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच जामेर एयरलाइंस को विमान सेवा की अनुमति देना

*673. **श्री जनार्दनन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामेर एयरलाइंन को मद्रास तथा पोर्टब्लेयर के बीच एक विमान सेवा चलाने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है कि इंडियन एयरलाइंस इस मार्ग पर अपनी विमान-सेवा नहीं चला सकी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जी, हां। जामेर को इस मार्ग पर अनुसूचित आधार पर परिचालन करने की अनुमति दी गयी है।

(ख) कारवेल विमान पार्टब्लेयर पर नहीं उतर सकते तथा इण्डियन एयरलाइंस के पास इस सैक्टर के लिये उपयुक्त अन्य प्रकार के विमान नहीं हैं। परंतु, इंडियन एयरलाइंस कलकत्ता तथा पोर्टब्लेयर के बीच रंगून के मार्ग से वाइकाउंट सेवायें परिचालित कर रहे हैं।

व्यक्तियों से भारत दर्शन रेलगाड़ी के लिये लिया गया पैसा हजम करना

*674. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने भारत दर्शन रेलगाड़ी के लिये लगभग 3 लाख रुपये एकत्र किये थे, हजारों लोगों को धोखा दिया था; और

(ख) क्या पुलिस के पास इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और यदि हां, तो कथित-दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस की सूचना के अनुसार अब तक 90 व्यक्तियों ने शिकायत की है कि उन्हें दिल्ली में दो व्यक्तियों द्वारा धोखा दिया गया है जिन्होंने भारत दर्शन रेलगाड़ी द्वारा देश में विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए लगभग 40,000 रुपये एकत्रित किए थे। रेलवे पुलिस स्टेशन दिल्ली में दो व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/406 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। दोषियों को, जिनको 3-8-1970 को गिरफ्तार किया गया था, न्यायालय के आदेश के अनुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पालम हवाई अड्डे पर अवांछनीय गतिविधियों में ग्रस्त आप्रवास-अधिकारी

*675. **श्री मणिभाई जे० पटेल** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक** उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पालम हवाई अड्डे से विदेश जाने वाले व्यक्तियों के टिकटों पर लगी 15 रु० की टिकटों (स्टाम्पों) को आप्रवास-अधिकारी उतार लेते हैं और उन्हें वायुयान-कम्पनियों को बेच देते हैं;

(ख) यदि हां, तो हवाई अड्डे पर इस प्रकार की गतिविधियां कब से जारी हैं;

(ग) आप्रवास-अधिकारियों की इस प्रकार की छलपूर्ण गतिविधियों के कारण सरकार को कितनी अनुमानित हानि हुई है; और

(घ) प्रणाली को त्रुटिहीन बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक-उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). इस आशय का एक समाचार 30 जुलाई, 1970 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ था। मामला संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है तथा यह आवश्यक उपचारी उपाय किये जायेंगे।

Difference in Figures re : area of Indian Union shown in India References Aanual and Gazetteer of India.

*676. **Skri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the area of the Indian Union has been shown as 3268081 kilometers in the India Reference Annual of 1965 and as 3267500 kilometers in the Gazetteer of India of 1965 ;

(b) if so, the recsons for which the area of the Indian Union has been shown differently in the said two publications ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The variation is due to the fact that the area figures in the Gazetteer of India are based on the figures given in India Reference Annual, 1963 which were subsequently revised in India Reference Annual, 1965.

(c) In December, 1965, tho Government of India issued instructions that, in future the area fignres for India supplied by the Central Statistical Organisation under the Cabinet Secretariat should be given in all Government publications. Accordingly, the area figures were change in the reprint of Chapter I of the Gazetteer of India, which was published in 1968 under this title 'India—A Physical Geography' and were shown as 32,68,090 sq. km. Similar action has been taken with regard to the reprint of the first volume of the Gazetteer of India, now in the press.

उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिये विश्वविद्यालयों को एकमुश्त सहायता

*677. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिये एकमुश्त सहायता देता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी वित्तीय सहायता दी और इस बारे में आगे सहायता देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कसौटी निर्धारित की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा वी० के० आर० वी० राव) : (क) अनुरक्षण खर्च के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक मुश्त अनुदान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वभारती विश्वविद्यालय को पिछले तीन वर्षों में दिए गए एकमुश्त अनुदानों का उल्लेख है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एकमुश्त अनुदान देने का निर्णय उनके बजट प्राक्कलनों की वार्षिक परीक्षा करके तथा खर्च में सामान्य बढ़ौतरी तथा अनुरक्षण के लिए, उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

1967-68 से 1969-70 तक के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए एकमुश्त अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	1967-68	1968-69	1969-70	जोड़
1	2	3	4	5	6
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1,73,03,122-24	1,84,00,000-00	1,97,50,000-00	5,54,53,122-24
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	2,20,06,263-78	2,35,69,000-00	2,59,75,000-00	7,15,50,263-78

1	2	3	4	5	6
3.	दिल्ली विश्व-विद्यालय	1,03,90,453-11	1,12,85,884-25	1,20,00,000-00	3,36,76,337-36
4.	विश्व-भारती	48,00,000-00	51,29,000-00	54,00,000-00	1,53,29,000-00
	योग—	5,44,99,839-13	5,83,83,884-25	6,31,25,000-00	17,60,08,723-38

टिप्पणी :—पांचवें केंद्रीय विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1970-71 से अनुदान दिए जा रहे हैं।

दिल्ली तथा मनीपुर के लिए राज्य के दर्जे के लिए फिर से मांग किया जाना

*678. **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद, दिल्ली और मनीपुर ने राज्य का दर्जा दिए जाने की फिर से मांगें की है,

(ख) क्या ये दो संघ राज्य क्षेत्र उस कसौटी पर पूरे उतरते हैं जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है, और

(ग) इन मांगों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). 6 अगस्त, 1970 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र जनसंख्या, भूखण्ड, आर्थिक विकास के स्तर, वित्तीय साधनों में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं और प्रशासन के क्षेत्र में उनकी भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं अतः प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाना है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित नई दिल्ली में सम्पर्क कार्यालय

*679. **श्री स० च० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में अपना सम्पर्क कार्यालय स्थापित किया हुआ है;

(ख) एक उच्च अधिकारी तथा उसके कार्यालय पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ग) उपर्युक्त कार्यालय को बनाये रखने का क्या औचित्य है जबकि राज्य में राष्ट्रपति का शासन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्। नई दिल्ली में बहुत से राज्य सरकारों के सम्पर्क कार्यालय हैं।

(ख) सम्पर्क अधिकारी के वेतन व भत्तों इत्यादि पर वार्षिक खर्च लगभग 38,000 रुपये है, और उनके कार्यालय का खर्च 30,000 रुपये है।

(ग) सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू होने से कोई वास्तवित प्रभाव नहीं पड़ता है। इन कार्यों में नई दिल्ली में विभिन्न कार्यालयों से सम्पर्क बनाये रखना और राज्य सरकार द्वारा भेजे गये विशिष्ट मामलों पर शीघ्र कार्यवाही करना शामिल है।

भारतीय पत्तनों पर जहाजों से माल उतारने में विलम्ब

*680. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन कम्पनियों ने भारतीय पत्तनों पर जहाजों से माल उतारने में असाधारण विलम्ब की प्राय: शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विलम्ब के कारणों की जांच की है, और

(ग) इस विलम्ब के निवारण के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राघुरमैया) : (क) कुछ बड़े पत्तनों में पत्तन श्रम द्वारा हड़ताल या धीमी चाल की युक्ति के कारण पोतपरिवहन में विलम्ब के बारे में शिकायतों के अलावा, पोत मालिकों से भारतीय पत्तनों में पोतों की धराउठाई में असाधारण विलम्ब के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी बंगाल में प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग की कार्यवाहियां

*681. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया और 24 परगना जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जिनमें अल्पसंख्यकों का बहुमत है, प्रगतिशील मुस्लिम लीग ने वहां एक व्यापक संगठन स्थापित कर दिया है;

(ख) क्या यह प्रगतिशील मुस्लिमलीग संगठन ने विभिन्न प्रकार का साम्प्रदायिक प्रचार करना शुरू कर दिया है और वह मुस्लिम समुदाय को साम्प्रदायिक तथा धार्मिक आधार पर गठित करने के लिए जोरदार प्रयत्न कर रही है;

(ग) क्या मार्क्सवादी दल भी इस साम्प्रदायिक दल के साथ मिल गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस दल के साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मुर्शिदाबाद, नादिया और 24 परगना के सीमावर्ती जिलों में प्रगतिशील मुस्लिम लीग की यूनिटें हैं।

(ख) दल उस क्षेत्र में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) दल की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है।

समाचार पत्र कार्यालयों तथा मोटर गाड़ियों पर हमलों को रोकने के उपाय

*682. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष ने समाचार-पत्र कार्यालयों तथा मोटर गाड़ियों पर हमलों को, जैसे हाल में कलकत्ता में हुए हैं रोकने के लिये सरकार से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ऐसे अवैध कार्यों की कड़ी निन्दा करती है। राज्य सरकार स्थिति पर दृढ़ता और कृतसंकल्पता से कार्यवाही कर रही है ।

विदेशियों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र

*683. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालिजों में नौकरी के लिए विदेशियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त अवधि में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालिजों में कुल कितने विदेशियों को नौकरी दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़तालों पर रोक

*684. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त सलाहकार-व्यवस्था के बारे में प्रस्तावित विधान में यह उपबन्ध करने का विचार है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल पर स्थायी रोक लगा दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लगभग सभी संगठनों ने इसका विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य-मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने वाले प्रस्तावित विधेयक के किसी विरोध के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये सीमा आयोग

* 685. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) पंजाब सीमा आयोग की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है और यदि हां, तो आयोग के गठन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके निर्देश-पद क्या होंगे और इसे किस तिथि तक गठित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). समस्त विचारार्थ विषय तैयार करने के लिए सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों के बीच आपसी बात-चीत को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न किया गया था। चूंकि इस प्रयत्न का कोई प्रभाव नहीं हुआ अतः भारत सरकार आयोग के लिये विचारार्थ विषय निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। अस्थायी विषय के तैयार किये जाने के बाद पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ परामर्श किया जायेगा।

Re-organisation of Muslim League in India.

*686. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Muslim League is again being organised in various parts of the country ;

(b) whether this organisation is receiving aid from foreign countries ; and

(c) if so, the steps being taken to check the activities of this organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) : The Indian Union Muslim League has recently opened new units in some States.

(b) : Attention is invited to the statement of the then Home Minister on May 14, 1969 in the Lok Sabha regarding the receipt of funds from foreign sources by political organisations etc.

(c) : Government are considering the question of enacting suitable legislation to deal with objectionable activities of communal organisations.

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

* 687. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने 30 जून, 1970 से काम करना बंद कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों की जो उसके विभिन्न प्रतिवेदनों में की गई हैं, क्रियान्विति पर नजर रखने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के किस विभाग ने सम्भाला है, और

(ग) क्या सरकार का विचार एक समिति जिसमें संसद सदस्य भी हों स्थापित करने

का हैं जो यह देखे कि सरकार उन सिफारिशों के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलम्ब न करे और यदि हां, तो यह समिति कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग ने 30 जून, 1970 के अपराह्न से कार्य करना बंद कर दिया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग का सम्बन्ध केवल सिफारिशें करने से था। मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर नजर रखते हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में होटलों के निर्माण के लिए दिया गया धन

*689. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में होटलों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) चौथी योजना में कितने होटलों का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) क्या इन होटलों के निर्माण का प्रारम्भिक कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा चौथी योजना में सात होटलों के निर्माण तथा उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विस्तार के लिए 6.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एयर इंडिया द्वारा दो होटलों के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	स्थान	निर्माण की प्रगति	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4
1.	बंगलौर	छठे फ्लोर तक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और स्विमिंग पूल वातानुकूलन तथा लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है।	1971 के शुरू में।
2.	कोवालम (होटल व समुद्रतटीय कुटीर काम्प्लेक्स)	निर्माण कार्य मानसून के बाद प्रारम्भ किया जायेगा।	कुटीरें सितम्बर, 1971 तक तथा होटल अक्तूबर, 1972 तक।

1	2	3	4
3.	कलकत्ता विमानक्षेत्र	निर्माण कार्य अक्तूबर 1970 में प्रारम्भ हो जायेगा ।	सितम्बर, 1972.
4.	औरंगाबाद	रेलवेज से औरंगाबाद होटल लेने का प्रस्ताव है। नये होटल के निर्माण के लिए नियत की गई धन-राशि इस होटल के विस्तार के काम में लाई जायेगी ।	
5.	श्रीनगर	इन परियोजनाओं के बारे में	
6.	गुलमर्ग	व्यवहार्यता अध्ययन किये जा चुके	
7.	जयपुर	हैं तथा निर्माण कार्य बाद में हाथ में लिया जायेगा ।	

सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन

*690. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गतवर्ष भारत की यात्रा करने वाले यूनेस्को के एक विशेषज्ञ द्वारा भारत में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और भारत के पुरातत्व-सर्वेक्षण विभाग के मध्य और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित करने का सुझाव दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटन विभाग तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच अधिक निकट समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से, सांझे हित के मामलों पर बातचीत करने के लिये एक सम्पर्क समिति का गठन किया गया है जिसमें पर्यटन के महानिदेशक, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सम्मिलित है ।

संग्रहालयों, मन्दिरों आदि से चुराई गयी पुरातन वस्तुएं

4321. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1969 से जुलाई 1970 तक संग्रहालयों, मन्दिरों तथा पुरातत्वीय रुचि के स्थानों से चुरी राष्ट्र पुरातन वस्तुओं, प्रस्तर मूर्तियों, ताँबे की मूर्तियों, लघु मूर्तियों तथा अन्य दुर्लभ वस्तुओं की किस्म तथा मूल्य क्या है ;

(ख) बरामद की हुई वस्तुओं की कुल संख्या तथा मूल्य क्या है और ये कहां-कहां से प्राप्त हुई हैं, और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं ;

(ग) क्या इस षडयंत्र में कला तथा पुरातन वस्तुओं के कुछ व्यापारी शामिल हैं ; और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ; और

(घ) सरकार ने मूल्यांकन मूर्तियों तथा पुरातन वस्तुओं आदि की बड़े पैमाने पर चोरी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा प्रशासित संग्रहालयों, पुरातत्वीय संग्रहालयों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से 1-6-1969 से 31-7-1970 की अवधि में चोरी गई तथा बरामद की गई वस्तुओं की अपेक्षित सूचना व्यक्त करने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4092/70] क्योंकि ये वस्तुएं बिक्री के लिए नहीं हैं अतः नकदी में इनका मूल्यांकन करने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि मामले अभी तक पुलिस की जांच-पड़ताल में हैं, इसलिए अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के अथवा चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम देना संभव नहीं है।

(घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4092/70]

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'घेराव' कानूनी अपराध

4322. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (घेराव) एक कानूनी अपराध है जो भारतीय दण्ड संहिता के धारा 340 के अन्तर्गत दण्डनीय है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी कुछ समय पूर्व ऐसा ही निर्णय किया था और ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). घेराव जिसमें किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोकना अथवा अवैध रूप से बन्द रखना शामिल है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 339 और 340 के अन्तर्गत दण्डनीय है। इस स्थिति की पुष्टि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जै इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड तथा अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा अन्य मुकदमे के निर्णय में की गई थी। यह निर्णय आल इंडिया रिपोर्टर 1968 (पृष्ठ 407-492) में सूचित किया गया है।

अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विशेष कोटा

4323. **श्री स० मों० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक श्रेणी विशेष के सहायकों के लिये अनुभाग- अधिकारी के

ग्रेड में पदोन्नति के लिये रिक्त पदों का एक विशेष कोटा निर्धारित किया गया है जो वरीयता सूची में कनिष्ठ हैं परन्तु जिनकी सेवा अवधि अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस श्रेणी के सहायकों को सहायक ग्रेड में स्थायी करने के उद्देश्य से समय-समय पर हुई विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में स्पर्धा के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ सभी अवसर दिये गये थे परन्तु वे असफल रहे; और

(ग) यदि हां, तो असफल सहायकों का उनकी तुलना में जिन्होंने परीक्षा देकर सफलता सिद्ध की है वरीयता दिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि वे सहायक जिन्होंने उस ग्रेड में लम्बी सेवा की है किन्तु वरिष्टता सूची में जिनकी स्थिति बहुत नीची है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई, विभागीय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहे हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुभाग-अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिए विशेष कोटा

4324. **श्री लकप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक श्रेणी विशेष के सहायकों के लिये अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिये रिक्त पदों का एक विशेष कोटा निर्धारित किया गया है, जो वरीयता सूची में कनिष्ठ हैं परंतु जिनकी सेवा अवधि अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नतियों की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे सहायकों के लिये विशेष ग्रेड आरम्भ करने की संभावनाओं पर विचार करने का है ताकि अन्य व्यक्तियों की पदोन्नतियों की संभावनाओं पर कुप्रभाव डाले बिना उनकी वित्तीय क्षतिपूर्ति की जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). सहायकों के लिए, जिनकी सहायक ग्रेड में लम्बी अवधि की अनुमोदित सेवा हो, उनके लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पदों का एक कोटा निर्धारित करने का निर्णय किया गया है । यह निर्णय उन सहायकों की भारी संख्या के हित में किया गया है जिन्होंने एक लम्बी सेवा की है और जिनके लिये वरीयता में उनकी निम्न स्थिति के कारण अगले ऊँचे ग्रेड पदोन्नति के अवसर नहीं हैं । यह संयुक्त सचिवों की समन्वय समिति की सिफारिश पर आधारित है जो विभागीय पदोन्नत सहायकों की वरीयता निर्धारण तथा इसके परिणामस्वरूप उनके पदोन्नति के अवसरों में कमी की शिकायतों की जांच करने के लिये बनाई गई थी । इस कोटे की, लम्बी सेवा के सहायकों के लिए व्यवस्था अन्य वर्गों विशेषत: सीधी भर्ती और 1960 की परीक्षा के छोड़े गये सहायकों समेत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा वर्ग के कोटों में उपयुक्त समंजन करके की गई है । इसको दृष्टि में रखते हुए ऐसे सहायकों के लिये विशेष ग्रेड आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फाजिल्का तहसील का हरियाणा में विलय

4325. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चंडीगढ़ विवादों पर भारत सरकार के निर्णय के अनुसार फाजिल्का तहसील का हरियाणा में कब तक विलय हो जाएगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : जैसा कि 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है, हरियाणा राज्य को फाजिल्का तहसील के भाग का हस्तांतरण उन भागों के हस्तांतरण के साथ-साथ होगा जिन पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं के पुनर्समंजन के दावों और प्रतिदावों की जाँच करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लिया जाना है। यह बताना कि यह कार्य किस समय तक पूरे हो जायेंगे संभव नहीं है।

प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार व्यवसायी विमान-चालक

4326. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यवसायी विमान चालक अब भी बेरोजगार हैं जबकि एअर इंडिया और इन्डियन एअरलाइन्स निगम में प्रशिक्षित विमान चालकों की कमी है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस समय तथा आगामी वर्षों में विमान चालकों की अपेक्षित संख्या के संबंध में कोई अनुमान लगाया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रशिक्षण प्राप्त 250 विमान चालकों के जो देश में अभी बेरोजगार हैं; एक संघ का अगस्त 1970 में नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में गठन किया गया था ;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि उक्त संघ ने अपने एक संकल्प में सरकार से आग्रह किया है कि वे विमान द्वारा छिड़काव करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी पाने के लिये भारत में विदेशी विमान चालकों के प्रवेश पर रोक लगाये तथा भारतीय विमान चालकों के लिये नौकरी की व्यवस्था करे; और

(ड.) यदि हां, तो इन बेरोजगार विमान चालकों को रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि इस सम्बन्ध में बिल्कुल सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि 30 जून, 1970 को 963 विमान चालकों के पास व्यावसायिक वर्गों के विमान चालन लाइसेंस थे। इनमें से 720 के नौकरी में लगे होने का पता है।

इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर-इन्डिया दोनों ने ही अगले कुछ वर्षों में विमान चालकों की अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ग) और (घ). इस प्रकार का समाचार हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(ङ.) वाणिज्यिक विमान चालकों की सेवाओं की आवश्यकता के संबंध में जब भी कोई आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें फ्लांइग क्लबों आदि में प्रसारित कर दिया जाता है।

आसाम-नागालैंड सीमा-विवाद

4327. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि गत दो वर्षों में आसाम और नागालैंड में सीमा-विवाद के कारण इन दो राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी क्षति पहुँचाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की तथा कितनी क्षति की गई है और इस कारण कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा वहां कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सीमा विवाद कब सुलझाया जायेगा तथा सीमांकन कब किया जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). असम और नागालैंड सरकारों से प्राप्त सूचना से यह संकेत होता है कि विवादग्रस्त क्षेत्रों में समय-समय पर हुई घटनाओं के कारण सरकारी तथा गैर सरकारी संपत्ति को कुछ क्षति होती रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई जन हानि अथवा कोई गंभीर चोट का मामला नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्य सरकारों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से ऐसे मामलों में समुचित ढंग से काम में नहीं लाया जा सकता है।

(घ) ऐसे मामलों को निपटाने के लिये कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

जासूसों की गिरफ्तारी

4328. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा राज्यवार गिरफ्तार किये गये जासूसों के नाम क्या हैं तथा कुल कितने जासूसी गिरोहों का पता लगाया गया ;

(ख) उन जासूसों के नाम क्या हैं जो इस अवधि में जेल में हिरासत में होते हुए भी पाकिस्तान को बच निकले ;

(ग) कितने जासूसों पर अभी अभियोग चलाया जाना है ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार के समाचार मिले थे कि कुछ जासूस श्री शेख अब्दुल्ला से सीधा सम्पर्क बनाये हुए हैं ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ङ-) सरकार द्वारा जासूसों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जो कि विभिन्न राज्यों में शान्ति को खतरे में डाल रहे हैं और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड और उड़ीसा की राज्य सरकारों और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव, मिनिकाय व अमिनदीव द्वीप समूह मनीपुर और पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से शून्य सूचना प्राप्त हुई है।

शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना प्रत्याशित है।

(ङ-) जासूसी की गतिविधियों से निपटने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

मैसर्स अनिल साइंस आपरेटर्स वर्क्स वर्धा पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापा मारना

4329. **श्रीमती तारा सप्रे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय (विदेशी मुद्रा) द्वारा 28 अप्रैल, 1964 को अनिल साइंस आपरेट्स वर्क्स, वर्ग के निवास स्थान अथवा कार्यालय पर छापा मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो छापे का क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या निदेशालय द्वारा कोई विभागीय जांच कराई गई थी ;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला था ; और

(ङ-) क्या जब्त की गई वस्तुएं प्रवर्तन निदेशालय के गोदामों में बेकार पड़ी हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) से (ङ). अप्रैल, 1964 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्धा में अनिल साइंस आपरेट्र्स वर्क्स के भवन की तलाशी नहीं ली। फिर भी बम्बई में श्री अरविंद दीक्षित जो कहा जाता है कि वर्धा और बम्बई के अनिल साइंस आपरेट्स वर्क्स का मालिक है के अधिकार में कुछ मकानों को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 28-4-64 को विदेशी मुद्रा के अनधिकृत लेन-देन के आरोप में तलाशी ली और उन भवनों से कुछ कागजात बरामद किए। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में आवश्यक जांच करने के बाद निर्णयादेश के लिए मुकदमा चलाया है। श्री दीक्षित के बम्बई के मकान से कुछ कर लगाने योग्य वस्तुएं प्राप्त की जो बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सीमा शुल्क कानून के अन्तर्गत जब्त की थीं। प्रवर्तन निदेशालय का सम्बन्ध कर लगाने वाली वस्तुएं जब्त करने से नहीं है।

बंगलौर में विमान चालकों द्वारा दिया गया ज्ञापन

4330. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जुलाई, 1970 को जब उन्होंने बंगलौर का दौरा किया, बहुत अधिक विमान चालकों ने उन्हें ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बेरोजगार विमान चालकों की मांगों की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

पाकिस्तानी आक्रमण के समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक से सहयोग तथा सहायता मांगा जाना

4337. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने देश पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक से सहयोग तथा सहायता मांगी थी; और

(ख) क्या 1965 में दिल्ली में यातायात नियंत्रण का कार्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक को सौंपा गया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ अन्य स्वयं सेवक संस्थाओं के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ स्वयं-सेवकों ने 1965 में दिल्ली में यातायात की कुछ ड्यूटियाँ की थीं ।

एयर इन्डिया और इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क पास

4332. **श्री लोबो प्रभु** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 जुलाई, 1970 के "करैन्ट" साप्ताहिक में प्रकाशित एक समाचार के संदर्भ में एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों और उनके संबंधियों को कितने और किस प्रकार के नि:शुल्क पास दिये जाते हैं और उनकी लागत कितनी है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि ये कर्मचारी शुल्क-मुक्त वस्तुएं न ला सकें जैसा कि आरोप लगाया गया है कि वे करते हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स दोनों द्वारा निर्मित विनियमों, यात्री मांगों की पूर्ति करने के बाद सीट उपलब्ध होने की अवस्था में, अपने सभी कर्मचारियों के लिये नि:शुल्क/रियायती यात्रा-टिकट देने की व्यवस्था की गई है । क्योंकि यात्रा-टिकट सीटों की उपलभ्यता (सब्जेक्ट-टू-लोड) के आधार पर दिये जाते हैं, अत: कारपोरेशन को उनके द्वारा दिये गये भोजन पर होने वाले थोड़े से व्यय को छोड़ कर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता । उपयोग किये गये नि:शुल्क यात्रा टिकटों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एयर इंडिया ने सूचित किया है कि विमान पर उपलब्ध होने वाली मदों की बिक्री के सम्बन्ध में, किराया अदा करने वाले यात्रियों की मांगें सामान्यतया स्टाक-स्थिति के अधीन

पूरी की जाती हैं तथा बिक्री के लिये प्रस्तुत किये गये मदों की अनुपलब्धता की किसी भी यात्री से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

एयर लाइंस के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

4333. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के कर्मचारियों को उनकी अर्हता वाले दूसरे कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते देने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : महाप्रबंधक तथा वित्तीय नियंत्रक के पदों को छोड़ कर, अपने कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने की शक्तियां एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स में निहित हैं । वे समानता तथा निकट समानता को यथा-संभव बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं ।

दुबाई में पकड़े गये भारत वासी

4334. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 मई, 1970 को एक अरब स्टीमर में दुबाई जाने के लिये अवैध समुद्री यात्रा करते हुए 170 भारतीय पकड़े गये हैं;

(ख) क्या इन सभी भारतवासियों को अरब के नौवहन एजेन्टों द्वारा दुबाई जाने का प्रलोभन दिया गया था; और

(ग) क्या सरकार को इस मामले के तथ्यों के बारे में कोई जानकारी है और यह आश्वासन देने के लिये, कि भारतीय समुद्र तट से कोई अवैध यात्रा नहीं की जायगी, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 180 भारतीयों को जो एम० एस० वी० शहनाहन नामक एक अरब दुबाई अवैध रूप से फारस की खाड़ी के देशों को जा रहे थे सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 18 मई, 1970 की रात्रि को किन्नौर तट से दूर गिरफ्तार कर लिये गये और बलाइपट्टम पुलिस अधिकारियों को सौंप दिये गये । बलाइ पट्टम पुलिस ने उत्प्रवास अधिनियम (1922 का 7वां) की धारा 25 (1) के अंतर्गत अवैध उत्प्रवासियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया । सीमाशुल्क अधिकारियों ने दुबाई के चालकगण के विरुद्ध भी कार्यवाही आरंभ की है । इस प्रकार की अवैध यात्रा को रोकने के लिये समुद्री तट पर पूरी पूरी निगरानी रखी जाती है ।

Loss to Crops and Lives as a Result of Land Grabbing Programmes Launched in Various States

4335. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the organisations of political parties which have made a declaration to launch the land grab stir for the poor and the landless in the various States and the date by which these parties claim to achieve their targets ;

(b) the names of the States in which crops have been forcibly reaped and damaged so far as also the acreage of the crops so reaped and damaged ;

(c) the number of persons killed, seriously injured, arrested and being prosecuted among the owners of the lands, their servants, helpers, supporters etc. and the result of the said drive in each State :

(d) the full details in this regard as per the information collected by Government ; and

(e) the details of the above information in the case of West Bengal before and after the imposition of the President's rule there, separately ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (e). Facts are being ascertained.

देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों की गणना

4336. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों की गणना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार वैज्ञानिकों और तकनीशनों की सेवाओं का उपयोग करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्। सन् 1961 की जनगणना के साथ वैज्ञानिकों और तकनीकी लोगों के सर्वेक्षण का प्रयत्न किया गया था। सर्वेक्षण का आशय वैज्ञानिक और तकनीकी लोग चाहे वे रोजगार पर हों। बेरोजगार हों, अवकाश प्राप्त हों या विद्यार्थी जो तकनीकी पदवी या डिप्लोमा प्राप्त हों परंतु ऊँची पदवी या डिप्लोमा का उच्च अध्ययन कर रहे हों का समाविष्ट करना था। गणना के समय इन योग्यताओं वाले व्यक्तियों को पता तथा डाक टिकट युक्त पोस्टकार्ड भेजे थे और उन्हें भर कर वापिस भेजने का अनुरोध किया था। यह पाया गया कि केवल लगभग 65.337 व्यक्तियों ने कार्ड वापस भेजे थे।

(ख) इस सर्वेक्षण का विस्तृत ब्यौरा "सेन्सस आफ इन्डिया पेपर नं० 1 आफ 1966" शीर्शक पुस्तक में है सर्वेक्षण के परिणाम सेन्सस आफ इन्डिया 1961 खण्ड-1 भाग 2-सी (1) सामाजिक और सांस्कृतिक तालिका में भी प्रकाशित हुए हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ). वैज्ञानिक और तकनीकियों के लिये अतिरिक्त रोजगार की संभावनाओं को उत्पन्न करने के लिये विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसंधान और विकास की सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर 25 मई, 1970 को हुई बैठक में विज्ञान और तकनीकी संबंधी मंत्रियों के स्थाई दल द्वारा विचार किया गया था और योजना के तथ्य तैयार किये जा रहे हैं।

वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिये रोजगार के अवसरों को उन्नत करने के लिये विज्ञान और अनुसंधान परिषद द्वारा कई उपाय किये गये हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी

प्रभाग एक नियोजन चालू रजिस्टर रखता है। योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के ब्यौरे जो रोजगार के लिये उपलब्ध हैं इस रजिस्टर में दर्ज किये जाते हैं। उनके नाम नियोजन एजेंसियों को अधिसूचित रिक्तियों के लिए भेजे जाते हैं।

(2) वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के लिये वर्गीकृत रिक्तियों की एक सूची मासिक तकनीकी जनशक्ति पत्रिका (सी० एस० आई० आर०) में भी प्रकाशित की जाती है जिसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों, तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों समेत लगभग 3,000 संस्थाओं को उनकी सूचना और निर्देशन के लिये वितरित किया जाता है।

(3) विदेश से लौटने वाले उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकियों को अस्थाई नियोजन कराने हेतु एक वैज्ञानिक समुच्चय स्थापित किया गया है।

(4) सभी अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्या पदों के निर्माण को सरकार ने प्राधिकृत किया है जिन पर विदेश में कार्य करने वाले अथवा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में से शीघ्र अस्थाई नियुक्तियां की जा सकती हैं।

(5) योग्यता उन्नति योजना के अंतर्गत वैज्ञानिकों को गुणों पर पदोन्नति और अग्रिम वेतन दिये जाते हैं।

(6) अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिये वरिष्ट वैज्ञानिक सहायकों से लेकर "सी" (700-1250 रु०) वैज्ञानिकों के स्तर तक के वैज्ञानिकों के गुणों का पांच वर्ष में एक बार मूल्यांकन किया जाता है।

(7) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं। संस्थाओं तथा बाहर के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में फैलोशिप प्रदान किये जाते हैं।

(8) अनुसंधान करने के लिये विश्वविद्यालयों तथा बाहर के अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिकों को सहायता अनुदान भी दिया जाता है।

मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या और समान नैतिक संहिता

4337. **श्री देवराव पाटिल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या सीमित करने के निहित सिद्धांत वाला तथा समूचे देश के लिए समान नैतिक संहिता वाले विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कब तक इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने का विचार कर रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दल बदल सम्बन्धी समिति ने मंत्रि-

परिषदों के आकार को सीमित करने की सिफारिश की थी। दल बदल सम्बन्धी समिति की उन सिफारिशों को लागू करने के लिए विधायी प्रस्ताव बनाये गये हैं। संसद के समक्ष विधेयक पुनः स्थापित किये जाने से पूर्व विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इन पर विचार-विमर्श किया जायेगा। सारे देश के लिए सामान्य नैतिक संहिता बनाने के उद्देश्य से विधान लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Indirapuri Village Named after Shrimati Gandhi

4338. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to a news-item published in the Weekly, 'Current' dated the 27th June, 1970 under the caption "Indirapuri Naxalite-village named after Mrs. Gandhi";

(b) if so, the extent of truth therein ;

(c) the factual position in this regard ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). Facts are being ascertained.

विदेशों द्वारा आयोजित दौड़ों में भारतीय जोकियों द्वारा भाग लिये जाने पर प्रतिबन्ध

4339. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में होने वाली दौड़ों में भाग लेने के लिए विदेशी जोकियों को अनुमति दी जाती है;

(ख) क्या उन सम्बद्ध देशों द्वारा वहां पर आयोजित दौड़ों में भारतीय जोकियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में पारस्परिक समानता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Eligibility or Investigators for Promotion to Grade IV Services

4340. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10420 on the 20th May, 1970 and state :

(a) whether in the Indian Statistical Service Rules, 1969, the rule governing the suitability for inclusion in the list of officers eligible for promotion to Grade IV Service makes no mention that the condition regarding 4 years service means service rendered against regular posts only ;

(b) if so, the basis on which the five senior investigators shown working against ad-hoc post, were not found eligible for inclusion in the said list ; and

(c) the exact time by which the cases of these five investigators are likely to be disposed of and their names included in the said list giving them benefit with retrospective effect ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir:

(b) Even though the rules does not specify regular appointment, according to the general principles of seniority, service in any post or grade counts for promotion only if such service follows regular appointment to that post or grade. In the case of the Senior Investigators of the Department of Statistics, out of ten who were recruited by that Department through the Union Public Service Commission in 1962, that Department showed only the first five to have been adjusted against regular vacancies on or before 31st December 1962, and the remaining five were shown as having been adjusted against regular vacancies only after 1st January 1963. Accordingly, the Ministry of Home Affairs, as Controlling Authority of the Indian Statistical Service, had only accepted the first five as eligible for promotion to Grade IV of the Indian Statistical Service, as only they had completed four years of regular service on 31.12.1966.

(c) The question is now under examination in consultation with the Department of Statistics and action will be taken to process the case quickly. It is however not possible to indicate any exact date by which these cases are likely to be disposed of.

दिल्ली के सिनेमाघरों में राष्ट्र-गान

4341. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली के सिनेमाघरों में प्रत्येक शो के अन्त में राष्ट्रीय गान होता है;

(ख) क्या यह सच है कि सिनेमा दर्शकों द्वारा राष्ट्रीयगान को उचित सम्मान नहीं दिया जाता क्योंकि उनमें से अधिकांश द्वारों की ओर दौड़ना आरम्भ कर देते हैं; और जो दौड़ नहीं सकते वे अपनी सीटों पर बैठे रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली सिनेमाघरों के प्रत्येक शो के अन्त में राष्ट्रीय गान पाया जाता है।

(ख) और (ग). आमतौर पर व्यक्ति खड़े होते हैं और जब राष्ट्रीयगान गाया जाता है तो उचित शिष्टता बनाये रखते हैं। फिर भी, समय समय पर दर्शकों की ओर से की गई गल्तियों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दिल्ली प्रशासन ने छविगृहों के मालिकों को हिदायतें दी हैं कि वे जनता से यह अनुरोध करते हुए सिनेमा स्लाइडें दिखायें कि जब राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का उचित सम्मान किया जाए और अपने कर्मचारियों को हिदायतें दे कि जब तक राष्ट्रीय गान बजाना समाप्त न हो जाय दरवाजे बन्द रखें।

मासिक बुलेटिन "यात्री" का निकाला जाना

4342. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला एडवरटाइजिंग सेल प्रामोशन भारतीय पर्यटन विकास निगम की ओर से मासिक बुलेटिन 'यात्री' निकाल रहा है;

(ख) इस बुलेटिन को तैयार करने में प्रति पृष्ठ लागत कितनी आती है;

(ग) क्या इस बुलेटिन में प्रयोग होने वाली अधिकांश सामग्री प्रेस इनफारमेशन ब्यूरो तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से आती है; और

(घ) क्या एडवरटाइजिंग सेल प्रोमोशन उनके मंत्रालय के प्रेस रिलेशन्स एडवाइजर के रूप में भी कार्य कर रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटन विभाग को मासिक समाचार विज्ञप्ति (न्यूज़ बुलेटिन) 'यात्री' का प्रकाशन भारत पर्यटन विकास निगम की ओर से 'दो एडवरटाइज़िंग एण्ड 'सैल्स प्रोमोशन कम्पनी' द्वारा अब भी किया जार हा है। यह पता लगाया गया है कि इस कम्पनी के मालिक 'इंडियन प्रेस एक्सचेंज लिमिटेड' हैं जिनके कि 99.94 प्रतिशत तक के शेयर 'हिन्दुस्तान चैरिटी ट्रस्ट' के हैं।

(ख) 5000 के मुद्रण आदेश पर 20 पैसे प्रति पृष्ठ।

(ग) विज्ञप्ति में प्रकाशित अधिकांश सामग्री 'एडवरटाइज़िंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन कम्पनी' द्वारा भारत और विदेशों में पर्यटन कार्यालयों से तथा पर्यटन उद्योग के अन्य खण्डों से लेकर संकलित एवं सम्पादित की जाती है।

(घ) जी नहीं।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार की पार्श्व सड़क परियोजना

4343. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पार्श्व सड़क परियोजना में उत्तरी भागों के बड़े बड़े अंशों के इधर-उधर थोड़े अंतराल के साथ पक्की सड़कों द्वारा मिलाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में पार्श्ववर्ती सड़कों के कई टुकड़ों के विभिन्न अनुभाग जिन की लंबाई कुल मिलाकर लगभग 89 मील होती है, हाल में यातायात योग्य नहीं है। इसका कारण कुछ मीलों में निर्माण में प्रगति की कमी का होना है।

बिहार में पार्श्ववर्ती सड़क के दो अनुभाग जिनकी कुल मिलाकर लंबाई 110 मील है। यातायात योग्य नहीं क्योंकि कुछ मीलों में प्रगति कम रही है। पार्श्ववर्ती सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों के पूरा होने पर ये टुकड़े यातायात योग्य बनाये जायेंगे।

Recognition to Shiksha Shastri Degree Awarded by Varanasi Sanskrit Vishwavidyalya, New Delhi.

4344. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) whether the Shiksha Shastri (B. Ed.) Degree of the Varanasi Sanskrit Vishwa Vidyalaya, 49, Model Basti, New Delhi is equivalent to B. Ed./B. T. degrees of other teach-

ers training colleges and the students who received it include the students who have passed their B. A./M. A. in any of the subjects ;

(b) whether the Shiksha Shastri (B. Ed.) degree of this Vishwa Vidyalaya is recognised only for teaching Sanskrit ;

(c) if so, the reasons for which the students of this college are being discriminated ; and

(d) whether Government propose to reconsider their decision in this regard and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) : As far as the Government of India are concerned, we have recognised the "Shiksha Shastri" degree of Varanaseya Sanskrit Vishwavidalaya as equivalent to B. Ed. for the limited purpose of employment as Sanskrit teachers. As regards, the institution at 49, Model Basti, New Delhi, referred to in the question, the Government have no informatton.

Controversial Passages in the Book 'Prachin Bharat' Published by Ncert

4345. **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) Whether many portions of the book "Prachin Bhart" (Ancient India), published by the National Council of Educational Research and Training, are controversial and have caused great resentment among a particular section of the people;

(b) whether the Delhi Administration has refused to prescribe this book in its schools; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There has been some criticism regarding a few statements contained in the book.

(b) The Delhi Administration have published an adapted version of the book and have prescribed the same in their schools.

(c) States and Union Territories are free to prescribe text books for schools under their control. National Council of Educational Research & Training books have been produced to serve as models. The books can be adapted to suit local requirements of syllabus subject to the provisions of the Copyright Act.

Use of Hindi by Indian Delegates to U.N.E.S.C.O.

4346. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Education & Youth** Services be pleased to state :

(a) the efforts so far made by Government to secure a place for Hindi in the deliberations of the U.N.E.S.C.O. and the results thereof; and

(b) the percentage of Indian delegates participating in the deliberations of the U.N.E.S.C.O. who delivered their speeches in Hindi and, if none of them spoke in Hindi, the reasons therefor ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V.K.R.V.Rao) : (a) U.N.E.S.C.O. have already included Hindi among its officials languages which implies that any amendments to the text of the Constitution, and any decision of the Conference regarding the Constitution and the legal status of UNESCO, shall be translated into Hindi. It also implies that the delegates can speak in Hindi. But if they do so, we shall have to provide for interpretation of their speeches into one of the working languages of the General Conference viz.. English, French, Russian and Spanish.

(b) According to available information, the late Maulana Abul Kalam Azad spoke in Hindustani during the General Conference of UNESCO held in India in 1956. Indian delegates have spoken in one of the working languages viz.. English due to the difficult in providing interpretation services in Paris for speeches in Hindi.

दिल्ली नगर उपक्रमों के बारे में मोरारका समिति का प्रतिवेदन

4347. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर उपक्रमों के बारे में मोरारका समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो कौनसी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है, और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम के दिल्ली परिवहन, दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम और दिल्ली जलप्रदाय एवं मल निर्वतन उपक्रम के बारे में दी गई मोरारका आयोग की रिपोर्ट की सरकार जांच-पड़ताल कर रही है।

'योग' विज्ञान का अध्ययन

4348. **श्री हेम राज :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 'योग' विज्ञान का अध्ययन यथा अध्यापन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, योग के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान तथा योग के लिए केन्द्र चलाने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी संख्या कितनी है और ये कहां-कहां स्थापित हैं; और

(ख) उनके मंत्रालय ने प्रत्येक को 1968, 1969 और 1970 के जून के अंत तक कितना अनुदान तथा सहायता दी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जहां तक शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को जानकारी है, भारत में ऐसी संस्थाओं की सूची विवरण I में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4093/70]

(ख) सूचना विवरण II में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 4043/70]

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने की मांग के समर्थन में बड़े पैमाने पर आन्दोलन के बारे में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री का वक्तव्य

4349. **श्री वे० कृ० दास चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने 17 जुलाई, 1970 को कलकत्ता में कहा था कि पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही मध्यावधि चुनाव की अपनी माँग को स्वीकार कराने के लिये पश्चिम बंगाल के लोग जल्दी ही बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के भाग (ख) का उल्लेख किया जाता है ।

वरिष्ट सरकारी अधिकारियों, इंजीनियरों और डाक्टरों के वेतन में विषमता

4350. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले संयुक्त सचिवों के वेतन में की गई अत्यधिक वृद्धि और हाल में अतिरिक्त सचिवों तथा राज्य के मुख्य सचिवों के वेतन में वृद्धि करने के निर्णय से इंजीनियरों और डाक्टरों तथा सामान्य प्रशासकों के वेतनों में और अधिक विषमता पैदा हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वेतन तथा पारिश्रमिकों में वर्तमान विषमता को तय करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) संयुक्त सचिवों और अतिरिक्त सचिवों के वेतन में संशोधन इन पदों के बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखकर सितम्बर, 1961 में संशोधन किया गया था । यह बढ़ाया गया वेतन इन पदों पर आसन्न सभी व्यक्ति को उपलब्ध किया जायेगा चाहे वह इंजीनियर हों या डाक्टर हों या सामान्य प्रशासक हो ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग इंजीनियरों व डाक्टरों समेत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे व सेवा की शर्तों की युक्तिसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । भारत सरकार इस आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

Ban on Entry of Hippies in India

4351. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the youngmen and women, who live like nomads and are called 'Hippies', have been continuously pouring into India from western countries for the last several years and, if so, their total present number;

(b) the names of the countries to which these Hippies belong and whether these Hippies enter into the Indian territory with valid passports;

(c) whether these Hippies stay in India for the specified period mentioned in their passports and notices are served on them on the expiry of their period of stay and, if so, the number of Hippies against whom action has been taken;

(d) the purpose for which these Hippies come to India; and

(e) whether Government propose to ban the entry of Hippies into India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research : (Shri K. C. Pant) : (a) No separate statistics of the arrival in India of such persons have been kept. However, there have been no reports to suggest that their number has been large.

(b) & (c). They come mainly from countries is Western Europe and North America. They are admitted only if they are in possession of valid passports and also visas, unless exempted as in the case of most of the Commonwealth countries and certain European countries. Where visas are required, suitable action under the law is taken if they do not leave the country on the expiry of the authorised period of stay. No separate statistics in respect of action taken against the Hippies in such cases have been kept.

(d) Generally, they come for tourism.

(e) There is no such proposal at present.

आसूचना विभाग के कर्मचारियों को स्थायी बनाना

4352. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसूचना विभाग के कार्यालय कर्मचारी वर्ग के कई व्यक्तियों को, जो 10 से 15 वर्ष से अधिक समय से सेवा में हैं, अभी तक स्थायी नहीं किया गया है हालांकि विभाग में मंजूरशुदा पद हैं ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो (एक) 10 वर्ष से अधिक (दो) 15 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं और जिनको अभी भी स्थायी नहीं किया है ; और

(ग) इस विभाग के कर्मचारियों को स्थायी करने के बारे में क्या नीति अपनायी गई है और उक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया जिसमें आसूचना विभाग के कार्यालय कर्मचारी वर्ग के उन लोगों की संख्या और कारण दिए गए हैं जो 10 और 15 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं और अभी स्थायी नहीं किए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4094/70]

(ग) कार्यालय कर्मचारी वर्ग में स्थायीकरण आसूचना विभाग कर्मचारी सेवा योजना और आसूचना विभाग लिपिक सेवा योजना के अनुबन्धों के अनुसार किया जाता है, जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमों की पद्धति पर क्रमशः गठित की गई है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमों के प्रतिरूप आसूचना विभाग आशुलिपिक सेवा नियम का प्रारूप तैयार किया गया है और छान-बीन की जा रही है। विभिन्न पदों में स्थाईकरण करने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों के मामलों की छान-बीन की जाती है और जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं उनको स्थायी रिक्तियों में स्थायी करने की आज्ञा ज़ारी कर दी जाती है।

केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग में स्टेनोग्राफर की सेवा

4353. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्त वार्ता विभाग की भारत सरकार के मंत्रालयों की सेवाओं के ढंग की अपनी सेवाएं हैं ;

(ख) क्या गुप्त वार्ता विभाग में स्टेनोग्राफर सेवा का अब तक गठन नहीं किया गया है, हालांकि यह बात काफी समय से विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक उक्त विभाग में स्टेनोग्राफर सेवा का गठन किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क)गुप्त वार्ता विभाग की अनुसचिवीय सेवा और गुप्त वार्ता विभाग की लिपिक सेवा का पुनर्गठन क्रमशः केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के नमूने पर पहले ही कर दिया गया है। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नमूने पर गुप्त वार्ता विभाग की आशु-लिपिक सेवा का पुनर्गठन करना इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। इसका अभी तक गठन नहीं किया गया है।

(ग) गुप्त वार्ता विभाग के आशुलिपिकों की सेवा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का, जिसके नमूने पर पुनर्गठन किया जाना है, दो अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ—प्रथम, द्वितीय वेतन आयोग सिफारिशों के परिणामस्वरूप और द्वितीय केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के 1-8-1969 से अध्यतन पुनर्गठित केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आधार पर गुप्त वार्ता विभाग के आशुलिपिकों की सेवा का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसको शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

बर्राढेमों कोयला खान में कर्मचारियों की गिरफ्तारी

4354. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने कतिपय दबावों के कारण बर्राढेमों कोयला खान क्षेत्र से बड़ी संख्या में खान कर्मचारियों को झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये श्रमिकों को छोड़ दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

इंजीनियरों के लिए रोजगार की संभावना

4355. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावहारिक माननीय शक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा "इंजीनियरों के लिए रोजगार की संभावनाओं" पर किए गए अध्ययन के निष्कर्षों का अध्ययन किया है जिसमें कहा गया है कि चौथी योजना काल के 1973-74 में भारत में 100,000 इंजीनियर बेरोजगार रहेंगे;

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरों की बढ़ती बेरोजगारी के क्या कारण हैं;

(ग) इंजीनियरों की बेरोजगारी को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्। यह अध्ययन एक कार्य-पत्र है इसे प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्था द्वारा सभी मंत्रालयों और अन्य अभिकरणों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखकर संस्था द्वारा इस पत्र की पुनः परीक्षा की जायेगी। अतः इसके वर्तमान रूप में कार्य-पत्र को अन्तिम नहीं माना जा सकता।

इस कार्य-पत्र में चतुर्थ तथा पंचम योजनाओं की अवधि में इंजीनियरों की मांग तथा पूर्ति का एक अनुमान लगाने का प्रयास किया है। ये अनुमान चतुर्थ तथा पंचम योजनावधि में आर्थिक विकास की दर, इंजीनियरी संस्थानों में भावी दाखलों की मात्रा तथा इन्जीनियरी रोजगार के नमूने के बारे में कई धारणाओं पर आधारित हैं। कार्य-पत्र में इन पूर्वानुमानों के आधार पर यह कहा गया है कि 1973-74 में एक लाख इंजिनीयर फालतू हो जायेंगे। तथापि, 1978-79 तक इंजीनियरों की मांग तथा पूर्ति के बीच कुल मिलाकर सन्तुलन हो जाने की सम्भावना है। पत्र इन निष्कर्षों की एक महत्वपूर्ण सीमा पर बल देता है। पत्र में यह माना गया है कि इंजीनियरी रोजगार का वही प्रतिरूप, जो 1964 तक था, जारी रहेगा। दूसरी ओर इंजीनियरों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे लघु उद्योग, विपणन, बिक्री, प्रबन्ध, परामर्श इत्यादि व इंजीनियरों के रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यदि ये प्रवृतियां इंजीनियरी रोजगार की पद्धति को विविध बना देती हैं तो उक्त पत्र में अनुमान लगाई गई फालतू इंजीनियरों की संख्या अधिक समझी जायगी।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में और उसके बाद देश की विभिन्न मांगों के आधार पर नियोजित इंजीनियरी संस्थाओं में प्रवेश की बढ़ी हुई क्षमता की पृष्ठभूमि की तुलना में आर्थिक गतिविधि में ढील करना मुख्य कारण रहा है। चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत में और बाद के वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर प्रारम्भ में पूर्वानुमानित दर से कम थी अतः नियोजन मार्शिट द्वारा खपाये जाने वाले इंजीनियरों की तुलना में इंजीनियरी संस्थाओं से अधिक इन्जीनियर पास होकर निकले।

(ग) और (घ). सरकार ने इन्जीनियरों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए मई, 1968 में अनेक उपाये आरम्भ किये। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वियन का सावधानी से पुनरीक्षण किया जा रहा है। इन उपायों को कार्यरूप दिये जाने में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अब तक की गई प्रगति के बारे में 31 जुलाई, 1970 की लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 823 का उत्तर देते समय सूचना दे दी गई थी।

Gandhi Darshan Exhibition at Rajghat, Delhi

4356. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the Gandhi Darshan Exhibition at Rajghat has been wound up and, if so, the reasons therefor;

(b) the arrangements made to prevent the loss of important exhibits at the Exhibition; and

(c) the details of the expenditure incurred and the assistance rendered by the Government of India in connection with the said Exhibition ?

The Minister of Education & Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) The exhibition displayed at Rajghat as part of the Gandhi Centenary was closed when the Centenary celebrations ended. But it is proposed to re-open some of the pavilions as a permanent exhibition.

(b) The Lt. Governor, Delhi, has been given the charge of GANDHI DARSHAN intact with all the exhibits, inventories of which have been prepared in detail. Necessary funds are being placed at the disposal of the Lt. Governor by the National Committee for the Gandhi Centenary for proper maintenance and up-keep.

(c) The Sub-Committee for Gandhi Darshan has been paid a sum of Rs. 1,04,22, 077.88 by the National Committee for Gandhi Centenary not of the funds placed at the disposal of the National Committee by the Government of India. In addition the Directorate of Advertising and Visual Publicity produced hoardings for display in different parts of the Capital for publicity of the Gandhi Darshan. The Railway authorities extended travel concessions to workers, demonstrators and artists in cultural programmes. Assistance was also rendered by the Government of India to the Railway Mobile Exhibition organised by the Sub-Committee for Gandhi Darshan.

Recruitment Rules for I. A. S. and I. P. S.

4357. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a copy each of the Rules, amended upto-date, regarding the recruitment and promotion of the Officers of the Indian Administrative Service and Indian Police Service will be laid on the Table of the House ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) **and** (b) : All the rules governing recruitment and promotion to the Indian Administrative Service and the Indian Police Service and the regulations, made under these rules after the 1st July, 1967, have been laid on the Table of the Lok Sabha as and when they were made, as required by Section 3(2) of the All India Services Act, 1951. The regulations made before the 1st July, 1967, will be laid on the Table of the Lok Sabha after the All India Services (Laying of Regulations Before Parliament) Bill, 1969 which is pending in the Lok Sabha, is enacted. A copy of these rules and regulations is contained in the All India Services Manual. The Manual as it is a priced publication, is not required to be laid on the Table of the Lok Sabha.

हावड़ा जिले के भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) श्रमित संघ नेता पर आक्रमण

4358. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले के बेल्ली-बेलूर क्षेत्र के श्री रामचन्द्र राय नामक भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) श्रमिक संघ के एक नेता को कुछ गुण्डों ने छुरे से मार कर हत्या कर दी थी जब कि वह 2 अगस्त, 1970 को बस में यात्रा कर रहे थे; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक नौ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और जाँच चल रही है ।

पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का स्थानान्तरण

4359. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री ज्योति बसु द्वारा कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लिखे गये पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्र में क्या आरोप लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थानान्तरित कुछ अधिकारियों और कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में की गई कार्यवाही की निंदा की गई थी ।

कैबरे कलाकारों के बारे में आचार संहिता

4360. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में प्रमुख होटलों ने कैबरे कलाकारों के बारे में किसी आचार संहिता पर अमल करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी संहिता दिल्ली में लागू की जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई के होटल और रेस्टोरेन्ट संघ के सहयोग से रिहायसी और गैर-रिहायसी होटलों में कैबरे प्रदर्शनों के लिए एक आचार संहिता बनाई है । उक्त आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ कैबरे प्रदर्शनों को एक विशेष स्थान पर करने, जो इस प्रयोजन के लिए नियत है, ग्राहकों और भोजन करने वालों के साथ न मिलने तथा कैबरे को अशिष्ठ तथा अशोभनीय न बनाने की व्यवस्था है ।

(ग) दिल्ली में कैबरे प्रदर्शनों को नियमित करने के प्रश्न पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल के सतर्कता आयुक्त को भेजे गये भ्रष्टाचार के मामले

4361. **श्री गणेश घोष** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के सतर्कता आयुक्त को भ्रष्टाचार के ऐसे कितने मामले भेजे गये जिनमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ग्रस्त थे;

(ख) इस अवधि में सतर्कता आयुक्त द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया; और कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) गत दो वर्षों में जिन आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के मामलों का निपटान किया गया, उन का ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल के सतर्कता आयुक्त द्वारा निपटाये गये, आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों में सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) आई० सी० एस०, आई० ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारियों के अभी तक अनिर्णीत पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) पश्चिम बंगाल के सतर्कता आयुक्त द्वारा जिन मामलों में अभी भी जाँच पड़ताल की जा रही है, उनमें उपर्युक्त श्रेणी के प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध किस प्रकार से आरोप हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ङ.). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

हावड़ा जिले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालयों पर हमला

4362. **श्री गणेश घोष** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में बेलियाघाट स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अनेक कार्यालयों पर हमला किया गया और 2 अगस्त, 1970 को गुण्डा तत्वों द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अनेक कार्यकर्ताओं को छुरा घोंपा गया था ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन व्यक्तियों को छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई अथवा जो घायल किए गए, उनकी संख्या क्या है ;

(ग) इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(घ) क्या अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ.). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दो व्यक्तियों पर, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक बताये जाते हैं, 2 अगस्त, 1970 को उत्तरी कलकत्ता के बलियाघाट पुलिस थाने के क्षेत्र में 6/7 व्यक्तियों ने आक्रमण किया। उसी दिन एक दूसरी घटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के मजदूर संघ के एक नेता को

हावड़ा जिले के बाली पुलिस थाने के क्षेत्र में बस में यात्रा करते समय छुरा घोंपा गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी घटना के सम्बन्ध में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम जांच-पड़ताल जारी है। सरकार को 2 अगस्त, 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यालयों पर आक्रमण के बारे में कोई सूचना नहीं है। फिर भी जाँच-पड़ताल की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में मारे गये और घायल हुए पुलिसमैन

4363. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968, 1969 और 1970 में अब तक पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर तैनात तथा ड्यूटी के बाद मारे गये तथा घायल हुए पुलिसमैनों की अलग-अलग संख्या कितनी है,

(ख) उनको अथवा मृतक पुलिस कर्मचारियों के वैध वारिसों और उत्तराधिकारियों को कितना मुआवजा दिया गया,

(ग) क्या पश्चिम बंगाल पुलिस एसोसिएशन ने सुरक्षा के कुछ उपायों की व्यवस्था करने की मांग की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए नौकरी की सुरक्षा

4364. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ अध्यापकों की सेवाओं को समाप्त करने के बढ़ते हुए मामलों के बारे में जनमत तैयार कर रहा है ;

(ख) क्या उसने यह सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय को भी अध्यापकों की नौकरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) दिल्ली विश्व विद्यालय ने बताया है कि अध्यापक संघ की ओर से ऐसी किसी कार्यवाही का उन्हें कोई पता नहीं है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, विश्व-विद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये सभी अध्यापकों की सेवा शर्तें अध्यापक द्वारा काम संभालने से पहले अथवा उसके तुरन्त बाद निष्पादित करने वाले सेवा-करार में सविहित होती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नागदा में खुदाई कार्य

4365. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागदा में कोई खुदाई कार्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिए नियत की गई राशि से वहां कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). जी हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1955-56 के क्षेत्र कार्य समय में नागदा, जिला उज्जैन में खुदाई की थी। एक सांस्कृतिक अनुक्रम के अभिग्रहण (ताम्रपाषाण और लौह युग) का पता चला है जो लगभग ईसा पूर्व 1700 से लेकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक व्याप्त था। प्राप्त वस्तुओं में, उल्लेखनीय हैं (i) काले चित्रित लाल भांड और ताम्र पाषाणयुगीन लघु पाषाण (ii) लौह युग के काले औपदार उत्तरी भांड।

(ग) इस स्थान पर खुदाई कार्य पहले ही प्रायोजित सीमा तक पूर्ण हो चुका है और इससे आगे पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता के लेक गार्डन डाकघर पर हमला करना

4366. **श्री मयावन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जुलाई, 1970 को एक युवक दल ने कलकत्ते के लेक गार्डन डाकघर पर छापा मारा, और

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस निष्क्रिय हो गयी थी और सम्बन्धित दोषियों को कोई दण्ड नहीं दिया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

शिक्षा पद्धति और विषय में सुधार तथा उसका आधुनिकीकरण

4367. **श्री मयावन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा योजना और प्रशासन में विशेषज्ञ यूनेस्को के डा० (मिसिज) बेहुला राजू ने हाल ही में दिल्ली में यह विचार व्यक्त किये थे कि विकासशील देशों की शिक्षा पद्धति तथा विषय में सुधार कर उसका आधुनिकीकरण करना चाहिए जिससे वे, समय के साथ प्रगति कर सके ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अन्य किन किन विषयों पर विचार व्यक्त किये थे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके सुझाव पर विचार किया है ;

(घ) क्या उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि यदि भारत अपनी शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण करना चाहता है तो यूनेस्को उसको सहायता देने के लिए तैयार है ; और

(ड.) यदि हां, तो उस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी, हां।

(ख) डा० राजू ने विकासन्मुख देशों में निरक्षरता की बड़ी व्यापकता का और विश्व में आज ज्ञानसंसार का जो विस्फोट हो रहा है, उसका उल्लेख भी किया।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

मिजो लोगों की विरोधी कार्यवाहियां

4368. **श्री मयावन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐजल और लुंगलेह में मिजोओं की गतिविधियों में वृद्धि हुई थी और वहां कुछ झड़पें भी हुई थीं जिनमें सुरक्षा दल के सैनिकों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री पर कब्जा किया था ;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए मिजो से तोड़-फोड़ सम्बन्धी एक योजना के दस्तावेज पकड़े गए थे ; और

(ग) क्या इसके बाबजूद भी भारत सरकार ने इस क्षेत्र में युद्ध विराम की अवधि बढ़ाई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से मिजो जिले में मिजो देशद्रोहियों की घुसपैठ के परिणामस्वरूप जुलाई के बाद से विद्रोहियों के साथ कुछ झगड़े होते रहे हैं। सुरक्षा दल द्वारा कुछ शस्त्र और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।

(ख) पकड़े गये विद्रोहियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें तोड़-फोड़ की गतिविधियां करने के कार्य सौंपे गये थे।

(ग) मिजो जिले में कोई युद्ध विराम अथवा लड़ाई की कार्यवाहियां स्थगित नहीं हुई हैं।

फिरोजपुर जिले (पंजाब) में पाकिस्तानी जासूसों का गिरफ्तार किया जाना

4369. **श्री मयावन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अगस्त, 1970 को फिरोजपुर जिले में दो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने अपने कुछ जासूस उत्तरी सीमाओं में भेज दिये हैं ;

(ग) मई, 1970 से लेकर कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों

में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। किन्तु पूछताछ की जा रही है।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार मई, 1970 से आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु की सरकारों, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह, चन्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, लक्कदीव, मिनिकाय व अमिनदीवि द्वीपसमूह, मणिपुर तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और नेफा में किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने मई, 1970 से अब तक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना दी है।

शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना प्रत्याशित है।

(घ) जासूसी गतिविधि का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर दुर्घटनाएं

4370. **श्री गुरचरण सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों में से राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर लुधियाना और दिल्ली के बीच में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है और उन्हें रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 1 पर लुधियाना और दिल्ली के बीच कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुरातन वस्तु (निर्यात नियन्त्रण) अधिनियम 1947 के संशोधन के बारे में भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग की सिफारिश

4371. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि पुरालेखीय संग्रहालय सम्बन्धी तथा ऐतिहासिक महत्व की सामग्री को विदेशों में भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक अध्यादेश जारी किया जाये;

(ख) क्या आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि पुरातन वस्तु (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के संशोधन किया जाये; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है अथवा पुरातन वस्तुओं की

बड़े पैमाने पर तस्करी के बारे में नवीनतम समाचारों को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य कठोर कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) अध्यादेश जारी करने के बारे में सिफारिश को सरकार ने नहीं माना था। किन्तु विद्यमान पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के स्थान पर एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और राज्य सरकारों को उनकी टीका के लिये परिचालित कर दिया गया है। विधेयक को उसके अंतिम रूप में, यथाशीघ्र संसद में पेश कर दिया जाएगा।

वीजा लेकर भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का पता न लगना

4372. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मंत्री वीजा लेकर भारत आये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का पता न लगाने के बारे में 3 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बीच ऐसे कितने मामलों का पता लगा लिया गया है और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय में अधिकारी इन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के मामलों के संबंध में अनजान बने रहने या उन्हें उचित दस्तावेज देने के लिये रिश्वत ले रहे हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन में सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

अंशशोधन (केलिब्रेशन) कार्य के लिये वायुयानों की खरीद

4373. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :

श्री बाबूराव पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्र द्वारा विमान को उतारने एवं अन्य दिशानिर्देश सम्बन्धी सहायता की व्यवस्थाएं जो कि देश के विभिन्न हवाई अड्डों में की गई हैं, उनकी नियमों के अनुसार 40-42,000 फुट की ऊँचाई तक की क्षमता (केलिब्रेशन) की समय समय पर जांच करना आवश्यक है;

(ख) क्या तीन साल पहले फ्रांस के पर्यटन के अवसर पर उन्होंने भारत के हवाई अड्डों में क्षमता की जांच के कार्यों के उपयुक्त एक खास प्रकार का वायुयान देखा था और उनके मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव भी इस बात से सहमत हुए थे;

(ग) क्या कथित वायुयान की खरीद के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो विलम्ब का क्या कारण है और कब तक इस पर निर्णय लिये जाने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 'उपस्कर अवतरण पद्धति' तथा 'यथावत अवतरण रेडार' को निम्न ऊँचाई पर शोधित (कैलिब्रेशन) करने की आवश्यकता होती है। परन्तु कुछ अन्य दिक्चालन साधनों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की सिफ़ारिश है कि उनका शोधन परिभ्रमण-तुंगता (क्रूजिंग एल्टिट्यूड) पर होना चाहिये।

(ख) यू० के० भ्रमण के दौरान मुझे एक अधिक ऊँचाई पर शोधन कार्य के लिये उपयुक्त विमान "फैनजेट फैल्कन" में उड़ान करने का अवसर मिला। मंत्रालय ने एक ऐसे विमान को खरीदने के प्रस्ताव पर विचार किया और यह निर्णय किया गया कि अनावश्यक व्यय तथा दोहरे प्रयत्नों से बचने की दृष्टि से रक्षा प्राधिकारियों से परामर्श कर इस मामले की विस्तृत जांच की जाये।

(ग) और (घ). मामला अभी विचाराधीन है।

इंडियन एयर लाइन्स का यात्रियों की बढती हुई मांगों को पूरा करने में असमर्थ होना

4374. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स यात्रियों तथा माल यातायात के लिये बढ़ती हुई मांगों को पूरी तरह पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ख) क्या देश में बहुत से बेरोजगार विमान चालक हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर, यदि उसे क्रयादेश मिलें तो अधिक एच० एस०-848 विमानों की सप्लाई करने में समर्थ है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय हित को देखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यक्रम के अतिरिक्त संचालित होने वाली विमान सेवाओं को चलाने के लिये लाइसेंस देने के बारे में निर्बन्धात्मक नीति में सुधार करने का सरकार का विचार है; जब तक एयर लाइन्स अधिक विमान सेवाओं की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में समर्थ न हो जाये; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ग). यात्रियों तथा माल सम्बन्धी वहन क्षमता की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के लिये, इंडियन एयर लाइन्स ने 7 बोइंग 737-200 विमानों के लिये आदेश दे दिये हैं जिनके कि दिसम्बर, 1970 तथा 1971 के बीच मिल जाने की आशा है। उन्होंने एच० ए० एल०, कानपुर को भी दस और एच० एस०-748 विमानों के लिये आदेश दे दिये हैं जिनके कि 1971 तथा 1972 के वर्षों के दौरान मिल जाने की आशा है।

(ख) यद्यपि इस संबंध में बिल्कुल सही सही सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि 30.6.1970 तक 963 विमान चालकों के पास चालू व्यावसायिक वर्गीय विमान चालक लाइसेंस थे। उनमें से लगभग 750 रोजगार पर लगे हुए हैं।

(घ) और (ङ). नियमों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालन न किये जा रहे मार्गों पर अनुसूचित परिचालनों के परमिट दिये जा सकते हैं। इस विषय में सभी प्रार्थनापत्रों की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है।

नक्सलवादी प्रहारों के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार की आसूचना रिपोर्ट

4375. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार की आसूचना रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि वहां नक्सलवादियों का अगला धावा खंड विकास अधिकारियों के कार्यालयों तथा दण्डनायकों की अदालतों पर होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस परिस्थिति से निपटने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार को जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यालयों समेत कार्यालयों पर नक्सलवादियों द्वारा आक्रमण किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है और ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिये कानून के अनुसार कार्यवाई की जाती है।

स्नातकोत्तर संस्थान चंडीगढ़ के तकनीकी कर्मचारियों को स्थाई बनाना

4376. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ के नानसिविल कर्मचारियों को 6 जून, 1970 से स्थायी किया गया है, और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस प्रकार उन्हें पंजाब सरकार के कर्मचारियों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं और पेंशन संबंधी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है;

(ग) उन्हें उनके सम्बद्ध राज्यों में नियत करने से पूर्व ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जबकि सरकार स्वीकार करती है कि उनका नियतन किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का अपने निर्णय में पुनरीक्षण करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चण्डीगढ स्थानीय सलाहकार समिति में रेहड़ी वालों को प्रतिनिधित्व देने की मांग

4377. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि रेहड़ी वाले बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति में उनके प्रतिनिधि को लिया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा सूचित किया

गया है कि चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति में रेहड़ी यूनियन प्रतिनिधि को शामिल करने के लिये 2-7-70 को रेहड़ी यूनियन चण्डीगढ़ के सचिव ने एक अभ्यावेदन दिया। चण्डीगढ़ स्थानीय सलाहकार समिति में व्यक्तियों के नामांकन के लिये कोई नियत मानदण्ड नहीं है। फिर भी, यह देखने के लिये सावधानी बरती जाती है कि राजनैतिक, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, अनुसूचित जातियां, विश्वविद्यालय, व्यवसायों, प्रैस, ग्रामीण क्षेत्रों, सामाजिक संगठनों, श्रम संगठनों इत्यादि जैसे विभिन्न हितों को समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। समिति में श्रम-प्रतिनिधि पहले से हैं और समिति को बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के पुस्तकालय में पुस्तकों का रख-रखाव

4378. **श्री वासुदेव नायर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 से राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का पुस्तकालय जिसमें हजारों पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं उक्त परिषद के परिस्कर में स्थित एक ऐसे गोदाम हैं जहां नमी रहती है और जो बहुत ही खराब हालत में हैं;

(ख) क्या नगर चौधरी पुनर्विलोकन समिति ने 1969 में यह सिफारिश की थी कि इस पुस्तकालय को उचित ढंग से संचालन किया जाये;

(ग) क्या इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। पुस्तकालय दो उपभवन ब्लाकों में स्थित है जिसकी छतें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की हैं तथा फर्श सीमेंट के हैं जो सील रोक सकते हैं। पुस्तकालय में पठन कक्ष की सुविधाएं भी हैं। पुस्तकों के लिये दी गयी जगह पर्याप्त है। परिषद के केम्पस के भवन-नक्शों में पृथक पुस्तकालय ब्लाक की व्यवस्था है और भवनों के तैयार होते ही पुस्तकालय को वहां ले जाया जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) विभागीय समिति द्वारा मामले की पूरी तरह जांच की गयी है जिसके बाद पुस्तकालय के लिये जगह दुगनी करदी गयी है। पुस्तकों को पुनः व्यवस्थित किया गया है और आवश्यकतानुसार उनकी सूची बना दी गई है। और अधिक सुधारों का सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Inclusion of Life Sketches of Fminent Persons in Text Books for Children

4379. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to include the life-sketches of eminent persons in the text books meant for small children ; and

(b) if so, whether the life-sketches of Gokhale, Tilak, Gandhi, Lohia and Tagore are proposed to be included in these text books ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) & (b) : School text books are prescribed by the State Governments. Life sketches of eminent persons generally do find a place in books for Social Studies and Languages. The National Council of Educational Research and Training have also a programme for producing short biographies or eminent personalities as supplementary readers. Under this programme the following titles have already been published :-

1. Akbar
2. Raja Ram Mohan Roy
3. Lal Bahadur Shastri
4. India-The Land and the People
5. Bahuroopee Gandhi
6. The Story of my Life
7. The Finger on the Lute (the story of Mahakavi Subramania Bharti).
8. Gautama Buddha
9. Jassu Chrisi
10. Zarathushtra
11. Moses
12. Sir Syed Ahmed Khan
13. The Life and Work of Meghnad Saha

Dropping of Names of Communities/Religions from nomenclatures of Educational Institutions in Delhi

4380. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to drop the names of communities or religions from the nomenclatures of colleges and educational institutions in Delhi which have been named after one community or religion or the other ; and

(b) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b) : The requisite information is being collected from the concerned authorities in Delhi and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Mutual disputes in Gokhale Institute of Politics and Economics

4381. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether he is aware that the Gokhale Institutes of Politics and Economics, Poona is involved in mutual disputes ; and

(b) if so, whether Government dropose to take steps to resolve these disputes and take other remedial action ?

The Minister for Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Ye Sir,

(b) The Government of India has no authority to deal with this dispute or to take any measures in this regard since it is entirely with in the competence of this autono-

mous organisation and of the University of Poona to which it is affiliated. Moreover, this dispute is now pending before a court of law.

Development of Allahabad as Tourist Centre

4382. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the difficulty being experienced by Government in Developing Alladabad into a tourist centre keeping in view the increasing number of pilgrims going there to see the Triveni, (Sangam), Fort, Bhardwaj Temple, the Kumbh and the Ardh Kumbh fairs ; and

(b) whether Government propose to take an early action in this direction ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : Government is aware of the importance of Allahabad. During the Kumbh and Magh fairs most of the pilgrims stay near the confluence of the two rivers in accomodation provided by various social organisations. There are also a number of hotels, serais and dharamshalas which meet the requirement of pilgrim of traffic. There are two hotels approved by the Department of Tourism and a 24-bed Tourist Bungalow (Class II) constructed by the State Government with 50% assistance from the Department of Tourism. The State Government has made a provtsion of Rs. 1 lakh during fourth Plan period for expanding the accomodation in the Bungalow.

नई दिल्ली में पुलिस स्टेशन में खून से लतपथ पाया गया अभियुक्त

4383. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साइकिल की चोरी के अभियुक्त एक युवक को 28 जुलाई, 1970 को तुगलक रोड, नई दिल्ली, स्थित थाने में लाए जाने के थोड़े समय बाद वहां की हवालात में खून से लतपथ पाया गया था,

(ख) क्या इस घटना की सरकार ने जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) । (क) से (घ). दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई, 1970 की शाम को साइकिल चोरी के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस थाना तुगलक रोड़, नई दिल्ली में हवालात में रखा गया था । थोड़ी देर बाद ड्यूटी पर पुलिस संतरी ने उसे फर्श पर सिर मारते हुए तथा बहता खून देखा। उसे सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया । यह भी बताया जाता है कि चिकित्सा अधिकारी का, जिन्होंने अभियुक्त को देखा, मत था कि घाव ताज़े थे और स्वयं किए गए थे । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अधीन मामला दर्ज किया गया है तथा जांच-पड़ताल हो रही है।

इन्डियन एयर लाइंस के लिये जम्बो जेट विमान

4384. **श्री सरजू पाण्डेय : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयर लाइन्स में जम्बो जेट विमान सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हवाई अड्डों को परिवर्तित करने पर होने वाले खर्च पर विचार किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं : इंडियन एयरलाइन्स कोई जम्बो जेट नहीं ले रहे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Recruitment of Hindi Translators.

4385. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a written test was held recently for the recruitment of Hindi Translators on a regular basis ;

(b) if so, the date when the test was held, the number of candidates who took the test and the number of those out of them who have already been working on ad-hoc basis ;

(c) the number of those who qualified in the said test ; and

(d) whether most of the persons who have been appointed on regular basis could not qualify this as well as the last examination and, if so, the details thereof s

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir,

(b) Two tests were held on 7.5.70 for the selection of Hindi Translators on a regular basis. Twenty-four candidates, including all the four wko were working on ad-hoc basis, took these tests.

(c) and (d) Selections were made on a competitive basis by allotting an appropriate peacentage of marks for the written test, seniority, confidential report and interview. There was, therefore, no question of qualifying in the written test.

Officers of Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology working in Education Ministry

4386. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education ann Youth Services** be pleased to state :

(a) whether some officers and Employees of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology are working in the main Ministry at present whereas they get salaries, etc., out of the budget of the Commission or the Central Hindi Directorate ;

(b) whether the said employees work overtime in the Ministry and their overtime bill is paid by the Commission or the Directorate ;

(c) if so, the total amount of overtime allowance given to them during the last two years, monthwise, out of the budget of the Commission or the Direetorate for working overtime in the Ministry ; and

(d) the reasons for not giving overtime allowance to them out of the budget of the Ministry and for not sending them back to their parent offices and for not appointing other suitable persons in their place in the Ministry itself ?

The Minister of State in the Ministry of Education & Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir. One Research Assistant, belonging to the combined cadre of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology is working in this Ministry for handling the Hindi work in the Language Division. Another Senior Research Officer is also assisting this Ministry in the Hindi Translation of the Parliament Questions etc., for the current session of the Parliament.

(b) Only in respect of the Research Assistant. The Senior Research Officer is not entitled to overtime allowance.

(c) A statement showing the monthwise figure of overtime allowance drawn by the Research Assistant has been placed on the table of the House. (Placed in the Library See. L. T. No. 4095/70)

(d) So far as the first part of the question is concerned, overtime allowance is paid from the same source from which a Government amployee draws his salary.

As regards the second part, the services of the Senior Research Officer have been borrowed temporarily to cope with the heavy increase in Hindi translation work connected with the Parliament session. He will be sent book after the current session of the Parliament is over. The Research Assistant is required to handle work in connection with the meeting of the Htndi Shiksha Samiti and the Central Hindi Committee which would normally have been entrusted by the Ministry in the Central Hindi Directorate. He has been located in the Ministry in the interest of administrative convenience and expeditious disposal of the work of these Committees.

दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोटा

4387. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**

श्री मोलहू प्रसाद :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोटा आरक्षित करने के बारे में 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3694 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अर्हता प्राप्त समस्त अभ्यार्थियों को नियुक्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विषय वार उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नई दिल्ली में एक अमरीकी पर्यटक के साथ कथित बलात्कार तथा उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा जाना

4388. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जुलाई, 1970 को पालम हवाई अड्डे से आ रहे एक 27 वर्षीय अमरीकी

पर्यटक के साथ किये गये कथित बलात्कार तथा उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले की जांच कराई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). एक अमेरीकन महिला पर्यटक की शिकायत पर 28-7-70 को पुलिस थाना, दिल्ली छावनी में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 342/265/376 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था और टैक्सी चालक तथा उसके साथी को ढूंढ लिया गया और 30-7-70 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच-पड़ताल पूरी हो गई है। तथा मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए मामले की संवीक्षा की जा रही है।

कश्मीर में हुई विचार-गोष्ठियां तथा सम्मेलन

4389. **श्री भगवान दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जुलाई, 1970 तक कश्मीर में कितनी ऐसी विचार गोष्ठियां तथा सम्मेलन हुए जिन में विदेशियों ने भाग लिया;

(ख) प्रत्येक विचार-गोष्ठी तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशियों के नाम तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने इन सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया था उन के नाम तथा ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का कार्य

4390. **श्री भगवान दास** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी;

(ख) इसे स्वायत्तशाही निकाय के रूप में कब परिवर्तित किया गया था तथा इस को कम्पनी अधिनियम निधि के अन्तर्गत कब पंजीकृत किया गया था;

(ग) वर्ष 1967-68 से अब तक लाभ तथा हानि के लेखे सहित इस का वर्ष वार कार्य-करण क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि गत चार पाँच वर्षों से निगम की अकार्यकुशलता, भृष्टाचार, कुप्रबन्ध तथा प्रशासन पर भारी काम के कारण हानि उठानी पड़ रही है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो हानि के अन्य क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख).

केन्द्रीय सड़क परिवहन संगठन जो नवम्बर सन् 1962 में भारत सरकार का विभागीय उपक्रम के तौर पर स्थापित किया गया था, दिनांक 6-3-1964 को कम्पनी अधिनियम सन् 1956 के परन्तुक के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी में बदल दिया गया था। कम्पनी ने विभागीय संगठन का परिसंपति और देयता को अपने पास लिया।

(ग) निगम को सन् 1967-68, 1968-69, 1969-70 और 1970-71 (वर्ष के चौथाई के अन्त ता० 30 जून 1970) तक क्रमशः 16.69 लाख, 24.80 लाख 19.30 लाख और 1.92 लाख की हानि हुई। यह हानि मूल्य ह्रास, और कर्ज पर सूदब्याज और निगम की गाड़ियों की वीमान के बाद का है। सन् 1969-70 और 1970-71 के आंकड़े अस्थायी हैं।

(घ) और (ड.). निगम की निम्नाँकित मुख्य कारणों से हानि हुई :

(1) ठीक ठीक देखभाल और मरम्मत करने की सुविधाओं का अभाव जिसके परिणाम-स्वरूप बेकार गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हो गई।

(2) टायरों और ट्यूबों को प्राप्त करने में कठिनाई।

(3) पैरादीप में 30 फीट की ऊंचाई तक पहाड़ी भागों में चढ़ाई पर माल उतारने के स्थान तक गाड़ियों को चलाया जाने के कारण अवधि से पहले ही टायरों का बेकार हो जाना।

(4) बहुत से कारणों से गाड़ियों के परिचालन से कीमतों में वृद्धि जैसे टायरों और ट्यूबों की कीमत में वृद्धि, यच यस डी और लुवरिकेट (स्नेहाक) फालतू पुर्जे और बैट्रियां गाड़ियों पर कर और मजदूरों की मजदूरियां इत्यादि में सैंगत वृद्धि के बिना भाड़ा दरों का बढ़ जाना।

(5) 1967-68 में ड्राइवरों और खलासियों की 47 दिन की हड़ताल और 1968-69 में पूर्वी क्षेत्र में सब प्रवर्तन अमला द्वारा की गयी 39 दिन की हड़ताल;

(6) पन्सकुरा-हल्दिया रास्ते पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये भार प्रतिबंध और पारादीप पर गाड़ियों का अनुचित तौर पर रोका जाना, और

(7) बाढ़ के कारण उत्तरी बंगाल और आसाम यातायात का अस्त व्यस्त हो जाना।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त निम्न कारणों से भी 1969-70 में घाटा हुआः—

(1) 1-7-1969 से नये वेतन क्रमों के लागू करने के फलस्वरूप ड्राइवरों, खलासियों और यांत्रिक अमला की मजदूरी में वृद्धि।

(2) सबसे पहली बार आमला के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था।

(3) ड्राइवरों और अनधिकृत रूप से खलाशियों द्वारा लापरवाही तथा अति तेज चलाने के कारण हुई दुर्घटनाएं।

(4) आसाम में दूसरी रिफाइनरी स्थापित करने के सम्बन्ध में उसे राज्य में भारी आन्दोलन होना जिसके फलस्वरूप सितम्बर-अक्तूबर, 1969 में लगभग दो सप्ताह तक यातायात ठप्प रहा; और

(5) कलकत्ता पत्तन में हड़ताल और नवम्बर दिसम्बर 1969 में लगभग एक मास तक कलकत्ता में अशांति जिसके परिणाम स्वरूप यातायात लगभग बंद रहा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज

4392. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इस समय सम्बद्ध कालेजों के नाम क्या हैं; और

(ख) निकट भविष्य में उससे अन्य कौन-कौन से कालेज सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम में कालेजों के समबन्धन की व्यवस्था नहीं है। तथापित अधिनियम में इस कार्य के लिए उन शर्तों पर जो इसके लिए समय समय पर निर्धारित किए जाएं संस्थानों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में मान्यता देने की व्यवस्था है। इसमें कर द्वारा संस्थानों को विश्वविद्यालय में सम्मिलित करने के लिए भी व्यवस्था है।

अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी कालेज अथवा संस्था को मान्यता नहीं दी गई है। दो संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए भारतीय स्कूल तथा रूसी अध्ययनों के संस्थान, के विश्व-विद्यालय में शामिल किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, देश के विभिन्न भागों में इस समय रक्षा संगठनों द्वारा चलाये जा रहे 12 शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए बातचीत चल रही है।

पूर्वी पाकिस्तान की सहायता से मिजो विद्रोहियों द्वारा गुमटी पन-बिजली परियोजना स्थल पर आक्रमण किया जाना

4393. **श्री हिम्मतसिंहका** :

श्री किरित विक्रम देव बर्मन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जुलाई, 1970 को ईस्ट पाकिस्तान राइफल और पाकिस्तानी अर्ध सैनिक तत्वों की सहायता से मिजो विद्रोहियों के एक दल ने गुमटी पन-बिजली परियोजना स्थल पर आक्रमण किया था जिसमें कई व्यक्ति मारे गये थे और बहुत-सी सम्पत्ति जला दी गई थी या नष्ट कर दी गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें जान व माल की कितनी क्षति हुई ;

(ग) इस आक्रमण के कारण गुमटी परियोजना में कितना विलम्ब होगा और क्या परियोजना का कार्य अभी तक पुनः आरम्भ नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो परियोजना को समुचित रूप से पूरा करने के लिये और इस क्षेत्र में

सुरक्षा की भावना बहाल करने और घबराहट दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(ड.) उपर्युक्त घटना में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हाँ श्रीमान् ।

(ख) चार व्यक्ति मारे गये तथा सात घायल हुए। सम्पत्ति की क्षति का अनुमान 2,48,130 रुपये लगाया जाता है।

(ग) प्रायोजना के कार्य को स्थगित नहीं किया गया था ।

(घ) प्रायोजना पर और आस-पास से इलाकों में सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ कर दिये गये हैं। एक नया पुलिस थाना जतनवाड़ी में और एक पुलिस चौकी तीर्थमुख में खोल दिये गये हैं। गुमटी पन-बिजली प्रायोजना क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

(ड.) मृतकों के परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 1000-1000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। तीन परिवारों में से प्रत्येक के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी गई है। प्रभावित परिवारों को उदार राहत के रूप में 6,450 रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है और उन परिवारों को, जो अपनी सम्पत्ति खो बैठे हैं, ऋण देने का प्रस्ताव है।

एंडमंटन में भारतीय पहलवानों के दल द्वारा भाग लिया जाना

4394. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमंटन में भारतीय पहलवानों के दल ने बिना भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ही मार्च-पास्ट में भाग लिया था,

(ख) क्या कुश्ती-दल के अधिकारियों ने 10 डालर वसूल किये और इस प्रकार प्रत्येक पहलवान से विभिन्न खर्चों के लिये 5000 रुपये लिये गये जबकि वहां रहने और खाने की व्यवस्था निशुल्क थी, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में आवश्यक पूछ-ताछ की जा रही है और विवरण जिसमें पूछ ताछ के परिणाम दिये होंगे, यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Appointment of Director, Indian Institute of Public Administration

4395. **Shri N. Shivappa** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether her Ministry has received any representation against the appointment of a civil servant as Director of the Indian Institute of Public Administration ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) and (b). A number of representations had been received by Government against the appointment of a civil servant as Director of the I.I.P.A. The main criticism was that the Director should not be a serving civil servant.

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाना

4396. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने के लिये अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश (अधिनियम) को धारा 4 के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालय में अभी भी केन्द्र सरकार के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) केवल इसी अभियोग में कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है ;

(ग) क्या इन मामलों का जारी रखना सरकार के इस आश्वासन के प्रतिकूल नहीं हैं कि केवल हड़ताल में भाग लेने पर किसी को दण्ड नहीं दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत सभी अनिर्णित मामलों को वापिस लेने के बारे में कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 12 राज्य सरकारों और 8 संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1023 केन्द्रीय कर्मचारियों पर अत्यावश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश (अधिनियम) 1968 की धारा 4 के अन्तर्गत अपराध के लिये विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चलाये जा रहे थे।

(ख) न्यायालयों में मामले विचाराधीन होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने जनवरी 1969 में एक छूट की घोषणा की थी कि उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जिनका हड़ताल में भाग लेना किन्हीं तत्वों के भड़काने के बिना केवल कार्य से अनुपस्थित रहने तक सीमित हो, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। फिर भी मुकदमों के मामले में सरकार की नीति कानून को अपनी कार्यवाही करने देने तथा न्यायकरण के मामले में हस्तक्षेप न करने की है। फिर भी संबंधित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे मामलों में, जिनमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये कार्यवाही करने की दृष्टि से विचाराधीन मामलों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त मुकदमों को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है चाहे वे अत्यावश्यक सेवा में बनाये रखने अधिनियम 1968 के अन्तर्गत हों अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत हों।

धौला कुआं तथा राजा गार्डन चौक, नई दिल्ली के बीच रिंग रोड़ पर बिजली लगाना

4397. **श्री बलराज मधोक** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धौला कुआं से नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली के राजा गार्डन चौक तथा रिंग रोड पर, बिजली लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की क्रियान्विती करने में देरी के क्या कारण हैं ?

नौवहन तदा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। रिंग रोड पर धौला कुएं से नजफगढ़ रोड जंक्शन तक जिसमें उस इलाके में पड़ने वाला छावनी क्षेत्र अर्थात् जरीब० (धौला कुंआ) से जरीब 4800 तक तथा जरीब 17,900 से जरीब 26,300 (नजफगढ़ रोड चौराहा) शामिल नहीं हैं, पर बिजली लगाने के लिये हाल ही में स्वीकृति दी गई है। छावनी क्षेत्र के लिये मामले पर छावनी बोर्ड प्राधिकरण जो कि उस भाग में बिजली लगाने के लिये जिम्मेदार है, से लिखा पढ़ी चल रही है।

(ख) इस में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। छावनी में आने वाले क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र के लिये जिसे स्वीकृति हाल ही में दी गयी है, कार्य के शीघ्र आरम्भ होने की सम्भावना है।

पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा दलों के सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

4398. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन तहीनों के दौरान पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा दलों के सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 1-5-1970 और 30-6-1970 के दौरान पाकिस्तानी सीमा बल द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की 5 घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जुलाई, 1970 से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) पाकिस्तान अधिकारियों को उपयुक्त स्तर पर विरोध पत्र भेजे गये हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर गस्त बढ़ाने के साथ-साथ रोकथाम के उपाय मजबूत कर दिये गये हैं।

विवरण

(1) पश्चिम बंगाल

16 जून, 1970 को 300 पाकिस्तानी नागरिक पूर्व पाकिस्तान राइफल्स की सहायता से भारतीय क्षेत्र, सीमा चौकी नं० 219 और 2200 के समीप, जिला मालदा, पुलिस थाना बमन गोला के अदाताला क्षेत्र में घुस आये और 900 पशुओं को ले गये। दोनों देशों के सैक्टर कमांडरों की 28 जून, 1970 को बैठक हुई और पाकिस्तान ने 213 पशुओं को वापिस लौटाया।

(2) असम

12 मई, 1970 को 4 पूर्वी पाकिस्तान राइफल के कर्मचारी कुछ अनसार्स के साथ भारतीय क्षेत्र, जिला गारोहिल्स, पुलिस थाना महेन्द्र गंज के लौकाईचार के समीप घात लगाकर बैठे थे और वे एक भारतीय ट्रक को देखकर जो महेन्द्रगंज से मनकाचार की ओर जा रहा था, पाकिस्तान को भाग गए। पूर्वी पाकिस्तान राइफल को एक विरोधपत्र भेजा गया था।

(3) त्रिपुरा

5 जून, 1970 को हरी पोशाक में 5 पाकिस्तानी नागरिक वायरलैस सैट सहित भारतीय क्षेत्र, पुलिस थाना खोवाई के करंगीचेरा में अनधिकृत रूप से घुस आए परन्तु करंगीचेरा की अपनी सीमा गश्ती दल को देख पाकिस्तान वापस भाग गए। एक विरोध पत्र पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स को भेजा गया था।

(4) जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा पार से पाकिस्तानी सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा घुसपैठ के दो दृष्टांत हैं :—

(i) 12 जून, 1970 को करीब 9 बजे रात में अनुमानतः 15 पाकिस्तानी सिपाही कुपवारा सैक्टर में युद्ध-विराम रेखा को पार कर हमारे क्षेत्र में घुस आए और हमारी चौकी की तरफ बन्दूकों से गोली चलाई और उसके बाद फिर अंधेरे में अदृश्य होगए।

(ii) 21 जून, 1970 को सायं 7.25 और 8.30 बजे के बीच 4 पाकिस्तानी सिपाही कुपवारा सैक्टर में युद्धविराम रेखा को पार कर हमारे क्षेत्र में घुसे और हमारे गश्ती दल पर गोली चलाई। उसके बाद अपनी तरफ युद्ध-विराम रेखा में वापस हो गए।

दोनों मामलों में युद्ध-विराम अतिक्रमण करने की शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यवेक्षक से की गई है।

केरल की यात्रा करने वाले पर्यटक

4399. **श्री ई० के० नायनार** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल की कुल कितने पर्यटकों ने यात्रा की और सम्पूर्ण देश में यात्रा करने वाले पर्यटकों का यह कितने प्रतिशत है; और

(ख) केरल में पर्यटकों के यातायात को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1970 के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) आने वाले पर्यटकों के राज्य वार आंकड़ों का संकलन पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी ;

वर्ष	आने वाले पर्यटक
1967	179,565
1968	188,820
1969	244,724

हाल में किये गये एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार केरल में त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन की क्रमशः 3.1% तथा 2.6% पर्यटक यात्रा करते हैं।

(ख) पर्यटन स्कीमों के लिये निधियों का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता।

1970-71 के दौरान, कोवालम, समुद्र तटीय सैरगाह पर, जिसके कि लिये चौथी योजना 90 लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं, 4.20 लाख रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पेरियार वन्य पशु शरण-स्थान में पर्यटन सुविधाओं में अभिवृद्धि करने तथा त्रिवेन्द्रम में एक युवक होस्टल का निर्माण करने के प्रस्ताव हैं।

जाली नोट, जाली बी० ए० की डिग्री और जाली पार-पत्र बनाने वालों का गिरोह

4400. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा पुलिस ने राजस्थान में जाली नोट, ज़ाली बी० ए० की डिग्री और ज़ाली पार-पत्र बनाने वाला एक बड़ा गिरोह पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त गिरोह को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने ज़ाली करेंसी नोटों और पंज़ाब विश्वविद्यालय के बी. ए. के प्रमाण-पत्रों के बनाने वाले एक गिरोह का पता लगाया है कोटा जिले में तीन पुलिस थानों में तीन मामले दर्ज किये गये हैं। जांच-पड़ताल से पता लगा कि करेंसी नोट पंजाब राज्य में ज़लन्धर में छापे गये थे, जहां स्थानीय पुलिस ने मुद्रण के बहुत से ब्लाक और पंजाब विश्वविद्यालय की बी० ए० की डिग्री के जाली प्रमाण-पत्र बरामद किये। पंजपीर बाहय पुलिस चौकी, ज़लन्धर में एक मामला दर्ज किया गया। दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। दो संदिग्ध व्यक्ति फरार हैं। यह गिरोह विदेशी यात्रा चैकों, डालरों, हुंडियों, पार-पत्रों, विसाओं इत्यादि का प्रबन्ध करने में भी अन्तर्ग्रस्त था।

पालघाट में नक्सलवादियों द्वारा एक भूस्वामी की हत्या

4401. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नक्सलवादियों ने पालघाट जिले के एक गांव में एक बूढ़े भूस्वामी को उसके परिवार के सामने फांसी पर लटका कर मार दिया था और उसके सिर को उसके घर के द्वार पर लटका दिया था;

(ख) यदि हां तो उस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नक्सलवादियों के आक्रमण से लोगों की जान बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि लगमग 50 व्यक्तियों ने 30-7-70 की रात्रि को श्री नारायणन कुट्टी नायर नामक व्यक्ति के घर पर छापा मारा और घर के व्यक्तियों को बाँधकर ज़ेवरों नकदी आदि के लिए घर को छान डाला और गांधी जी के चित्र समेत कुछ चित्रों को क्षति पहुँचाई। श्री नारायणन कुट्टी नायर का सिर उनके घर के द्वार के समीप काट दिया गया था और उनका कटा हुआ सिर मुख्य द्वार पर रख दिया गया था। छापे मार उग्रवादी नारे लगा रहे थे। कोंगाड पुलिस थाने में एक मामला

दर्ज किया गया है तथा जांच-पड़ताल हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल का पर्यवेक्षण कर रहें हैं और अपराधियों को तलाश करने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता करने हेतु विशेष पुलिस दस्ता तैनात किया गया है।

(ग) राज्य सरकार कड़ी निगरानी रखे हुए है और कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

सितम्बर, 1968 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान इन्द्रप्रस्त भवन में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में की गई विभागीय जांच पर की गई कार्यवाही

4402. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गत हड़ताल के दौरान इंद्रप्रस्त भवन, नई दिल्ली में पुलिस अधीक्षक, दिल्ली और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कथित ज्यादतियों के सम्बन्ध में उनके आचरण के बारे में की गई विभागीय जांच का प्रति-वेदन उनके मंत्रालय को मिल गया है;

(ख) क्या सरकार ने प्रशासन को कोई अनुदेश जारी किए हैं जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो;

(ग) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या उपर्युक्त प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). यद्यपि कोई औपचारिक अनुदेश नहीं दिये गए थे फिर भी दिल्ली प्रशासन से परामर्श करके उस अवसर पर जो समस्या उत्पन्न हुई थी उस पर विचार उस दृष्टि से किया गया कि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति न हो।

(घ) विभागीय जांच से सम्बन्धित रिपोर्ट की सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी जांच अधिकारी का निष्कर्ष था कि दो अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए दोषारोप सिद्ध नहीं हुए। मामले की समुचित जांच करने के बाद अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया है।

Inclusion of Hindi Stenographers in Central Secretariat Stenographers' Service and Hindi Assistants in Central Secretariats Service

4403. **Shri Narayan Swaroop Sharma:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the Hindi Stenographers, who had passed the qualifying Examination of the U. P. S. C., have been included in the Central Secretariat Stenographers Service;

(b) Whether it is proposed to include in the Central Secretariat Service, those Hindi Assistants also who have qualified themselves in the competitive examination conducted by the U. P. S. C. ; and

(c) if so, when and, if not, the reasons for including the Hindi Stenographers in the Central Secretariat Stenographers' Service and for excluding the Hindi Assistants from the Central Secretariat Service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) It has been decided that the Hindi Stenographers who have qualified in the Hindi Stenography test conducted by the U. P. S. C. in 1963 should be inducted in Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service subject to their passing a further qualifying test in a written paper to be held by the U. P. S. C. Necessary amendments to the Rules have been issued on 17th of July, 1970.

(b) No, Sir.

(c) The duties of Hindi Stenographers are analogous to those of Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service and hence it was decided to induct them into the Central Secretariat Stenographers' Service. On the other hand, the duties and responsibilities of Hindi Assistants are entirely different from those of regular Assistants of the Central Secretariat Service. The Assistants of the Central Secretariat Service are employed in case work involving noting, drafting, etc, whereas Hindi Assistants are employed on translation work from Hindi to English and vice versa. In view of this, the question of inducting Hindi Assistants in the Central Secretariat Service does not arise.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करना

4404. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के नेताओं और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य मन्यस्थता योजना के उद्देश्य के लिये संवर्ग संघों को मान्यता नहीं देगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समझौते के बावजूद कुछ विभागों में संवर्ग संघों को मान्यता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्पष्ट सिफारिशों और समझौते के बावजूद ऐसी मान्यता देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) कर्मचारियों के नेताओं और सरकार के बीच 1966 में समझौता हुआ था कि संयुक्त सलाहकार व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थता योजना के उद्देश्यों के लिये केवल उन्हीं महा संघों/संघों/यूनियनों को मान्यता दी जाएगी जिन्हें अतीत में मान्यता प्राप्त थी और जो एक विभाग के सभी वर्गों के कर्मचारियों का व्यापक तथा पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु ऐसे विभाग की दशा में जहां अतीत में कोई मान्यता प्राप्त महासंघ/संघ/यूनियन न रही हो अथवा जहां वर्तमान महा संघ इत्यादि सभी वर्गों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व न करता हो तो अन्य संघ/यूनियनों को मान्यता दी जायेगी। यह देखा जा सकता है कि यह समझौता में ऐसे विभागों की दशा में सवर्ग संघों को मान्यता प्रदान करने से इन्कार नहीं करता है जहाँ अतीत में कोई मान्यता प्राप्त महा संघ/संघ/यूनियन नहीं रही हो अथवा जहां वर्तमान महा संघ इत्यादि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप में न करता हो।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सम्बन्धित सिफारिशें विचाराधीन हैं।

बम्बई और पानागढ़ के बीच जामायर एयरलाइन्स की विमान सेवायें

4405. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामायर एयर लाइन्स बम्बई और पानागढ़ के बीच विमान सेवायें चल रही हैं;

(ख) क्या इस एयरलाइन्स का किराया इंडियन एयरलाइंस के सामान्य किराये का दो-तिहाई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि इस गैर-सरकारी कम्पनी के लिये सस्ते किराये पर उड़ानें करना किस प्रकार सम्भव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। जामेयर एयर लाइन्स बम्बई तथा पानागढ़ के बीच अनुसूचित उड़ानें परिचालित करती है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स इस मार्ग पर परिचालन नहीं करते, तथा, इसीलिये, कोई समुचित तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अमृतसर तथा काबुल के बीच सामान ढोने वाली विमान सेवा

4406. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **पर्यटन तथा उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1961 में एक गैर-सरकारी विमान कम्पनी मैसर्स जामेर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को अमृतसर और काबुल के बीच सामान लाने ले जाने सम्बन्धी सेवा चालू करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को अन्य मार्गों पर भी सामान ढोने वाली विमान सेवा की सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा "कोई आपत्ति नहीं है" प्रमाण पत्र दिये जाने के आधार पर 'जामएयर' को 1961 में अमृतसर तथा काबुल के बीच अनुसूचित उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी गई थी।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप

4407. **श्री कं० हाल्दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन गम्भीर आरोपों की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस किसानों और श्रमिकों के विरुद्ध जोतेदार और नियोजकों की सहायता कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का किसानों और श्रमिकों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक कोई विशिष्ट दृष्टांत उनके ध्यान में नहीं आये हैं।

Demand for Autonomous Status for Andaman and Nicobar Islands

4408. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) Whether she is aware that the people of Andaman and Nicobar Island have been demanding an autonomous status for the islands since long;

(b) Whether they have been demanding that a Territorial Council should be constituted for this purpose by holding elections on the basis of adult franchise ;

(c) Whether Government have taken a decision in this regard; and

(d) If so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research : (a) & (b). There have been some demands for a representative Government answerable to the public and for establishment of a Territorial Council in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

(c) & (d). This territory is still in the process of development and it is felt that the time is not yet ripe for the setting up of a territorial council. There is, however, a Municipal Board for the urban area of Port Blair and Gram Panchayats are functioning in the rural areas in the Andaman Group of Islands.

Implementation of recommendations made by Whips Conference held in Madras

4409. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have considered the recommendations made at the All India Whips' Conference held in Madras last year;

(b) if so, the details of the recommendations accepted by Government; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time by which Government propose to take a decision in regard to the said recommendations ?

Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c). The recommendations of the Seventh All India Whips' Conference are still under consideration of the Central Government. These recommendations have also been forwarded to the Chief Ministers of States/Union Territories and the Presiding Officers for appropriate action. The Implementation Reports from many of the States/Union Territories are still awaited.

नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाना

4410. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अगस्त. 1970 को "टाइम्स आफ इण्डिया" में नक्सलवादी द्वारा पिता को फांसी पर लटकाना शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

पत्राचार पाठ्यक्रमों के तथा गैर-स्कूली छात्रों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रागण में प्रसारण केन्द्र की स्थापना

4411. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के तथा गैर-स्कूली छात्रों के लाभार्थ पाठों का प्रसारण करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रसारण केन्द्र की स्थापना की योजना किस स्थिति में है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : शिक्षा मंत्री के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा अभी विचार किया जाना है । फिर भी विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों और अविरत शिक्षा के स्कूल ने "वायु विश्वद्यिालय कार्यक्रम" के अन्तर्गत आकाशवाणी से स्कूल के विद्यार्थियों के लिये 17-8-70 से पाठों का प्रसारण करने का प्रबन्ध कर लिया गया है ।

हरिजनों पर प्रहार की घटनायें

4412. **श्री राम किशन गुप्त** :

श्री रविराय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों पर प्रहार करने की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1970 में ऐसी कितनी घटनायें हुई और कितने हरिजन मारे गये; और

(ग) हरिजनों पर ऐसे प्रहारों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाई की है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). राज्य संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1970 में नागालैण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन व दीव, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्कदीव, मिनिकाय व अमिन दीबि द्वीपसमूह, पांडिचेरी, नेफा और चंडीगढ़ में हरिजनों पर आक्रमण के कोई मामले नहीं हुए हैं । उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि गत कुछ वर्षों में हरिजनों पर आक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है । 1970 में ऐसी पांच घटनाएं हुई हैं जिनमें पांच हरिजनों की हत्या की गई है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि कानून व व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी सतर्क हैं और यह कि जब कभी किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का कोई पूर्व संकेत होता है तो निरोधात्मक उपाय किये जाते हैं । सभी विशिष्ट मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है और वरिष्ठ

अधिकारियों द्वारा जाँच-पड़तालों का पर्यवेक्षण किया जाता है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है।

भारत के पुराने प्रतिरक्षा नियमों और सुरक्षा अधिनियम के अधीन उपबन्धों को फिर से लागू करना

4413. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पुराने प्रतिरक्षा नियमों तथा सुरक्षा अधिनियम के ऐसे उपबन्धों को जिनकी अवधि विद्यमान नियमों में संशोधन करके बढ़ाई जा सकती है पश्चिम बंगाल राज्य में उनकी अवधि कब तक बढ़ाई जायेगी; और

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में निवारक निरोधक अधिनियम को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से निरोधक नजरबन्दी की व्यवस्था के लिए राष्ट्रपति अधिनियम के अधिनियमन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत गठित एक समिति से प्रस्ताव पर परामर्श किया गया था। समिति प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में विधि व व्यवस्था से निपटने के लिए अग्रिम विधायी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) द्वारा माओ के विचारों का प्रचार करने के लिए एक समिति की नियुक्ति

4414. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 अगस्त, 1970 के 'स्टेट्समैन' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने छात्रों में माओ के विचारों का प्रसार व प्रचार करने लिए एक पाँच सदस्यीय समन्वय समिति की स्थापना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) बड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य सरकारें साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) और अन्य उग्रवादी दलों की गतिविधियों का मुकाबला करने के सभी सम्भव कदम उठा रही है।

पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा में पाकिस्तानी जासूसों का जाल बिछाना

4415. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि

पाकिस्तान ने पूरे त्रिपुरा क्षेत्र में स्थानीय प्रभावशाली लोगों की सांठ गांठ से जासूसों का एक वृहद जाल-सा बिछा दिया है;

(ख) क्या हाल ही में ऐसे स्थानीय लोगों के नाम भी समाचार पत्रों में आये थे; और

(ग) जासूसों के गिरोह को समाप्त करने तथा उनसे सांठ गांठ करने वाले स्थानीय लोगों को गिरफ्तार करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में अब कितनी सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

त्रिपुरा के गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों की अलाभकारी सेवा की शर्तें

4416. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कालेज अध्यापक संगठन महासंघ ने और पश्चिम बंगाल कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापक संगठन ने इस वर्ष मार्च में त्रिपुरा के मुख्य मंत्री का ध्यान त्रिपुरा के गैर-सरकार कालेजों के अध्यापकों की सेवा की अलाभकारी शर्तों की ओर दिलाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1970 के 'तत्रपुरा टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचार की ओर भी दिलाया गया था कि इन कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें बहुत ही दयनीय है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सेवा की शर्तों को उचित बनाने और उन्हें ठीक समय पर वेतन आदि दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों में असन्तोष

4417. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों में असंतोष की भावना बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंत्रालय में उन कर्मचारियों की कुछ मांगों को निपटाने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). हाल ही में नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों का एक मान्यता-प्राप्त सेवा संगठन कुछ समस्याएं हमारे नोटिस में लाया है। इन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कें

4419. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके पश्चात प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित की गई सड़कों की लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना और उसके पश्चात् राज्य में कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित मध्य प्रदेश सरकार ने कितने प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में तथा उसके बाद अब तक केवल निम्नलिखित दो सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया :

राज्य	सड़क का नाम	लंबाई
आसाम	उत्तरीय साल्मारा से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सड़क जो प्राय: नलवारी, चाराली तथा अभीनगाओ से पाडू को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 पर जाती है ।	180 कि० मी०
पश्चिमी बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के साथ अपने जंक्शन (कालाघाट समीप के बीच राजमार्ग तथा वह बिन्दु जहाँ यह हल्दिया पत्तन का छुता है ।	51 कि० मी०

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाई गई सड़कों के बारे में, भारत सरकार ने धन की कमी के कारण राज्य सरकार को उनकी प्रार्थना को मानने की असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया था । जहां तक चौथी योजना के अंतर्गत वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नई सड़कों को शामिल करने का राज्य सरकार के प्रस्तावों का सम्बन्ध है, यह सारा प्रश्न धन की उपलब्धता तथा सड़कों की राष्ट्रीय राजमार्ग के वर्गीकरण के लिए कसौटी को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है ।

विवरण

1. तीसरी योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में जिन नयी सड़कों को शामिल करने का सुझाव दिया गया

1. इलाहाबाद, रेवा, शाहडोल, अमरकंतक, कमीची, विलासपुर तथा सिमगा रायपुरा मार्ग ।

2. मांडला, विछिया, मोतीनाला, पांछी, कवंदना तथा लगताला से जाने वाली जबलपुर-रायपुर की सड़क ।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति जिन नयी सड़कों को शामिल करने का सुझाव दिया गया ।

1. पिम्पलगाओं-निर्मल-जगदलपुर सड़क
2. इन्दौर-भूपाल सड़क ।
3. बियौरा-कोटा-जयपुर सड़क ।
4. जयपुर-सबाई माधोपुर-शिवपुरी सड़क ।
5. सम्भलपुर-अम्भीकापुर-शाहडोल-जबलपुर सड़क ।
6. रायपुर-विलासपुर-शाहडोल ।
7. अम्भीकापुर-दलतांगंज बड़ी सड़क ।
8. उवेदुल्लागंज (राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 12 पर)
   नागपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 6 तथा 7) तक
9. अहमदाबाद से इंदोर सड़क तक
10. ग्वालियर-झांसी सड़क, तथा
11. जबलपुर-रायपुर सड़क ।

राजपथों की मरम्मत पर किया गया व्यय

4420. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश के राजपथों की मरम्मत के लिए हुए कुल व्यय का वर्षवार विवरण क्या है और प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को वहां के राजपथों की मरम्मत के लिए इन में से कितनी प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी;

(ख) मध्य प्रदेश के राजपंथों की लम्बाई राजपथों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार को राजपथ की मरम्मत के लिये आवंटित की गई धन राशि वहां के राजपथ की लंबाई के प्रतिशत की तुलना में बहुत कम थी;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस साल राजपथों की मरम्मत के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से मध्य प्रदेश सरकार को कितनी दी गई ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कुल व्यय	मध्य प्रदेश में व्यय	मध्य प्रदेश में व्यय की प्रतिशतता	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की प्रतिशतता
		रुपये लाखों में		
1967-68	735.81	58.49	7.95	
1968-69	1136.52	67.41	5.93	लगभग 11 प्रतिशत
1969-70	1226.00	93.40	7.62	

(अनुमानित)

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव के लिये धन साधारण रख रखाव, सतह, पुनर्नवानीकरण और बाढ़ क्षति सहित विशेष मरम्मत के लिये होता है और खास राज्य में केवल उनकी लंबाई के सानुपात में आवंटित नहीं की जाती है परन्तु, इसके अतिरिक्त विभिन्न बातों जैसे यातायात गली की संख्या, यातायात तीव्रता, मजदूरी दर, अपेक्षित निर्माण सामग्री, मिट्टी का किस्म, जलवायु और भूप्रदेश हालात इत्यादि आवश्यकताओं के आधार पर आंकी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष बाढ़ क्षति मरम्मत के लिये आवश्यकताएं मरम्मत और बाढ़ की हालात पर निर्भर रहते हुए भी बहुत भिन्न होती हैं।

(ङ) 13.00 करोड़ रुपये जिसमें से 45.7 लाख रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार को आवंटन की पहली किस्त के तौर पर आवंटित की गई है जिससे केवल साधारण रख रखाव संघटक की पूर्ति हो सके। सभी राज्यों को सतह पुनर्नवीनीकरण, विशेष और बाढ़ क्षति जैसे रखरखाव के अन्य संघटकों के लिये और आवंटनों को मंजूर करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में सड़कों तथा पुलों का निर्माण

4421. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़, शाहडोल, रायपुर, दुर्ग और बालाघाट जिलों में 3822 मील लंबी सड़कें और 107 पुल बनाने का एक (विशेष कार्यक्रम और 1157 मील लंबी सड़कें और दस पुल बनाने का एक अन्य) प्रस्ताव चौथी योजना में सम्मिलित करने के और राज्य योजना के अतिरिक्त उसके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये योजना आयोग को प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, उनकी क्रियान्वित पर कितना खर्च होगा और उनके बारे में योजना आयोग तथा सरकार के निर्णय क्या हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, जुलाई 1967 में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे सुझाव योजना आयोग को मध्य प्रदेश के 8 जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क विकास के बारे में भेजे थे।

(ख) इन प्रस्तावों का सार देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन सड़कों के लिए राज्य सरकार ने राज्य योजना के अतिरिक्त कोई विशिष्ट केन्द्रीय सहायता नही मांगी। ये सड़कें स्थानीय सड़कें हैं। अतः राज्य सरकार अपने नियमित योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत उनका विकास करने से मुख्यतः संबंधित है।

विवरण

सरगूजा, बस्तर, विलासपुर, राजगढ़, शाहडोल, रायपुर, दुर्ग और बालाघाट जिलों की सड़कों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का सार।

क्र०सं०	जिला	लम्बाई मीलों में	बड़े पुल	लागत करोड़ रु० में
1.	सरगूजा	615	30	10.85
2.	बस्तर	1157	10	13.09
3.	विलासपुर	376	7	5.97
4.	रायगढ़	304	13	5.85
5.	शाहडोल	249	10	4.35
6.	रायपुर	471	12	7.25
7.	दुर्ग	389	13	3.83
8.	बालाघाट	261	12	4.62
	कुल	3822	107	55.81

पहाड़ी तथा बसोहली शैली के चित्रों का व्यापार

4422. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापारी लोग 17वीं से 19वीं शताब्दी के पहाड़ी तथा बसोहली शैली के दुर्लभ लघु चित्र (पेंटिगज विनियंकर) देहातियों से सस्ते दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें हिमाचल देश से बाहर ले जाते हैं;

(ख) क्या इन मूल्यवान वस्तुओं को बाहर ले जाने से रोकने में राज्य सरकार असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारत सरकार के पास इस विषय पर कोई सूचना नहीं है।

(ख) क्योंकि स्वामियों तथा व्यापारियों के द्वारा देश के भीतर चित्रों की वास्तविक खरीद अथवा बिक्री पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए उनके उद्गम के स्थानों से उनके बाहर भेजे जाने पर रोक लगाना संभव नहीं है।

(ग) सरकार शीघ्र ही पुरावशेषों पर एक विस्तृत विधेयक लागू करने का विचार रखती है, जो "वर्तमान पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947" का स्थान लेगा। प्रस्तावित विधेयक में पुरावशेषों के आंतरिक व्यापार को नियमित करने की कुछ व्यवस्था भी सम्मिलित है।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वर्तमान वेतनमान

4423. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ की तिहरे लाभ वाली योजना लागू करने सम्बन्धी माँग पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, इस सम्बन्ध में उनका प्रतिवेदन कब तक मिल जायेगा और इस योजना को लागू करने पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लागू की जाने वाली पहले से स्वीकृत योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य निर्वाह निधियुक्त पेंशनयुक्त उपदान तथा अंशदान निर्वाह निधि गृह उपदान की योजनाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में लागू करने के लिये नियम बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और समिति द्वारा सुझाए गये नियम अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी सरकार द्वारा इनकी जाँच की जानी है।

दो नई योजनाएं जिन्हें अब अपनाने का प्रस्ताव है विद्यमान अंशदान निर्वाह निधि योजना के बदले में हैं। इन योजनाओं की वित्तीय उलझनों का अभी समाधान नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियों की अवधि बढ़ाना

4424. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां देने सम्बन्धी योजना की अवधि वर्ष 1970-71 से पाँच वर्ष तक बढ़ा देने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) योजना से शुरू होने से लेकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(घ) क्या विदेशों में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात् लौटे हुए विद्यार्थियों को लाभप्रद कार्यों में नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) जी, हाँ।

(ख) जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का सम्बन्ध है मौजूदा शर्तों के आधार पर प्रत्येक को 4 छात्रवृत्तियां बढ़ा दी गयी हैं।

(ग) अनुसूचित जाति	...	65
अनुसूचित आदिम जाति	...	49

(घ) उनमें से अधिकतर लाभप्रद कार्यों में लगा दिये गये हैं। मंत्रालय में उपलब्ध सूचना विवरण में दी गयी है। जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4096/70]

भारत सर्वेक्षण विभाग में अनुभाग अधिकारियों का कार्य कर रहे नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन)

4425. **श्री नम्बियार** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत के सर्वेक्षण विभाग के ड्राइंग यूनिट के विभिन्न अनुभागों में डिवीजन एक (सामान्य ग्रेड) के नक्शानवीस अनुभाग अधिकारी के कार्य कर रहे हैं और पूरे अनुभाग का प्रभार संभाले हुए हैं ;

(ख) उक्त अनुभागों में अनुभाग अधिकारियों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार नक्शानवीस डिवीजन एक के कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन अनुभागों में अनुभाग अधिकारी नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). भारत सर्वेक्षण में "अनुभाग अधिकारियों" जैसाकि संवर्ग नहीं है। श्रेणी-I के नक्शानवीसों के पद पर्यवेक्षी हैसियत के हैं। ये नक्शानवीस अनुभागों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं जिनमें एक आलेख विभाग में श्रेणी-II के दस नक्शानवीस होते हैं। अतः श्रेणी-I के नक्शानवीसों को "अनुभाग अधिकारी" के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता।

Payment of Pension to Successors of Nawab of Aundh, Tipu Sultan and Mughal Rulers

4426. **Shri Bharat Singh Chauhan** : will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :—

(a) whether the Government of India are paying pension to the successors of Nawab of Aundh, Tipu Sultan and Mughal Rulers ;

(b) if so, the number and names of the successors of the Mughal Rulers who are being paid pension by Government ;

(c) the amount spent by Government annually under this head ;

(d) whether any proposal to abolish these pensions, like the abolition of privy purses of the consideration of Government ; and

(e) if not, the time by which a decision will be taken in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K.C. Pant) : (a) Government of India are paying pension to successors of Nawab of Oudh, Tipu Sultan and Mughal Rulers.

(b) & (c) Attention in this connection is invited to the reply given to Unstarred Question No. 10321 on 10th May, 1968. Information regarding number and names of the successors of Mughal Rulers who are being paid pension and the amount spent by Government annually under this head is still being collected from State Governments and Accountants General.

(d) & (e). The question of continuance of territorial and political pensions granted by the British Government to the previous ruling families has not been fully considered so far.

नाविक संघ (सीमन्स यूनियन) कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र

4427. **श्री रविराय** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारवर्ड सीमैन्स यूनियन, कलकत्ता के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे 5 अगस्त, 1970 को भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उन्हें अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मागों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). मुझे स्मरण नहीं है कि 5 अगस्त, 1970 को फारवर्ड सीमैन्स ने यूनियन, कलकत्ता, का प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिला। तथापि इस यूनियन से 6 अगस्त, 1970 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ जिसमें अनेकानेक मांगे की गई हैं। इन मांगों की जांच की जा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिछात्रवृत्ति का दिया जाना

4428. **श्री रविराय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में उन व्यक्तियों की सूची प्रकाशित की है जिन्हें आयोग द्वारा वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिछात्रवृत्तियाँ दी गयीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो अधिछात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और वे व्यक्ति किन-किन राज्यों के हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा के तीनों विश्वविद्यालयों में से किसी भी व्यक्ति को उक्त अधिछात्र-वृत्ति नहीं मिली और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4097/70]

(ग) वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिछात्रवृत्तियों को देने के लिए उम्मीदवारों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके लिए विशेष रूप से गठित विशेषज्ञों की समितियों की

सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। ये छात्रवृत्तियाँ अखिल भारतीय स्तर [illegible] जाती हैं और चयन में केवल मात्र गुण पर ही ध्यान दिया जाता है। विशेष समितियों द्वारा [illegible] ारिश किये गये उम्मीदवारों में से कोई भी उड़ीसा के विश्वविद्यालयों का नहीं है। तथापि, 1967-68 से 1969-70 तक 1 वरिष्ठ और 6 कनिष्ठ अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियाँ उत्कल विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को दी गई थीं।

कलकत्ता के "कार्नवालिस स्ट्रीट" क्षेत्र में दंगे

4429. **श्री रविराय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई, 1970 को कलकत्ता के "कार्नवालिस स्ट्रीट" क्षेत्र में हिंसात्मक दंगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स-लेनिनवादी) के बीच अन्तर्दलीय दंगों के बारे में सूचना मिली है; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

Cases of Murder Loot and Violent Acts Registered in Delhi

4430. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of cases of murder, loot and other violent acts registered so far within the limits of Delhi city since 1st January, 1970 ;

(b) whether the cases of violent acts have considerably increased in this area during the last few months ; and

(c) if so, the action Government propose to take to check them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State Departments of Electronics and Scientific and industrial Research : (Shri K. C. Pant) : (a) The number of cases of murder, loot ond other violent acts registered during this year upto 31st July, 1970 is as under :—

Murdsr	...	73
Loot (including dacoities, robberies)	...	212
Violent acts	...	1185

(b) The number of cases registered from 1st January, 1970 to 15th April, 1970, and from 16th April, 1970 to 31st July, 1970 is as under :—

	1-1-1970 to 15-4-1970	16-4-1970 to 31-7-1970
Murder	41	32
Loot (including dacoities, robberies)	111	101
Violent acts	575	610
Total :	727	743

(c) A close watch is kept on the fluctuating state of crime and necessary preventive measures are taken from time to time. Patrolling of the affected areas is done on foot and by cycle. Patrolling by trained dogs in some areas has proved very effective. Vigilance is also maintained round the clock by mobile wireless vans of the Central Control Room. Bad characters released from jail are watched. Dangerous bad characters are externed from Delhi.

Recruitment Rules for Hindi Officers and Others

4431. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7454 on 24th April, 1970 regarding the recruitment rules for Hindi Officers and others and state :

(a) whether the Union Public Service Commission and the Ministry of Law have been consulted about the implications of the judgment of the Delhi High Court that the Subordinate Officers were as much a part of the Ministry/Department as were the Attached Officers;

(b) the decision taken in regard to holding examination for the posts of Hindi Officers and Hindi Supervisors ;

(c) whether the Hindi Officers and employees of the Ministry of Education and Youth Services have been included in the Joint Seniority List of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology and whether they have been promoted suitably ; and

(d) if so, from which date and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (d) The implications of the judgment of the Delhi High Court dated the 11th February, 1970, were examined, and it was decided to file appeals in the Supreme Court against the judgment. Applications have accordingly been filed in the Supreme Court for the grant of Special Leave to Appeal against the order and judgment of the Delhi High Court. The matter is, therefore, *sub-judice*.

Disfiguring the State of Mahatma Gandhi in Ludhiana

4432. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether in the month of May 1970 some unknown persons had disfigured the statue of Mahatma Gandhi in Ludhiana and had smeared it with coal-tar ;

(b) whether some hand written posters were also pasted below it ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard and the steps Government propose to take to prevent recurrence of such incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Department, Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) Facts are being ascertained.

पुलिस की गोलियों से मारे गये हरिजन तथा अनुसूचित जन जाति के लोग

4433. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में पुलिस की गोलियों से तथा ऊपर की श्रेणी के भू-स्वामियों द्वारा कुल कितने हरिजन तथा अनुसूचित जन जाति के लोग मारे गये ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). नागालैंड सरकार तथा गोवा, दमन व दीव, मनीपुर, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, पाण्डिचेरी, नेफा और चण्डीगढ़, के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में पुलिस की गोलियों से अथवा ऊंची जातियों के भू-स्वामियों द्वारा कोई हरिजन अथवा अनुसूचित जन जाति के सदस्य नहीं मारे गये हैं। लक्कदीव, मिनिकाय द्वीप समूह में अनुसूचित जन जाति का एक व्यक्ति गोली के परिणामस्वरूप मरा, जो भीड़ द्वारा बाह्य पुलिस चौकी पर अचानक हिंसक आक्रमण का मुकाबला करने के लिये 19 दिसम्बर, 1968 को पुलिस द्वारा चलाई गई थी। उस घटना से उत्पन्न मुकदमा न्यायाधीन है। शेष राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

4434. **श्री राम कृष्ण बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न पैट्रन पर कार्य करेगा ;

(ख) यदि, हां, तो इस विश्वविद्यालय द्वारा अपनाये जाने वाले पेट्रन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक स्कूल अथवा संकाय विभाग में छात्रों और अध्यापकों की कितनी संख्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जैसा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 में निगमित है, विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं :—

(i) भारत की सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहित करना और ऐसे विभागों या संस्थानों की स्थापना करना जो भाषाओं, कलाओं और भारत की संस्कृति के अध्ययन तथा विकास के लिये अपेक्षित हों।

(ii) विश्वविद्यालय में सारे देश से विद्यार्थियों और अध्यापकों के आने के लिए और उसके शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विशेष उपाय करना।

(iii) विद्यार्थियों और अध्यापकों में देश की सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता और अवबोधन को उन्नत करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उन्हें तैयार करना।

(iv) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में मानविकी, विज्ञान तथा टेक्नोलौजी में संघठित पाठ्यक्रमों की विशेष व्यवस्था करना।

(v) विश्वविद्यालय में अंतर-पाठ्यचर्या सम्बन्धी अध्ययनों की उन्नति के लिये उपयुक्त उपाय करना।

(vi) विद्यार्थियों में अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व दृष्टिकोण सुस्थिर करने के विचार से भाषाओं और विदेशों के जीवन के अध्ययन के हेतु आवश्यक विभागों और संस्थाओं की स्थापना करना।

(vii) विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों और जीवन में भाग लेने के लिए विदेशी विद्यार्थियों और अध्यापकों को सुविधाएं प्रदान करना।

(2) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों का भारतीय स्कूल शामिल करते हुए अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों का एक स्कूल स्थापित किया है जिसमें उसने रूसी अध्ययनों के संस्थान को भी अपने अन्तर्गत कर लिया है। इन संस्थानों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है :—

	विद्यार्थी	शिक्षक
1. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों का स्कूल	141	34
2. रूसी अध्ययनों का स्कूल	161	28

3. निम्नलिखित अध्ययनों के स्कूलों की स्थापना के लिये भी विश्वविद्यालय का विचार है :—

1. सामाजिक [illegible] का स्कूल
2. विदेशी [illegible] स्कूल
3. जीवन विज्ञान स्कूल
4. संगणक तथा [illegible] के विज्ञानों का स्कूल
5. पर्यावरण विज्ञान का स्कूल
6. सृजनात्मक कलाओं का स्कूल।

राज्यों को अधिक अधिकार देने के बारे में मांग

4435. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य हाल ही में केन्द्रीय सरकार पर जोर डालते रहे हैं कि उन्हें प्रशासन के मामले में और अधिक अधिकार दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान इस बारे में प्रस्ताव करने वाली राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में और अधिकारों की मांग की गई है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से अभी हाल में कोई ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय एकता परिषद की राज्यों में साम्प्रदायिक दंगों पर रिपोर्ट

4436. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों के प्रश्न पर विचार करने को राष्ट्रीय एकता परिषद को इन दंगों पर विचार करने, जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये सौंपा गया था और स्थायी हल सुझाने के लिये कहा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई रिपोर्ट पेश की गई है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। समय-समय पर साम्प्रदायिक स्थिति तथा साम्प्रदायिक पहलुओं से सम्बन्धित राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के पुनरीक्षण के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा स्थापित साम्प्रदायिकता सम्बन्धी एक उपसमिति स्थापित की गई है। उपसमिति की अब तक दो बार बैठक हो चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानान्तरण की सुविधायें देना

4437. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों तथा कहीं अन्य कालेजों में रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों दुर्गापुर के विद्यार्थियों को स्थानान्तरण की सुविधा देने के बारे में इंजीनियरिंग कालेज के कुछ विद्यार्थी अथवा उनकी ओर से कोई उनसे मिला था ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार वहाँ की स्थिति को सामान्य बनाने तथा अन्य स्थानों में अपना अध्ययन चलाने के इच्छुक विद्यार्थियों की सहायता के सम्बन्ध में इस बीच क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी, हां। एक बड़ी संख्या में दुर्गापुर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के विद्यार्थियों ने दूसरी इंजीनियरी संस्थाओं में अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सहायता के लिये हमें लिखा है। हमने यथासम्भव अधिकाधिक सहायता की है और लगभग 100 विद्यार्थियों के अपनी टेक्नोलाजी संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं में दाखिले के लिए प्रबन्ध कर दिया है। शेष 105 विद्यार्थियों के लिये, जिन्होंने इसी प्रकार की सहायता के लिये हमें लिखा है, उपयुक्त जगहों की खोज के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कालेज के प्रशासक-मण्डल ने एक नये प्रधानाचार्य का चयन कर लिया है तथा संस्था को यथाशीघ्र पुनः खोलने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रही है।

मैसूर तथा पड़ौसी क्षेत्रों के लिये शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित दौरा

4438. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली से पत्रकारों के एक दल को मैसूर तथा पड़ौसी क्षेत्रों को ले जाया गया था ;

(ख) बेल्लरी तथा अन्य स्थानों तक इस दल को ले जाने पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय के मैसूर के कुछ अधिकारी मैसूर के एक होटल से बिल का भुगतान किये बिना ही चले गये थे और स्थानीय पुलिस ने बाद में उनका पीछा किया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). एक विवरण सलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित अन्तर्राज्य छात्र-शिक्षक कैम्पों के विस्तृत प्रचार करने के विचार से, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने मई-जून 1970 में दिल्ली के पत्रकारों का एक दौरा गोवा तथा दावनगिर (मैसूर) के लिये प्रायोजित किया। यह दल प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा संगठित किया गया था।

2. इस दल ने 26 मई से 30 मई तक गोआ का तथा 31 मई से 1 जून 1970 तक दावनगिर का दौरा किया।

3. दावनगिर के दौरे के अन्तिम दिनों में मैसूर सरकार ने इस दल को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों सहित 2 जून से 6 जून 1970 तक आतिथ्य प्रदान किया और सूचना तथा पर्यटन विभाग के एक उप-निदेशक को इन्हें मैसूर के कुछ स्थान दिखाने के लिये नियुक्त किया। यह पर्यटन बंगलौर में समाप्त हुआ जहां से यह दल दिल्ली वापस आया।

4. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने इन दोनों कैम्पों के दौरे पर व्यय के लिये 9,400 रु० की राशि स्वीकृत की थी। वास्तविक व्यय कितना हुआ, यह राशि तभी ज्ञात हो सकेगी, जब खर्चे के सभी बिल जिसमें रेलवे का बिल भी सम्मिलित होगा, प्राप्त हो जायेंगे।

5. मैसूर सरकार के अतिथि के रूप में 2 जून से 6 जून 1970 तक दल के दौरे के कार्यक्रम के अन्य स्थानों के साथ बेल्लारी भी सम्मिलित है। यह दल 5 जून 1970 की रात्रि को वृन्दावन उद्यान में ठहरा। दल के ठहरने का प्रबन्ध पर्यटक-बंगले में किया गया, क्योंकि वहां स्थान अपर्याप्त था इसलिये चार सदस्यों को वहाँ के के० आर० एस० होटल में ठहराया गया। 6 जून की सुबह यह दल बंगलौर के लिये रवाना हुआ। यह दल मैसूर से कुछ ही दूर आया था कि होटल प्रबन्धकों के दो प्रतिनिधि कार में आये और दल की मोटर को रोकने के लिये कहा। राज्य सरकार के अधिकारी जो दल के साथ थे उनसे इन प्रतिनिधियों ने होटल के बिल को रुपयों में भुगतान करने के लिये कहा। क्योंकि मैसूर सरकार के अधिकारी के पास इस अप्रत्याशित व्यय के भुगतान के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिये उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के अधिकारी से भुगतान करने की प्रार्थना की और भुगतान कर दिया गया। होटल प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ पुलिस कर्मचारी नहीं थे।

बौद्ध यात्रियों के धार्मिक स्थानों पर सुविधाओं की व्यवस्था करना

4439. **श्री सीताराम केसरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका, थाईलैंड, जापान तथा बर्मा के बौद्ध यात्रियों के लिये धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कुछ स्थानों पर नई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार ने बोध गया, कुशी नगर और सांची में पहले ही आवास व्यवस्था कर रखी है, तथा उसका बोधगया, राजगिर, और नालंदा में सुविधाओं का विकास करने और पटना में एक स्वागत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राजधानी में छल-कपट के मामलों में वृद्धि

4441. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में छल-कपट के मामलों में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1969-70 में दिल्ली में छल-कपट के कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ग) क्या सरकार छल-कपट के मामलों को रोकने हेतु रेलवे-स्टेशन, बस अड्डों, सिनेमा घरों आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सादे कपड़ों में पुलिस के व्यक्तियों को तैनात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष 31 जुलाई, 1970 तक धोखेबाजी के 599 मामले दर्ज किये हैं जब कि 1969 में इसी अवधि में 339 मामले दर्ज हुए थे।

सभी महत्वपूर्ण स्थानों जैसे व्यापारिक केन्द्रों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सिनेमा घरों में धोखेबाजी के मामलों की रोकथाम के लिए पहले से ही सादे कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम भी उठाये हैं:--

(i) समाचार पत्रों द्वारा समुचित प्रचार करके लोगों को धोखेबाजी के मामलों में बदमाशों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों से पूर्व सूचित किया जाय जिससे वे धोखेबाजों से सावधान रह सकें।

(ii) जेल से मुक्त किये गये बदमाशों पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) पूर्व दंडित व्यक्तियों की उनकी कार्य विधि के अनुसार सूचि रखी जाती है।

(iv) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

Merger of Bahawalpur With Punjab

4442. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether she is aware that some pro-Pakistani elements in India are shouting slogans and staging agitation as a protest against the merger of Bahawalpur with punjab;

(b) whether the erstwhile Nawab of the State is leading the agitation; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Government have no such information.

(c) Does not arise.

Inclusion of Importance of Historical Remains of East Nimad Distt. In Text Books of Indian History at Higher Secondary Level

4443. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether there are some historical remains in the East Nimad District of Madhya Pradesh;

(b) if so, whether the facts about their historical importance have been included in the text-books for the study of Indian history at the Higher Secondary level; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Books for the school stage are prescribed by the State Governments, and material about historical remains in different parts of the country, are included according to their relevance and importance in the books for different classes by the authorities concerned.

Development of Khunibhandara in East Nimar District of Madhya Pradesh as Tourist Centre

4444. **Shri G. C. Dixit :** Will be Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop Khunibhandara in District East Nimar, Madhya Pradesh as a tourist centre:

(b) if so, whether Government have taken any steps in this regard so far and, if so, the results thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The Department of Tourism is not in a position to develop this area due to limitations on funds necessitating a strict order of priorities.

Amount spent on Tourist Centres in Hoshangabad and East Nimar Districts

4445. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent on tourist centres and places of historic importance in the districts of Hoshangabad and East Nimar in Madhya Pradesh, during each of the last three years;

(b) whether Government propose to take any special measures to beautify Asirgarh, Mahalgurada, Dadkhana, Onkareshwar and Rameshwar Kund and to provide tourist facilities there;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). The Department of Tourism is not in a position to allocate any funds for the development of these areas due to limitations on resources necessitating a strict order of priorities.

Expenditure Incurred on National Highways in Madhya Pradesh

4446. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on the development of National Highways in Madhya Pradesh vis-a-vis the entire country;

(b) Whether the amount spent in Madhya Pradesh is much less as compared to the amount spent in the entire country; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh):

(a) to (c) Development of National Highways is sanctioned on the basis of actual requirements in the context of priorities of various works and subject to finances available every year. These sanctions cannot, therefore, be proportionately or uniformly comparable among different States in various years. Funds are allotted on the basis of these sanctions and progress of works during previous years. The average annual expenditure on development of National Highways for the three year period ending 1969-70 for Madhya Fradesh has been Rs. 22.80 lakhs compared to that in the country of Rs. 1324.15 lakh.

River Bridges of National Highways in Madhya Pradesh

4447. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of river bridges on the National Highways in Madhya Pradesh which are in a dilapidated condition;

(b) whether heavy load is being carried over these bridges in violation of the Indian Road Bridges Code; and

(c) the number of such bridges in Madhya Pradesh which are being reconstructed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping & Transport (Shri Iqbal Singh) :

(a) Fifty minor bridges.

(b) Loads heavier than the Indian Roads Congress Bridge Code loading of Class A AA adopted for National Highways Bridges are not being carried over these bridges.

(c) Estimates for four bridges have been sanctioned, and *thirtytwo have been* included in the Annual Plan for 1979-71. The remaining fourteen are likely to be included in the next Annual Plan for 1971-72.

25 जून, 1970 को सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी

4448. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चित बंगाल सरकार ने 25 जून, 1970 को हुई सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में एक दिन की तनख्वाह की कटौती करने का आदेश जारी किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पश्चिम बंगाल सेवा नियमों (नियम 3-सी) में यह स्पष्ट है कि कोई राज्य सरकारी कर्मचारी अपनी अथवा किसी अन्य सरकारी सेवा से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में किसी अवधि के लिए किसी प्रकार की हड़ताल करता है अथवा उकसाता है, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त, जो इस संबंध में उसके विरुद्ध की जाती है, ऐसी अवधि के दौरान बिना छुट्टी के अनुपस्थित समझा जायगा और उस अवधि के लिए किसी वेतन अथवा भत्ते का हकदार न होगा ।

कलकत्ता मे सरकारी बसों से आय

4449. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सरकारी बसों से जनवरी से जुलाई, 1970 तक महीने-बार कितनी औसत दैनिक आय हुई;

(ख) क्या अप्रेल, 1970 से सरकारी बसों में आय में कमी हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आय को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा यदि किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है तो वह क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

कलकत्ता संग्रहालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाना

4450 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता संग्रहालय के कर्मचारियों के लिये अभी तक सेवा की शर्तें नियुक्ति, यात्रा और चिकित्सा भत्तों का विनियमन करने वाले कोई नियम नहीं बनाये गये हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या नियमों के न होने से कर्मचारियों की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जानी है तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : भारतीय संग्रहालयों के कर्मचारी भारतीय संग्रहालय नियमों और भारतीय संग्रहालय भर्ती नियमों द्वारा जो कि सेवा, आचरण, भर्ती आदि के लिए पहले से बनाए गए तथा अनुमोदित प्रशासित हैं नियमों से होते हैं । इसके अलावा, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता से संलग्न औषधालय में कर्मचारियों के डाक्टरी उपचार के लिए एक नियमावली है । यात्रा तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के नियमों का अनुसरण किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा सुधार के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम की मांग

4451. **बे० कु० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा संघ ने जुलाई, 1970 में सुधार के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम की मांग की थी, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और एक विवरण यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के दो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पाकिस्तान हाई कमीशन से सम्पर्क

4452. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के दो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पाकिस्तान हाई कमीशनर के प्रथम सचिव और पाकिस्तान के सैनिक गुप्तचर निदेशक से गुप्त रूप से कलकत्ता में 214, लोअर सरकूलर रोड पर मिलते रहे थे;

(ख) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने इस बारे में जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दो अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जांच-पड़ताल से ऐसे आरोप सिद्ध नहीं होते।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माणाधीन नये हवाई अड्डे

4453. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय निर्माणाधीन नये हवाई अड्डों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : चौथी योजना के दौरान तिरुपति, शिलांग तथा कालीकट में नये हवाई अड्डों का निर्माण करने के प्रस्ताव हैं।

Provision for Hindi Officers in Each Department of a Ministry

4454. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether her Ministry had decided that there should be a Hindi Officer in each Department of every Ministry with a view to implementing the Official Languages Act :

(b) if so, the reason why such appointments have not been made in the Ministries of Law, Irrigation and Power, Petroleum and Chemicals, Food and Agriculture, External Affairs, Finance etc; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha):

(a) Ministries/Departments were advised in 1964 to appoint Hindi Officers. After the enactment of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 and issue of instructions thereon, in each Ministry/Department a senior officer of the rank of Joint Secretary, has

been made responsible in addition to his own duties, for ensuring the implementation of orders issued from time to time regarding the use of Hindi for Union official purposes;

(b) & (c). For Hindi translation work, necessary staff including Hindi Officer (s) is appointed by the Ministries/Departments according to their own requirements. A statement giving the details of translation staff in each Ministry/Department was laid on the Table of the Lok Sabha on 13th March, 1970 in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 2945.

Recruitment of Hindi Officers and Translators

4455. **Shri Yamuna Prasad Mandal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether in order to implement the Official Languages Act, the Union Public Service Commission held a test two years back for the recruitment of Hindi Officers and Translators to be appointed in different Ministries;

(b) if so, the reasons for not declaring the result of the test so far; and

(c) the action taken by her Ministry for the recruitment of Hindi Officers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) In July last year, the Union Public Service Commission held a written test for recruitment to the posts of Hindi Officers, Hindi Supervisor and equivalent posts in different Ministries/Departments. The test was intended to operate as an aid to screen candidates to be called for interview, as provided in the Recruitment Rules for those posts.

(b) & (c). Shortly before the commencement of the written test, held in July, 1969, certain employees of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology filed writ petitions before the Delhi High Court against their non-admission to the test. By their judgement delivered on 11.2.1970, the Delhi High Court allowed the writ petitions and directed the Union Public Service Commission by a writ of **mandamus** to entertain the applications of the petitioners for the posts of Hindi Officers etc. After examining the implications of the judgement, it was decided to file appeals in the Supreme Court. Applications have accordingly been filed in the Supreme Court for the grant of Special Leave to Appeal against the order and judgement of the Delhi High Court. The matter is, therefore, **sub-judice** at present.

कुंजपुरा के सैनिक स्कूल के छात्रों को मंजूर की गई छात्रवृत्ति

4456. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल कुंजपुरा में प्रवेश पाने वाले छात्रों को जनवरी, 1968 के सत्र से उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियाँ शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम तक चलती रहेगी और उनमें छात्रों के माता-पिता की आय में तत्पश्चात् हुए परिवर्तन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है,

(ख) क्या सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल ने उनके मंत्रालय को भेजने के लिए इन छात्रों के माता-पिता से 1 जुलाई, 1970 के दिन उनकी आय का शपथपत्र मांगा था,

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को इन शपथपत्रों की आवश्यकता किस लिए होती है, और

(घ) यदि उनके मंत्रालय को ऐसे शपथपत्रों की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या उक्त सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल को इस प्रकार की रीति को बन्द करने के लिये आदेश दिये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). सैनिक स्कूल, कुंजपुरा के प्रिंसिपल ने बताया है कि जनवरी, 1968 के सत्र से बच्चों के माता-पिता से आय के बारे में हलफ़नामे भूल से मांगे गए थे ।

Transfer of Delhi Municipal Corporation Schools to Delhi Administration

4457. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state .

(a) whether the Secondary and Higher Secondary Schools of the Delhi Municipal Corporation have been transferred to the Delhi Administration from July, 1970;

(b) whether the trained Graduate teachers of the Primary Schools of the Delhi Municipal Corporation used to be promoted to the Secondary and Higher Secondary schools;

(c) whether after the transfer of the said Secondary and Higher Secondary Schools to the Delhi Administration, these trained Graduate teachers of the Primary Schools of the Corporation would continue to get promotions as before;

(d) if not, whether a decision to find out some other avenue of promotion for these trained Graduate teachers of the Primary Schools has been taken; and

(e) if so, the details thereof and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) to (e). The requisite information has been called for from the concerned authorities and will be laid on the Table of the Sabha, as soon as possible after it is received.

Amount Due to Delhi Municipal Corporation From R.S.S.

4458. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:-

(a) Whether it is a fact that R. S. S. owes Rs. 54 lakhs to the Delhi Municipal Corporation at present;

(b) whether it is also a fact that the Corporation has given this entire amount to R. S. S. in a secret manner; and

(c) if so, the reason therefore and if not, the action taken by Corporation to realise the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minsiter of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) & (b). According to Municipal Corporation Delhi, there is neither any outstanding claim against R.S.S. in their account books nor has any payment been made to R.S.S.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध

4469. **श्री जी० वेंकट स्वामी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनके कालेजों के विद्यार्थियों से केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये गत तीन वर्षों में कुल कितने अनुरोध प्राप्त हुए,

(ख) कुल कितनी राशि की सहायता मांगी गई और उक्त अवधि में कितनी राशि की मंजूरी दी गयी; और

(ग) यह राशि किस आधार पर मंजूर की गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : शिक्षा मंत्री के विवेकाधिकारी अनुदान से सहायता के लिए 1967-68 1968-69 और 1969-70 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से सड़सठ आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे।

(ख) कुल सहायता 50922 रुपए की मांगी गयी थी और मंजूर शुदा अनुदान 19 विद्यार्थियों के लिए 6350 रुपए की राशि के थे।

(ग) अनुदान ग्राही की वित्तीय स्थिति और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जिनके कारण वित्तीय सहायता की आवश्यकता हुई निधि नियमों के अनुसार अनुदान दिए गए थे।

अहिन्दी भाषी राज्यों को उपहार रूप में हिन्दी पुस्तकें देना

4460. **श्री जी० वेंकट स्वामी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 और 1969-70 में अहिन्दी भाषी राज्यों को कुल कितनी-कितनी हिन्दी पुस्तकें उपहार के रूप में दी गई;

(ख) किन किन राज्यों को यह उपहार दिये गये; और

(ग) ये पुस्तकें कुल कितने मूल्य की थीं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को निशुल्क हिन्दी पुस्तकों के उपहार की योजना के अधीन, 1968-69 के दौरान 288 शीर्षकों की कुल 75,466 पुस्तकें और 14 पत्रिकाओं की 59,020 प्रतियां वितरित की गई। 1969-70 में 229 शीर्षकों की 43,630 पुस्तकें और 32 पत्रिकाओं की 2480 प्रतियां वितरण के लिए खरीदी गईं।

(ग) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तामिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, पांड़ेचेरी, नेफा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोआ, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दिल्ली (अहिन्दी भाषी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे संगठन) लकादीव तथा मिनी काय दीपसमूह)।

(ग) 3,64,204 रु०।

कालिंगा एयरलाइन्स द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले हवाई मार्ग

4461. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कालिंगा एयरलाइन्स के पास कितने विमान हैं; और

(ख) उन में से कितने विमानों का पृथक-पृथक किस किस मार्ग पर असैनिक सेवा तथा मामान ढ़ोने के लिये प्रयोग किया जा रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) छः डकोटा।

(ख) इस समय उन में से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनके उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र की वैधता-अवधि समाप्त हो गयी है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्मित इमारत में होटल चलाने का प्रस्ताव

4463. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगन पालिका ने, उसके द्वारा निर्मित इमारत में, जो कि खाली पड़ी है, होटल चलाने के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इम मामले में निगम द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). नई दिल्ली नगरपालिका ने भारत पर्यटन विकास निगम से पूछा था कि क्या निगम 16.70 लाख रुपये का अनुज्ञा-शुल्क (लाइसेंस फीस) देकर होटल चलाने को तैयार होगा। यद्यपि निगम ने होटल ले लेने के विषय में अपनी रुचि अभिव्यक्त की, उसने होटल को लाभ व हानि के परस्पर संविभाजन के आधार पर चलाने का एक वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किया। यह सुझाव नई दिल्ली नगर पालिका को मान्य नहीं था। निगम और नगरपालिका दोनों ही मामले की और आगे जाँच कर रहे हैं।

Strengthening of Reserve Police

4464. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to strengthen the personnel and efficiency of the Reserve Police of the country in view of the fast increasing activities of unruly elements ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : **(a) and (b)** : The Centeral Reserve Police force being meant primarily for the purpose of going to the aid of the State authorities in the maintenance of law and order, its strength and adequacy are reviewed periodically in the light of existing conditions and requirements. The current review has not yet been completed.

Assistance for Construction of Safety Roads in Dacoit-Infested Areas of M. P.

4465. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the assistance asked for by the State Government of Madhya Pradesh for the construction of 'safety roads' in the dacoit-infested areas during the Fourth Five Year Plan period ; and

(b) the reaction of the Government of India thereto and the assistance proposed to be given to Madhya Pradesh for the said purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : **(a) and (b)** : A planned development of road communications in the areas infested with dacoits

in the Chambal Valley is receiving the attention of the Central Government. In this connection the Government of India are in touch not only with the Madhya Pradesh Government but also with the Madhya Pradesh Government but also with the Governments of Rajasthan and Uttar Pradesh which are chronically affected by the dacoity menace in the Chambal Valley. The matter is under examination in consultation with the Planning Commission who recently discussed this matter with representatives of the Public Works Department of the three States. The three States have been requested to work out their respective programmes of development of road communications in this area, indicating priorities. The nature of assistance will be decided after the programmes are examined.

Robbery Committed in a Bank in Asansol

4466. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the circumstances under which a bank robbery to the tune of Rs. 96300 was committed in Asansol (West Bengal) on the 6th June, 1970 ; and

(b) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : According to information received from the West Bengal Government on 6th June, 1970 at 1030 hours Rs. 96,300/- in cash and Rs. 4,700/- in cheques were snatched away by seven to eight culprits near the entrance of the Bank of Baroda, Asansol. The culprits exploded bombs and decamped in a black Ambassador car. The car was chased by police officers. The miscreants fled leaving one injured. The name of the injured is Subhash Chander Roy who was arrested by the police. Later on the driver of the Ambassador car was also arrested. Case No. 19 under section 395/396 IPC and 6(3) of the Indian Explosives Act has been started. Further investigation is in progress and attempts are being made to apprehend the remaining culprits.

जमानत के लिए एस० डी० ओ० बसीरहाट (पश्चिम बंगाल) को बाध्य किया जाना

4467. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल में बसीरहाट के एस० डी० ओ० को, कुछ राजनैतिक पार्टियों द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने के लिये बाध्य किया गया, जिन के विरुद्ध हत्या, डकैती और आगजनी का आरोप था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजनैतिक दलों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या ऐसे प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में जनता द्वारा पुलिस अधिकारियों को पीटा जाना

4468. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम बंगाल से न्यायालयों द्वारा अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंटों की पुलिस अधिकारियों द्वारा तामील नहीं कराई जा रही है;

(ख) क्या वारंटों को तामील कराने के कुछ मामलों में संगठित जनसमूह द्वारा पुलिस अधिकारियों को पीटा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्य करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में साम्प्रदायिक दंगे

4469. **श्री सरदार अजमद अली** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के कुछ भागों में साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) यदि हां, तो ये दंगे किन स्थानों पर हुए हैं और इनके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य प्रशासन ने इन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक मेल मिलाप बनाये रखने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार 24-परगना जिले में साम्प्रदायिक तनाव की कुछ घटनाओं से अवगत है । विशिष्ट घटनाओं के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है ।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण

4470. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों के पुनरीक्षण के मामलों की इस समय स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). वेतनों के संशोधन के प्रस्ताव पर जिसमें संविधिक संशोधन भी शामिल हैं, 26 मार्च, 1970 को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत हुई थी । न्यायधीशों के वेतनों में वृद्धि करने के पक्ष में सर्वसम्मति नहीं थी । अतः विषय में और आगे कार्यवाही नहीं की गई है ।

रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

4471. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों

में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को उनकी तीन वर्ष की सेवा अवधि में स्थायी बनाया जाना चाहिये;

(ख) क्या रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में दस वर्ष पूर्व भर्ती किये गये अधिकांश असिस्टेंट कम्पाइलर/की पंच आपरेटर अभी तक अस्थायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु, अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए स्थायी पदों को उपलब्ध बनाने की दृष्टि से 24 मार्च, 1960 को वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किये गये थे जिनमें मंत्रालयों/विभागों (डाक तार विभाग, सरकारी वर्कशापों और औद्योगिक संस्थानों को छोड़ कर) में स्थायी विभागों में से चतुर्थ श्रेणी पदों समेत 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने का अनुरोध किया गया था बशर्ते कि ऐसे पद कम से कम तीन वर्ष की निरन्तर अवधि से अस्तित्व में हों और स्थायी प्रकृति के कार्य के लिये अस्थायी पदों की आवश्यकता हो। डाक व तार विभाग में भी प्रायः उपरोक्त मानदण्डों पर अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदला जा सकता। जहाँ तक सरकारी वर्कशापों और औद्योगिक संस्थानों का सम्बन्ध है, अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदलने के लिये भिन्न-भिन्न प्रतिशत निर्धारित किये गये हैं। बाद में, सितम्बर, 1966 में वित्त मंत्रालय ने भी आदेश जारी किये कि गैर-स्थायी विभागों में 50 प्रतिशत पदों को भी, जो कम से कम 10 वर्ष से अस्तित्व में हैं और जिनको निकट भविष्य में समाप्त करने का विचार नहीं है, स्थायी बना दिया जा सकता है बशर्ते कि ये पद पांच वर्ष की अवधि या उससे अधिक समय से निरंतर अस्तित्व में हों और उनके अनिश्चित काल तक रहने की आवश्यकता हो।

(ख) और (ग). कोई भी सहायक कम्पाइलर अभी तक इसलिये स्थायी नहीं किया गया है क्योंकि उनके द्वारा धारण किये हुए पदों को 1970 में ही स्थायी पदों में बदला गया है। इस कारण सहायक कम्पाइलर के अस्थायी पद 1970 से पहले स्थायी पदों में बदले जाने के लिए अर्हक नहीं थे।

जहां तक कि पंच आपरेटरों का सम्बन्ध है महापंजीकार के कार्यालय के स्थायी कर्मचारी वर्ग को रखने के ढांचे में की पंच आपरेटरों जैसी कोई श्रेणी नहीं होगी। अतः वर्तमान की पंच आपरेटरों को अपने अस्थायी पदों में, जब तक ये पद रहते हैं, बने रहने अथवा सहायक कम्पाइलर के पदों में आने के लिये विकल्प देने का प्रस्ताव है।

मिदनापुर जिले के कंटाई सब-डिवीजन की स्थानीय परियोजनायें

4472. **श्री समरगुह : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कन्टाई सब-डिवीजन की (i) कालीनगर पुल का निर्माण, (ii) ललत-जंका सड़क और दरियापुर-पुतिया सड़क नामक स्थानीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की हरीपुर होती हुई एगरा-दांतन सड़क का निर्माण कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) उक्त परियोजनाओं के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सभी प्रस्तावित कार्य स्थानीय परियोजनाएं हैं। अतः पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यतः सम्बन्धित है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति जैसा राज्य सरकार ने सूचित किया है निम्न प्रकार है :-

(1) कालीनगर पुल के निर्माण पर कार्य मिट्टी की जांच के लिये अस्थायी रूप से निलंम्बित किया गया था और इसे अगले कार्य करने की ऋतु में फिर शुरू किया जायेगा।

(2) ललन से जनक तक की संपूर्ण सड़क अनुमोदित परियोजना नहीं है। इतावोरिया से ललन तक के टुकड़े पर कार्य किया जाना है। परन्तु इतावेरिया से गोसर धनपर तक के भाग को चौथी योजना में अस्थायी रूप से शामिल कर दिया गया है। परन्तु इस भाग को वर्तमान योजना की अधिकतम सीमा से अन्तर्गत शुरू करना संभव नहीं है। अन्य मार्गों पर कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार चल रहा है।

(3) दल रायपुर-पुतिया सड़क (न कि दरियापुर) को विकास के लिये बिल्कुल नहीं लिया गया है। इस सड़क योजना की अब उपलब्ध धन के अन्तर्गत अनुमोदित होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(4) हरिपुर होकर इगरा-दान्तन सड़क कभी भी अनुमोदित योजना नहीं थी। परन्तु दान्तन से हरिपुर का एक भाग अस्थायी रूप से चौथी योजना में शामिल किया गया था जिसे वर्तमान योजना अधिकतम में क्रियान्वित नहीं की जा सकती है।

जालंधर में जासूसी करते हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

4373. **श्री मु० अ० खाँ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालंधर में हाल ही में एक सैनिक अधिकारी तथा एक लड़की को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उस अधिकारी का औहदा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में अध्यापकों के लिये सलेक्शन ग्रेड

4474. **श्री देवराज पाटिल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सलेक्शन ग्रेड के वेतन-मान क्या हैं और सम्बन्धित संवर्गों में उनका अनुपात कितना होगा;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सलेक्शन ग्रेड लागू करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की थी, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना

4475. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितने नये प्रस्ताव प्रस्तुत किए और राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) उक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु और अधिक धन की व्यवस्था करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) राज्य सरकार ने पर्यटन के लिये चौथी योजना के केन्द्रीय सैक्टर में केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव किया था :—

(1) अजन्ता तथा एलोरा में 61-68 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्यटन सुविधाओं का विकास ।

(2) वज्रेश्वरी, गणेशपुरी तथा अकरोली में गर्म पानी के चश्मों के निकट 11.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्यटन सुविधाओं का विकास ।

(3) एलिफेंटा आइलैंड का 50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से समेकित विकास ।

(4) टडोवा में नेशनल पार्क तथा वन्य पशु शरण-स्थान का 27.53 लाख रुपये की लागत से विकास ।

(ख) अपने सीमित साधनों तथा प्राथमिकताओं के महत्व-सापेक्ष क्रम को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन विभाग ने चौथी योजना में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है :—

(1) अजन्ता-इलोरा काम्प्लेक्स का, जिसके लिये 23.24 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है, समेकित विकास ।

(2) औरंगाबाद में एक युवा होस्टल का, जिसके कि लिए 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है, निर्माण ।

(3) रेल मंत्रालय से औरंगाबाद में रेलवे होटल को अपने अधिकार में लेने तथा इस का उपयुक्त रूप से बिस्तार करने का भी प्रस्ताव है ।

(4) एलिफेंटा में पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था । ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

Scheme for Improvement of Nagpur Aerodrome

4476. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a comprehensive scheme to bring about some improvements in the Nagpur Aerodrome ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the expenditure involved therein ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : While the existing facilities are considered to be generally adequate, the Civil Aviation Department proposes to instal Distance Measuring Equipment costing about five lakh rupees at the aerodrome. Provision of an Instrument Landing System at a cost of sixteen lakh rupees is also contemplated during the Fourth Plan.

मिजो तथा त्रिपुरा के विद्रोहियों द्वारा डुम्बरू हाइडल प्रोजेक्ट हैडवर्क्स पर आक्रमण

4477. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जुलाई, 1970 को कुछ मिजो तथा त्रिपुरा के विद्रोहियों ने डुम्बरू हाइडल प्रोजेक्ट हैंडवर्क्स और इसके आस पास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था ;

(ख) इस आक्रमण के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ;

(ग) क्या उनकी सुरक्षा के लिये वहां पहले से ही पुलिस का प्रबन्ध था और आगे क्या प्रबन्ध किए गए हैं ; और

(घ) परियोजना की कुल कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मिजो विद्रोहियों ने त्रिपुरा में हाइडल प्रोजेक्ट (डुमरू फाल्स) तथा कुछ पड़ोस के स्थानों पर 2 जुलाई 1970 को छापा मारा था।

(ख) चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सात घायल हुए।

(ग) सुरक्षा प्रबन्धों और आसूचना के एकीकरण को, जो उस क्षेत्र में विद्यमान थे अब सशक्त कर दिया गया है।

(घ) अनुमान है कि इस परियोजना को लगभग चार लाख रुपयों की हानि हुई है।

दिल्ली नगर निगम को ऋण तथा अनुदान

4478. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में दिल्ली नगर निगम को कुल कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये गये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई राजधानी की नागरिक समस्याओं और आवश्यकता को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार से देय राशि तथा अधिक धन के लिये मांग कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अवधि में दिल्ली नगर निगम को अनुपातत: अधिक अनुदान क्यों नहीं दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). दिल्ली नगर निगम केन्द्रीय सरकार से समय समय पर अधिक वित्तीय सहायता की मांग करता रहा था । सरकार ने निगम के वित्तीय साधनों और आवश्यकताओं की जांच करने के लिए 1965 में एक जांच आयोग की नियुक्ति की । अगस्त, 1968 में उसका अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । प्रतिवेदन पर सावधानी से विचार किया गया और प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर दिल्ली नगर निगम के लिए वित्तीय सहायता का रूप अब निर्धारित कर दिया गया है । पहले निगम को वित्त मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी द्वारा की गई पूर्व सिफारिश पर आधारित एक प्रतिरूप के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा रही थी ।

विवरण

दिल्ली नगर निगम को भुगतान

	1966-67 (रुपये लाखों में)	1967-68	1968-69
1. समान्य स्कन्ध			
(i) अनुदान	505.90	459.28	567.39
(ii) ऋण	102.13	84.00	28.49
2. दिल्ली जल-प्रदाय और मल-निदान उपक्रम	270.00	250.00	200.00
3. दिल्ली राज्य परिवहन उपक्रम	170.00	140.00	60.00
4. दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम	1320.20	899.00	792.39

रामाकृष्ण पुरम में और अधिक उच्चतर माध्यमिक/प्राथमिक/नर्सरी/स्कूल खोले जाना

4479. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कुल कितने उच्चतर माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूल हैं और उनका सैक्टर वार विवरण क्या है ;

(ख) क्या शीघ्रता से बढ़ रही सरकारी कर्मचारियों की इस कालोनी में और अधिक स्कूलों की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कालोनी में और अधिक उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक तथा नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर राज्य परिवहन द्वारा मोटर कारों के पुर्जे खरीदना

4480. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन को गत वर्ष से अब तक मोटर कारों के पुर्जे सप्लाई कर रही फर्मों के नाम क्या हैं तथा उक्त अवधि में इन फर्मों के फर्मवार कुल कितने धन का भुगतान किया गया है, तथा कितने धन का भुगतान करना अभी बाकी है ;

(ख) क्या मोटर कारों के पुर्जों की खरीद समाचार पत्रों में उचित रूप से टेण्डर मांगने के पश्चात की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि मोटर कार वितरण करने वाली कंपनियों की इंडेट दर की तुलना में राज्य परिवहन के मोटर कारों के पुर्जे अधिक दर पर सप्लाई किये गये थे ;

(घ) क्या मनीपुर सरकार से राज्य परिवहन के प्रबंधकों तथा कुछ फर्मों के साथ अब तक हुए मोटर कार के पुर्जों के सौदों की कोई चांच की है जिनके कारण राज्य परिवहन को धन सम्बन्धी भारी हानि हुई है तथा परिवहन सेवा भी दोषपूर्ण रही है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो मोटरगाड़ियों का व्यापार कर रही फर्मों से पुर्जे खरीदने के बजाय अधिक ऊँची दरों पर पुर्जों की खरीद करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना मणिपुर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर की क्रान्तिकारी सरकार से सम्बन्ध रखने पर गिरफ्तार किये गये युवक

4481. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की क्रांतिकारी सरकार से सम्बन्ध रखने के बारे में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) उनमें से कितने युवकों को छोड़ दिया गया और कितने युवकों को मुकदमा चलाने के लिये जेल में रखा गया;

(ग) क्या मनीपुर सरकार का विचार कुछ युवकों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया के उपबन्ध-युद्ध के लिये भड़काना के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाने का है; और

(घ) चूँकि अनेक सम्बद्ध युवकों का हिंसक और तोड़ फोड़ की कार्यवाही से सीधा सम्बन्ध नहीं था क्या सरकार का विचार मनीपुर सरकार की स्थिति को उदारता से सुलझाने और जहां तक सम्भव हो उन युवकों को छोड़ने की सलाह देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मणिपुर में 83 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त 13 व्यक्तियों को त्रिपुरा पुलिस ने और 1 व्यक्ति को असम पुलिस ने भी पकड़ कर मणिपुर अधिकारियों को

सौंपा था। इनमें से 22 व्यक्तियों को पहले ही मुक्त कर दिया है। 16 व्यक्ति निवारक नजरबंदी है 22 व्यक्ति जिन पर विशिष्ठ अपराधों के लिए भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 बी, 121, 121-ए, 395, 397 इत्यादि के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया जा रहा है हवालात में हैं, और चार को जमानत पर रिहा कर दिया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मनीपुर में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए भर्ती नियम

4482. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों सम्बन्धी भर्ती नियमों में हाल में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन से पूर्व भर्ती नियम क्या थे और संशोधित रूप में क्या हैं;

(ग) क्या उक्त भर्ती नियमों में नये अभ्यर्थियों की अपेक्षा स्थानापन्न अध्यापकों को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) क्या मनीपुर सरकार के अधीन विभिन्न तहसीलों में हाल में की गई प्राथमिक स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति में इस व्यवस्था का अनुसरण किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो कितने स्थानापन्न अध्यापकों को नियुक्त किया गया है और कितने स्थानापन्न अध्यापक अभी भी बेरोजगार हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मणिपुर प्रशासन द्वारा भर्ती के नियमों को जारी किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रतिस्थानी अध्यापकों को वरीयता देते हुये शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों के आधार पर अध्यापकों की भर्ती की गई थी।

(ङ) यथार्थ सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

मनीपुर के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को तदर्थ महंगाई भत्ता देना

4483. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को 20 रुपये का जो तदर्थ भत्ता मिल रहा है और जो आसाम के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी मिलना शुरू हो गया है, क्या वह मनीपुर के सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी 1 सितम्बर, 1969 से ही दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो मंहगाई भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि वही आसाम में इनके समकक्ष अध्यापकों को पहले ही दिया जा रहा है;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिए उक्त भत्ते की मंजूरी दें; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंजूरी दे दी गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). मामला विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

4484. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों सम्बन्धी आयुक्त के सेवा मामलों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है;

(ख) क्या ऐसा वायदा कुछ समय पूर्व सभा पटल पर रखे गये सरकारी ज्ञापन में रिकार्ड किया हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय को कब से ऐसा विवरण प्रस्तुत करना था और क्या उस वायदे को नियमित आधार पर पूरा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आयुक्त की वार्षिक रिपोर्टों में सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में निहित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही से समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आयुक्त को सूचित कर दिया जाता है।

(ख) से (घ). गृह मंत्रालय में मंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आयुक्त की 1964-65 और 1965-66 की 14 वीं और 15 वीं रिपोर्ट में विचार-विमर्श के दौरान लोक सभा में 7 अगस्त, 1967 को आश्वासन दिया था कि सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व के बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त की 1963-64 और 1965-66 वर्ष के लिए रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक पत्र लोक सभा को परिचालित किया जायगा। इन रिपोर्टों से सम्बन्धित एक विवरण 9 मई, 1968 को लोकसभा के पटल पर रख कर यह आश्वासन पूरा किया गया है।

मनीपुर राज्य परिवहन विभाग द्वारा एफ० आर० 56 (6) का लागू किया जाना

4485. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य परिवहन विभाग अपने कारीगरों की सेवा निवृत्ति के मामल..

में एफ० आर० 56(6) को लागू करता है और सेवा से निवृत्त होने के लिए 60 वर्ष की आयु निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारीगरों को काम करते रहने की उस समय तक अनुमति दी जाती है जब तक उनकी आयु 60 वर्ष न हो जाये;

(ग) क्या मनीपुर राज्य परिवहन के प्रबन्धकों ने कारीगरों की 58 वर्ष की आयु पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश ज़ारी किये हैं जिनसे एफ० आर० 56(6) का उल्लंघन होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार का मनीपुर राज्य परिवहन के महा प्रबन्ध की कार्यवाही का पुनरीक्षण करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). कारीगरों के सेवा-निवृत्ति से संबंधित नियम एफ० आर० 56 (ख) है। मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि मणिपुर राज्य परिवहन विभाग के कारीगरों की पात्र श्रेणियों पर एफ० आर० 56 (ख) के उपलब्ध लागू होते हैं। इस नियम द्वारा नियंत्रित कारीगर 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रखे जाते हैं। मणिपुर सरकार ने यह भी सूचित किया है कि मणिपुर राज्य परिवहन प्रबन्ध ने एफ० आर० 56 (बी) के उल्लंघन में 58 वर्ष की आयु पर किसी कारीगर को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के आदेश नहीं दिये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्स-लेनिन) की भारत को युद्ध के बारे में धमकी

4486. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 9 अगस्त 1970 के 'संडे स्टैण्डर्ड' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने केन्द्र सरकार को चीन अथवा पाकिस्तान के विरुद्ध आक्रात्मक युद्ध करने के बारे में धमकी दी है तथा 1962 में समाजवादी चीन के विरुद्ध भारत को आक्रामक बताया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सरकार साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के विभिन्न प्रबोधनों से पूर्णतः अवगत है। इसकी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अनुसार सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य शैक्षिक वातावरण लाने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों में संयुक्त परामर्श

4487. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक एसोसिएशन द्वारा पारित

संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें उप-कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से हाल ही में 7 विद्यार्थियों को निकालने की कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला, विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। विश्वविद्यालय ने यह कहा है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भेजे गये एक वक्तव्य में, कुलपति और सम-कुलपति द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त विद्यार्थियों के विरुद्ध की गई कारवाई, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा पारित आचार संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

Answering of Question Papers In Hindi by Stundents of Delhi University

4488. **Shri Prakashvir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether some of the students of the Delhi University were declared unsuccessful only because they had answered their question papers in Hindi ;

(b) whether there is a great resentment among the students on that account; and

(c) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Two of the examinees for the M.A. (Previous) Examination of Delhi University in History held in April, 1970 had written their answers in Hindi. Since the medium on examination used by the candidates was different from the medium laid down in the Ufiversity rules, the matter was considered by the Academic Council. The Council decided that the examination taken by the two candidates be cancelled.

(b) and (c). The University has no information about the resentment among students. However, the Academic Council has decided to have the question of letting the students answer their papers at the M.A. level in Hindi re-examined with a view to laying down a clear policy in the matter by the middle of November, 1970.

I also propose to take up the question of medium of examination at the M.A. level in the University with the Chairman, University Grants Commission.

Bill to Amend Aligarh Muslim University Act

4489. **Shri Prakashvir Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be please to state :

(a) whether an assurance was given by Government in the past to the effect that a Bill would be brought before Parliament to amend the Aligarh Muslim University Act;

(b) whether the Bill has since been considered by the Council of Ministers;

(c) if so, the reasons for not introducing it in Parliament so far; and

(d) the time by which it is likely to be introduced in Parliament ?

The Minisrer of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d) The Bill is proposed to be introduced during the current Session of the Parliament.

Training Centre For R.A.C. And B.S.F. Near Mandor (Rajasthan)

4490. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have received any memorandum opposing the cons-

truction of barracks and setting up of a training centre for RAC and BSF near the historical place of pilgrimage, Mandor by the Nagrik Portisahta Sanrakshan Samiti, Jodhpur (Rajasthan);

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether the Central Government propose to send any official for holding talks with the members of the Samiti in order to make a proper investigation about the contents of the memorandum ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) Land along Mandor Road was acquired under Rajasthan Government's notification dated 6th May 1968 for the Rajasthan Armed Constabulary Training Centre. The administrative block has already been constructed. Construction of residential blocks is in progress. Another piece of land in village Mandor is to be acquired for the Border Security Force. The State Government had issued a notification on the 22nd December 1969 under section 4 of the Land Acquisition Act, 1953. The report of the Land Acquisition officer is under consideration of the State Government. However, the State Government have informed that there is no basis for any of the apprehensions expressed in the memorandum, regarding the RAC Training Centre.

(c) No, Sir.

भारत स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा बम्बई के एक होटल कक्ष को किराये पर लेना

4491. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान उच्चायुक्त वैलड स्टेट बम्बई में स्थित ग्रांड होटल के कक्ष संख्या 52 को समय समय पर किराये पर लेता रहा है ;

(ख) क्या इस कक्ष की खिड़कियों से बम्बई के बन्दरगाह और बम्बई पत्तन की गतिविधियों के फोटो लिये जा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को 1965 के भारत-पाकिस्तान के संघर्ष में पाकिस्तान उच्चायुक्त द्वारा लिये गये किन्हीं चित्रों का पता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

फेल होने वाले बाह्य विद्यार्थियों का दिल्ली विश्वविद्यालय के बी० एस० सी० (आनर्स) के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में दाखिला

4492. **श्री बलराज मधोक :**

श्री वेदव्रत बरूआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1970 में ली गई बी० एस० सी० (आनर्स) के प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को बी०एस०सी० (आनर्स) प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम में पुनः दाखिला देने से इंकार कर दिया गया है। क्योंकि विभिन्न कालेजों में सीटों को बी०एस०सी० (आनर्स) के प्रथम वर्ष की परीक्षा के परिणाम की घोषणा भी प्रतीक्षा किये बिना भरा गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे फेल विद्यार्थियों को दाखिला देने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसे अनुत्तीर्ण काफी विद्यार्थियों को जिन्होंने प्रथम वर्ष बी०एस०सी० (आनर्स) कक्षा में पुनः दाखिले के लिए आवेदन किया था कालेजों में पुनः दाखिल कर लिया गया है। जिन विद्यार्थियों को पुनः दाखिला नहीं मिला/प्राप्त नहीं कर सके, वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थियों के रूप में बैठ सकते हैं।

19 सितम्बर, 1968 को कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को इनाम

4493. **श्री स० कुण्डू** : क्या गृह-कार्य मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने उन कर्मचारियो को वित्तीय इनाम और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है जो 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल के समय अपने काम पर आये थे ; और

(ख) क्या विभिन्न सरकारी विभागों में हड़ताल के दौरान काम पर उपस्थिति की तुलना जीवन के उस अत्यधिक खतरे से की है जो युद्ध में सीमा पर सिपाहियों तथा उनके अधिकारियों का होता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उन सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय इनाम दिए जाएं जो निजी सुरक्षा पर संकट की परिस्थितियों में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के दौरान अपने अपने कार्य के स्थानों पर निष्ठा से बने रहे थे। यह केवल श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों को ही चुनाव के आधार पर प्रत्येक मामले में अधिक से अधिक 500 रुपये तक प्राप्य है।

प्रशंसा प्रमाण पत्र देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

केन्द्रीय सरकारी सचिवालय में संवर्गों में कमी करने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

4494. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय सरकार के सचिवालय के ढाँचे में संवर्गों में कमी का सुझाव दिया था तथा साथ ही पुनरीक्षित वेतनमानों का भी सुझाव दिया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र निर्णय करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सुझाव वेतन आयोग को भेज दिया गया है और यदि हां, तो किस तारीख को ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रश्न के इस भाग में प्रयोग किये गये 'संवर्गों' शब्द अधिक स्पष्ट नहीं है। किन्तु प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'भारत

सरकार के शासन तंत्र और इसके कार्य की विधियों' सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मंत्री से नीचे विचार-विमर्श और निर्णय के केवल दो स्तर होने चाहिए, अर्थात्, (1) अवर सचिव/उप सचिव और (2) संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव/सचिव ।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने कर्मचारी वर्ग प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा में पदों के लिये समान वर्गीकृत रचना की सिफारिश की है । आयोग ने सिफारिश की है कि समग्र सिविल सेवा 20 से 25 ग्रेडों के ढांचे में रखी जानी चाहिए । विभिन्न श्रेणियों के पदों के वेतन-मानों समेत समान वर्गीकृत रचना के ब्यौरे आयोग की कर्मचारी वर्ग प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट के पृष्ठ 38, 39 पर दिये गये हैं । रिपोर्ट की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) और (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों से निपटने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग

4495. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिये गत दो महीनों में कलकत्ता में कितने अवसरों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया;

(ख) क्या पुलिस कर्मचारियों की भांति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लोगों को भी घेरा गया, उन पर आक्रमण किया गया तथा उनको मारा गया; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन महीनों का उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) नक्सलवादियों की गतिविधियों सहित विधि और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिये, प्राय निरन्तर आधार पर राज्य पुलिस बल के साथ-साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियां राज्य सरकार द्वारा तैनात की जाती हैं । इसलिए उन अवसरों की संख्या बताना, जब इस बल के दस्तों को तैनात किया गया, बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग). 10 मई, 1970 से 9 अगस्त, 1970 तक तीन तहीनों की अवधि में कलकत्ता में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों पर आक्रमण होने की 9 घटनाएं हुई थीं जिनके परिणामस्वरूप दल के 10 सदस्य भिन्न-भिन्न प्रकार की चोटों से पीड़ित हैं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कोई सदस्य आक्रमण करने में शामिल नहीं था और न ही उक्त अवधि में मारा गया ।

पश्चिम बंगाल में आसूचना विभाग का कार्यकरण

4496. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आसूचना विभाग के निदेशक और गृह सचिव ने केन्द्रीय सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में राज्य के आसूचना विभाग द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में हुई अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने में अकार्यकुशल तरीकों को अपनाने पर भारी असंतोष व्यक्त किया है और इस बारे में पूरी जांच करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और जिस घटना के बारे में केन्द्रीय दल ने असन्तोष व्यक्त किया है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई के श्री अरविन्द दीक्षित द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4497. **श्री लखन कपूर :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रवर्तन शाखा द्वारा पुष्प कुंज "ए" रोड चर्च गेट, बम्बई, के श्री अरिवन्द दीक्षित के मकान पर 1964 में छापा मारा गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या कोई दस्तावेज पकड़े गए थे, और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). विदेशी मुद्रा के कुछ तथा कथित अनधिकृत लेन-देन के सम्बन्ध में 1964 में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा श्री अरविन्द दीक्षित के पुष्प कुन्ज, बम्बई के कुछ अहातों की तलाशी ली गई थी । तलाशी में कुछ दस्तावेज़ पकड़े गए थे । मामले की आवश्यक जाँच पड़ताल पूरी हो गई हैं और प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय निर्णय की कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं ।

आंध्र प्रदेश में हरिजनों के मकानों में आग लगाया जाना

4498. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के चिनारमचेरला गांव में हरिजनों के 44 मकानों में 22 जुलाई, 1970 को आग लगाये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) क्या इसके लिये उत्तरदायी अपराधियों को दण्डित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

गुजरात के कुछ हरिजन परिवारों को बलपूर्वक बाहर निकालना

4499. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के पोरबन्दर तालुक में गरेज गांव के 20 हरिजन परिवारों को गांव के कुछ अन्य निवासियों द्वारा बलपूर्वक निकाले जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धन हरिजनों का गांव के अन्य निवासियों की धमकियों से सुरक्षित रखने के लिये सरकार ने कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) से (घ) राज्य सरकार के तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

ब्रिटिश सेना द्वारा दंगों को दबाने के लिए नए हथियारों का प्रयोग

4500. **श्री रा० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ब्रिटिश सेना ने दंगों आदि से निपटने के लिए कुछ नए हथियारों का प्रयोग आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में वैसे ही दंगों से निपटने के लिए उन हथियारों के प्रयोग के बारे में विचार किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के हथियारों के आयात अथवा निर्माण के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : ऐसे हथियारों के नमूने और उनके निर्माण तथा कारगरता के बारे में सूचना इन्टरपोल द्वारा ब्रिटिश प्राधिकारियों से प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं । सूचना तथा नमूने प्राप्त होने पर उनके प्रयोग तथा पूर्ति के औचित्य पर विचार किया जायेगा ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिए सहायता

4501. **श्री रा० बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये कुछ सँगठनों को वित्तीय सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) इस समय इस कार्य में कौन कौन से बड़े-बड़े सरकारी तथा गर-सरकारी संगठन लगे हुए हैं और हिन्दी के प्रचार के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाये हैं ; और

(घ) क्या उन संनठनों द्वारा धन के दुरुपयोग किये जाने की कोई रिपोर्ट है और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। अहिन्दी भाषी राज्यों और स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों दोनों को।

(ख) अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को	110 लाख रु०
स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों को	14 लाख रु०

(ग) अहिन्दी भाषी राज्यों में अनुदान स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए दिए जाते हैं। स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों को अनुदान हिन्दी के प्रचार के लिए दिये जाते हैं जैसे कि हिन्दी अध्यापन कक्षाओं का चलाना हिन्दी माध्यम स्कूलों हिन्दी पुस्तकालय तथा पठन कक्ष हिन्दी प्रचारकों के प्रशिक्षण हिन्दी टाइप तथा हिन्दी आशुलिपि कक्षाओं में हिन्दी भाषण प्रतियोगिताओं वाद-विवादों आदि के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी प्रचार में संलग्न स्वेच्छिक हिन्दी संगठनों के नाम तथा जिन संगठनों को इस मंत्रालय द्वारा 1969-70 में वित्तीय सहायता दी गई थी उनकी सूचना 8 मई, 1970 को लोकसभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 9064 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये बिवरण में दी गयी है।

(घ) उपलब्ध सूचनानुसार, अनुपात के दुरुपयोग के बारे में इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारत के प्राचीन इतिहास को बताने वाली पुस्तकों की मांग

4502. **श्री रा० बरूआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्राचीन इतिहास, उसकी परम्परा, संस्कृति तथा धर्म को बताने वाली अच्छी पुस्तकों की विदेशों में बड़ी मांग है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी सरकारी एजेन्सी ने कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी पुस्तकों को सस्ती दरों पर विदेशों में उपलब्ध कराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म सम्बन्धी पुस्तकों की मांग मुख्यतया कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका में बनी तो रहती है किन्तु किसी भी सरकारी एजेन्सी ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का कलकत्ता में विनाश कार्यक्रम का विस्तार

4503. **क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के विनाश कार्यक्रम को, जो बहुत पहले से ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित था, कलकत्ता में विस्तार करने तथा उस नगर में पुलिस सेना और सी० आर० पी० के व्यक्तियों का संहार करने के निर्णय के बारे में 4 अगस्त 1970 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित, समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, जीमान् ।

(ख) सरकार को साम्यवादी दल (मा० ले०) तथा अन्य समान उग्रवादी दलों के ऐसे प्रबोधनों की जानकारी है । इन दलों की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं ।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार

4504. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर हवाई अड्डे का विस्तार करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो हवाई अड्डे का विस्तार करने में अनुमानित कठिनाइयां क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं, तथा अभी इस स्थिति में विमान क्षेत्र का विस्तार करने का कोई विचार नहीं है ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में निर्माणाधीन होटल

4505. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने होटल इस समय निर्माणाधीन हैं, और

(ख) ये होटल किन नगरों में बनाए जा रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में, भारत पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा बंगलौर में एक होटल का निर्माण किया जा रहा है ।

जहां तक निजी क्षेत्र का संबंध है, पर्यटन विभाग द्वारा योजना स्तर पर अनुमोदित की गयी होटल परियोजनाओं की संख्या तथा उनके स्थान-निर्धारण को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

शहर	होटल परियोजनाओं की संख्या
औरंगाबाद	1
बम्बई	14
बंगलौर	2
कलकत्ता	5
दिल्ली	2
गोंदिया	1
गोहाटी	1
हैदराबाद	6
जबलपुर	1
जोरहाट	1
कानपुर	1
लखनऊ	1
मंगलौर	1
मद्रास	3
राजामुन्द्री	1
रामपुर	1
श्रीनगर	1
वाराणसी	1
विजयवाड़ा	1

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में रिक्त पद

4506. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में निदेशक, सहायक निदेशक तथा प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति नहीं की गई ;

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय में कितनी अवधि तक इन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति नहीं की गई ; और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). नई दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय जनवरी 1969 से बिना निदेशक और जुलाई, 1969 से बिना

सहायक निदेशक के रहा है। तथापि राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त नहीं रहा है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में निदेशक तथा सहायक निदेशक के पदों को यथा शीघ्र भरने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Purchase of wine for B.S.F. & C.R.P. Jawans

4507. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the quantity in gallons and value of the rum and other brands of wine purchased for the B.S.F. and C.R.P. jawans, separately, during the last two years from various firms, firm-wise ?

The Minister of state in the Ministry of Home affairs; and Minister of state, Departments of Electronics of Scientific and Industrial Rescarch (Shri K.C. Patni) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

दिल्ली के लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश के प्रदर्शन (शो) से आय

4508. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लाल किले में ध्वनि तथा प्रकाश के प्रदर्शन से कुल वार्षिक आय क्या है;

(ख) क्या पर्यटकों के आकर्षण के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी ऐसे प्रदर्शन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों मे हुई वार्षिक आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1967-68	2.00
1968-69	2.92
1969-70	3.05

(ख) और (ग). भारत सरकार 11.25 लाख रुपये की अनुमानित लागत से साबरमती, आश्रम, अहमदाबाद में, तथा 23.35 लाख रुपये की अनुमानित लागत से शालीमार गार्डन्स, श्रीनगर में 'ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन' आयोजित कर रही है। मीनाक्षी मन्दिर, मदुराई में भी ऐसे ही एक प्रदर्शन का आयोजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

बड़े पत्तनों की वित्तीय स्थिति

4509. **श्री इंद्रजीत गुप्ता :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग** ने बड़े पत्तनों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस बारे में क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों पर के आयोग ने सिफारिश की है कि जनता के हितों को दृष्टि में रखते हुए बड़े पत्तनों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने विकास कार्यक्रमों के खर्च को पूरा करने के लिये पर्याप्त अधिशेष जुटाए। उसने पत्तनों पर यह दायित्व रखना आवश्यक समझा है कि मूल्यह्रास, परिसंपत्ति को बदलने की चालू लागतों, ब्याज की अदायगी तथा आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिये उचित प्रतिलाभ कमावे। आयोग ने बड़े पत्तनों पर लगी पूँजी पर इतना प्रतिलाभ कमाने की सिफारिश की है जो 12 प्रतिशम से कम न हो। उसने बताया है कि पत्तन दरे और प्रभार पत्तन की आय के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं और पत्तन की जीवन क्षम्यता इस बात पर निर्भर करती कि कार्यकरण-खर्चा, मूल्यहास और नियत प्रभारों को पूरा करने के लिये दरों तथा प्रभारों का तंत्र प्रभावकारी हो। लागत पर कम से कम 12 प्रतिशत लाभ के उद्देश्य को पूरा करने के लिये, आयोग ने दर नीति के सम्बन्ध में बड़े पत्तनों के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि इसी आधार पर दरों तथा प्रभारों का औचित्य स्तरशः सावधानीपूर्वक व्याख्या के पश्चात, क्रमबद्ध तथा बड़े पैमाने पर लागू किया जाय।

(ग) आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पत्तन प्रशासन म सुधार करना

4510. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग ने पत्तन प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों के आयोग का विचार है कि पोर्ट ट्रस्ट बोर्डों में प्रयुक्तओं की संख्या को घटा दिया जाये और प्रयोजन के आयोग ने पोर्ट ट्रस्ट बोर्डों के निर्माण में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। आयोग ने सिफारिश की है कि अध्यक्षों और पोर्ट ट्रस्ट बोर्डों को अधिक वित्तीय अधिकार दे दिये जायें। आयोग का विचार है कि पोर्ट ट्रस्ट बोर्डों को प्रशासनिक बातें जैसे नियुक्तियां अनुशासनिक कार्यवाहियां आदि में पडने के बजाय अपना सपूण ध्यान पत्तन-विकास और पत्तन प्रबंध के लिये नीति निर्माण और कार्यक्रमों में लगाना चाहिय और आयोग ने सिफारिश की है कि प्रशासन में तीव्रता लाने के उद्देश्य में से निर्माण के अधिकारों में नियुक्तिया करने में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिये। आयोग ने वर्तमान अनुशासनिक कार्यविधि में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश की है कि एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया

और जो बड़े पत्तन परिषद के तरह हो जिसका अध्यक्ष, पोत परिवहन और परिवहन मंत्री हो और जिसमें [illegible] के प्रतिनिधि और योजना आयोग और सब बड़े पत्तनों के अध्यक्षों को शामिल किया जाए। योजना के बड़े मदों पर विचार के लिये खर्च यातायात सामान्य प्रशासनिक और बड़े पत्तनों में [illegible] समस्याओं और इस प्रकार पत्तनों के परिचालन की दक्षता के सुधारने का काम करेंगी।

(ग) आयोग की सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

बंगलौर में 5 स्टार होटल की इमारत का निर्माण

4511. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के अन्तर्गत बंगलौर में 5 स्टार होटल के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(ग) परियोजित कार्य कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) मशीन-कक्ष एवं ओवर-हेड टैंक सहित छटे फ्लोर तक का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। स्विमिंग पूल, वातानुकूलन और लिफ्ट लगाने से सम्बन्धित सिविल निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

(ख) 31 जुलाई, 1970 तक 43.53 लाख रुपये।

(ग) होटल के वाणिज्यिक परिचालन के लिये अगले वर्ष के शुरू में तैयार हो जाने की आशा है।

केन्द्र से राज्यों को शक्तियां देने के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का वक्तव्य

4512. **श्री जनार्दनन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के इस आशय के तथाकथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र से प्रतिरक्षा, संचार तथा वैदेशिक-कार्य के अतिरिक्त सभी शक्तियां ले ली जायें और राज्यों को अधिक शक्तियां दे दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है। राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदनों की जांच

4513. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग के कई प्रतिवेदनों की, जिनमें केन्द्र राज्य सम्बन्ध तथा संघ राज्य क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित प्रतिवेदन भी सम्मिलित हैं, अभी केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जानी है;

(ख) क्या उक्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि उसके प्रतिवेदना पर मंत्रि-

मण्डलीय उप-समिति द्वारा उच्चतम स्तर पर विचार किया जाये, और यदि हां, तो क्या कार्रवाई किया जा रहा है; और

(ग) क्या उक्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि उसकी सिफारिशों की क्रियान्विति की गति और प्रगति को देखने के लिये सर्व-दलीय संसदीय समिति गठित की जाये, और यदि हां, तो क्या ऐसा किया गया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत 20 रिपोर्टों में से 7 रिपोर्टों में केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय ले लिए गए हैं संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा की प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्ट समेत दो और रिपोर्टों में कुछ सिफारिशों पर भी निर्णय ले लिए गए हैं। केन्द्र राज्य सम्बन्धों की रिपोर्ट और 10 अन्य रिपोर्टें विचार-विमर्श की विभिन्न स्थितियों पर हैं।

(ख) आयोग ने सिफारिश की है कि मंत्रिमंडल को उसकी रिपोर्टों में से किसी एक को हाथ में लेने से पूर्व प्रशासन सम्बन्धी प्रस्तावित मंत्रि-मंडल समिति द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए जब कि आयोग की रिपोर्टों पर कार्यवाही सदैव सरकार में उच्च स्तरों पर की जाती है तथापि निर्णय तथा विवेक, विशेषरूप से विषयों के अपरिमित क्षेत्र और लचीलेपन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, सीमाबद्ध करना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) आयोग ने, यह देखने के लिए कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाता है, एक ऐसी समिति स्थापित करने की सिफारिश की है। किन्तु सरकार आयोग की सिफारिशों पर किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति का उच्च स्तर पर पुनरीक्षण करती है। उन निर्णयों और उनके कार्यान्वयन से सम्बन्धित विवरणों को समय समय पर सदन के समक्ष रख दिया जाता है। इनसे सम्पूर्ण संसद को यह सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है कि किए गए निर्णयों को अविलम्ब कार्यरूप दिया जाता है इन परिस्थितियों में सरकार इस उद्देश्य के लिए एक पृथक संसदीय समिति को आवश्यक नहीं समझती।

भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

4514. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1973 तक छः लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपने यहां पर्यटक निदेशालय स्थापित किया है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यटन-व्यापार को बढ़ाने हेतु वन्य जन्तुओं के परिरक्षण की देखभाल के लिये तथा विदेशी पर्यटकों के शिकारी दलों के लिये सुविधायें प्रदान करने के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त निकाय स्थापित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निकाय कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) पर्यटकों को और अधिक

संख्या में आकृष्ट करने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों को संलग्न विवरण में निर्दिष्ट किया गया है। योजना परिव्यय में कमी किये जाने के कारण 1973 तक छः लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के मूल लक्ष्य के स्थान पर अब चार लाख का लक्ष्य रखा गया है। आसाम, बिहार, जम्मू व कोश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में अलग पर्यटक निदेशालय है।

(ख) और (ग). भारतीय वन्य जीव बोर्ड भारत सरकार को वन्य जीव विषयक मामलों पर सलाह देता है। पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री व्यक्तिगत रूप से इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा पर्यटन के महानिदेशक इसके एक सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 'वन्य जीव पर्यटन' को प्रोत्साहन देने के लिये पर्यटन विभाग में एक वन्य जीव 'सेल' खोला गया है।

विवरण

पर्यटकों की अधिक संख्या में आकर्ष्ट करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं—

1. भारत और विदेशों में उत्कृष्ट पर्यटन साहित्य द्वारा व्यापक प्रचार।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक होटल आवास की व्यवस्था और निजी होटल क्षेत्र को प्रोत्साहन।
3. विदेशों में और प्रोत्साही युनिटों का खोला जाना और वर्तमान युनिटों द्वारा प्रचार अभियान को तीव्र किया जाना।
4. चार्टर उड़ानों के परिचालन विषयक नीति का उदारीकरण।
5. कुछ देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा-शुल्क की समाप्ति।
6. पश्चिम जर्मनी, युगोस्लाविया और नार्डिक देशों के साथ 90 दिन तक के वास के लिये विजा समाप्ति के सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार किये गये है।
7. अस्थायी लैंडिंग परमिट के आधार पर बिना विजा के प्रवेश की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 21 दिन करना।
8. विमान क्षेत्रों पर सरलीकरण प्रणाली की सुव्यवस्था।
9. गुलमर्ग, कोवालम और गोवा में इस स्थानों को लक्ष्य बना कर आने वाले यातायात के लिये अवकाशकालीन सैरगाहों का निर्माण।
10. भिखारियों और दलालों जैसे उद्वेगकारी तत्वों के निराकरण के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
11. अपने चार अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों में वृहत् सुधार किये जा रहे हैं।
12. देश में सड़क और रेल यातायात के लिये और अधिक उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध।
13. वन्य-जीव एवं शिकार-पर्यटन का विकास।

14. पर्यटन सुविधाओं के संबर्धन के लिये स्वयं सेवी संगठनों, संस्थानों और निजी क्षेत्र को अनुदान और ऋण देकर सहायता ।

15. जहां संभव है वहां पर्यटन केन्द्रों पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।

16. पुरातत्विक स्मारकों सहित पर्यटन सूचित के स्थलों का और अधिक अनुरक्षण ।

17. पर्यटन सेवाओं को चलाने के लिये प्रशिक्षण और अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों के एक संवर्ग के निर्माण के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास ।

4515. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कुछ भारतीय जहाज विदेशी पत्तनों की दृष्टि से बहुत बड़े हैं;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप भारतीय परिवहन क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी हांनि हुई है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख). कुछ बड़े भारतीय पोत छोटे विदेशी पत्तनों पर नहीं आ सकते हैं परन्तु भारत की परिवहन गर्भित शक्ति पर उस कारण से प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि छोटे भारतीय पोत ऐसे पत्तनों को छू सकते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

न्याय पालिका के ढांचे तथा कार्य पद्धति में परिवर्तनों के बारे में विचार करने हेतु आयोग की नियुक्ति

4516. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायपालिका के ढाँचे तथा कार्य पद्धति में परिवर्तनों के बारे में विचार करने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों को भेजे गये शिष्टमण्डल

4517. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **वर्ष** 1969 तथा 1970 में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों को कितने प्रतिनिधि मंडल तथा शिष्टमंडल भेजे गये;

(ख) उन प्रतिनिधिमंडलों तथा शिष्टमंडलों के सदस्य किन-किन राज्यों के थे; और

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) 1969 में दो और 1970 में एक ।

(ख) विदेशों में भेजे गये अधिकारी केन्द्रीय सरकार के थे ।

(ग) भारत में दिए गए सामान्य वेतनों के अलावा कल 101.47 रु० खर्च किए गए ।

पाकिस्तानी छात्रों को दिये गये वीजे

4518. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 तथा 1970 के दौरान पाकिस्तानी छात्रों को कितने वीजे प्रदान किये गये हैं;

(ख) गत वित्त वर्ष के दौरान भारत ने ऐसे पाकिस्तानी छात्रों पर कितनी राशि खर्च की है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भी बदले में भारतीय छात्रों को ऐसी सुविधाएं दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसने कितनी राशि खर्च की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई द्विपक्षीय व्यवस्था नहीं है, जिनके अधीन पाकिस्तानी विद्यार्थी अध्ययन हेतु भारत आ सकें अथवा भारतीय विद्यार्थी इसी प्रयोजन के लिये पाकिस्तान जा सकें। किन्तु अध्ययन के लिये 1969 और 1970 के दौरान व्यक्तिगत मामलों में अल्पकालीन वीजा को दीर्घकालीन वीजा में बदलने से सम्बन्धित सूचना विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करनी पड़ेगी और ऐसा करने के बाद उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

ईस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स के कर्मचारियों द्वारा शिवपुर इन्जीनियरिंग कालेज (पश्चिम बंगाल) के कर्मचारियों पर आक्रमण

4519. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अगस्त, 1970 को इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स के कुछ कर्मचारियों द्वारा शिवपुर बी० ई० कालेज, हावड़ा जिला, पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों पर कथित आक्रमण की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Memorandum in Regard to dacoit Menace in Madhya Pradesh

4520. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that she received a memorandum dated 6th August, 1970 from a member of Lok Sabha in which her attention has been drawn to the dacoit menace provailing in the northern District of Madhya Pradesh since long;

(b) if so, the details of the main demands contained in the said memorandum; and

(c) the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Departments of Eloctronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : Yes, Sir. The memorandum sought central help for solving the dacoit problem in dacoit-infested areas of Madhya Pradesh, Rajasthan and U.P. In that Memorandum the following main suggestions for solving this problem were made :—

(1) Provision of more arms and ammunition to anti-dacoity forces;

(2) Provision of better transport facilities to Police;

(3] Provision of Wireleses equipment;

(4) Air patrolling by helicopters in the dacoit-infested areas ;

(5) Provision of permanent residential accommodation to the Police forces operating in the dacoit-infested areas ;

(6) Check on the flow of arms and ammunition belonging to the Indian Army to the dacoits ;

(7) Deployment of Indian Army in the dacoit-infested areas ;

(c) Measures for meeting the dacoity menace in the dacoit-infested areas in the States are the concern of the State Governments who are charged with the maintenance of law and order. However, the Government of India are alive to the problem of dacoity prevailing in the Chambal Valley area covering some districts of Rajasthan. Madhya Pradesh and U.P. which have been chronically affected by this menace. This matter has been under examination of the Government of India and the State Governments concerned; and concerted measures for meeting the menace are being devised.

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित फूल (भस्म) जापान से भारत लाने के लिये सरकार द्वारा किये गये निर्णय का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम में से बहुत से लोगों के अनुसार नेताजी जीवित हैं। 8 सितम्बर 1961 को श्री इकबाल सिंह ने जो अब मंत्री हैं, इस सभा में एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। उस संकल्प में भी यही कहा गया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और बिपलवी महानायक रास बिहारी बसु के पवित्र फूल (भस्म) जापान से पूरे सैनिक सम्मान के साथ लाये जाने चाहिये और दिल्ली में उस भस्म को रखने के लिये उपयुक्त स्मारक बनाये जाने चाहिये। मैंने उस समय भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मुझे तो यह देखना है कि संकल्प उचित रूप में रखा गया है तो उसे स्वीकार कर लिया जाये और इसके पश्चात् उन्होंने संकल्प को स्वीकार कर लिया। अन्ततोगत्वा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमारी सहायता की और कहा कि "इसको वापिस लिया जाना चाहिये। उनके कहने पर वह संकल्प वापिस ले लिया गया। हाल ही में सरकार ने खोसला समिति नियुक्त की है जो इस बात की जांच करेगी कि क्या नेताजी की वास्तव में मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में इस ध्यान दिलाने वाले विषय पर चर्चा करना उचित नहीं है। देश के और उन लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो यह समझते हैं कि नेताजी अभी जीवित हैं, मैं आप से अनुरोध करता हूँ कि हमें इस जाँच के निष्कर्ष प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये। फिर इसी विवाद के कारण संसद के सैंट्रल हाल में नेताजी का चित्र नहीं लगाया गया है। इस सम्बन्ध में आप अपना विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाये जाने वाला प्रस्ताव कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। यह कोई संकल्प नहीं है जिस पर चर्चा की जा सके और उस सम्बन्ध में सभा कोई निर्णय सके। मेरे विचार में यह बात चीत है कि जब एक आयोग जाँच कर रहा है तो इस समाचार का उस जाँच पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैंने इसको स्वीकार इसीलिये किया है कि इससे सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकेगी।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या आप के विचार में इसकी भाषा सही है। "कथित फूल (भस्म) अच्छी अभिव्यक्ति नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या हम भाषा में अब सुधार कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने स्वयं इस भाषा का प्रयोग किया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : आप इस भाषा में सुधार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कोई निर्णय या चर्चा नहीं होने वाली है। मंत्री महोदय के वक्तब्य से कुछ जानकारी मिलेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं आपकी अनुमति से शब्दों में कुछ परिवर्तन करूंगा।

मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित फूल (भस्म) जापान से भारत लाने के लिये सरकार द्वारा किये गये निर्णय का समाचार।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्भवत: ए० फ० पी० की एक रिपोर्ट पर आधारित है जो 8 अगस्त 1970 को टोकियो से छपी थी और जिसे 9 अगस्त को भारत के बहुत से अखबारों ने भी छापा था।

इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने जो बात कही है, वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि एक फ्रेंच एजेन्सी ए० एफ० पी० ने 8 अगस्त को टोकियों से यह समा-

चार भेजा था। परन्तु इसके बाद सभी भारतीय समाचार-पत्रों में भी वह समाचार 20 अगस्त को प्रकासित हुआ है। यह समाचार भी टोकियो से 19 अगस्त को आया था।

Mr. Speaker : The hon'ble Minister has already replied to it what more is to be asked. He has considered the whole question and given this statement.

श्री समर गुह : जापान से पी० टी० आई० ने एक अन्य समाचार भी भेजा था जिसमें कहा गया है कि रनकोजी मंदिर में प्रार्थना की गई थी जिसमें इण्डियन मिशन के अधिकारियों ने भी भाग लिया था और यह भी कहा गया है कि वहाँ से फूल (भस्म) लाने के लिये तैयारी की जा रही है। यदि इस प्रकार के समाचार प्रकाशित होते रहे तो नेताजी जांच आयोग के कार्य पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाहनवाज़ समिति और खोसला आयोग के निर्देश-पदों में काफी अन्तर है। सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है परन्तु मुझे समझ नहीं आती कि जब संसद के 350 से अधिक सदस्यों ने यह मांग की थी तो सरकार ने 11 जुलाई के राज-पत्र में साधारण रूप से एक अधिसूचना जारी की थी और जांच आयोग के निर्देश-पदों के बारे में इस सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो न्यायाधीश खोसला को गवाहों, जानकारी आदि के लिये विज्ञापन न देना पड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उपर्युक्त अधिसूचना के बारे में विदेशों में हमारी सभी दूतावासों को अनुदेश दिये हैं जिससे उन्हें सभी जानकारी और दस्तावेज़ एकत्र करने में विभिन्न देशों का सहयोग मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ये बातें सम्बद्ध नहीं हैं। अब वह खोसला आयोग के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : न्यायाधीश जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में, जो पंजाब मुख्य न्यायालय के मुख्य सेवा निवृत्त न्यायाधीश हैं, एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि आयोग की नियुक्ति आदि के मामले का इस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स्वर्ण सिंह : इसीलिये मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिये आप कुछ कह सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : दूतावास के कर्मचारी मंदिर में प्रतिवर्ष होनेवाले समारोह में प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। यदि भारतीय कर्मचारी इस प्रकार के समारोह में भाग नहीं लेते तो जापान के लोग इस परम्परा का अपमान समझेंगे। इसका आयोग की जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : आज "नेशनल हेरल्ड में लिखा था कि सरकार ने टोकियो स्थित भारतीय दूतावास को अनुदेश दिये हैं कि आयोग की जांच के परिणाम प्राप्त होने तक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्म भारत में लाने के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही न की जाये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में इसमें आगे कोई कार्यवाही न करने के अनुदेश जारी किये गये हैं।

मुझे पता चला है कि 30 जुलाई को शाह नवाज खां द्वारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक

उच्च अधिकारी पर दबाव डाला गया था कि नये जांच आयोग द्वारा जांच कार्य समाप्त कर दिया जाये और एक पत्र टोकियो के अधिकारियों को भी लिखा गया है। क्या सरकार इस कार्यालय और, टोकियो स्थित हमारे दूतावास के बीच हुए पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखेगी ?

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इस प्रकार के विवादास्पद समाचारों का तत्काल खंडन करे।

श्री स्वर्ण सिंह : भस्म लाये जाने के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं। मैं इस समाचार का भी खण्डन करता हूँ कि विदेश कार्यालय के किसी व्यक्ति ने टोकियो को एक पत्र भेजा है कि भस्म यहां पर लाई जानी चाहिये। ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है क्योंकि खोसला आयोग 11 जुलाई 1970 को नियुक्त किया गया था और यह सरकार का निर्णय था।

Shri Ramdhan Singh (Rohtak) : I would like to say that Government should not take any further steps till the findings of the said commission are received. Could you kindly see that the supposed ashes, or whotever they are, are looked after properly ?

श्री स्वर्ण सिंह : खोसला आयोग का प्रतिवेदन मिल जाने पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारी जानकारी के अनुसार नेताजी सुभाष बोस की कही जाने वाली भस्म वहां एक मंदिर में पड़ी है। अतः वह जापान में एक धार्मिक स्थान पर सुरक्षित पड़ी है।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : गत सत्र में तथा उससे पहले सत्रों में सरकार ने बेरोज़गारी के बारे में भी आश्वासन दिया था कि वह इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करेंगे परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Under article 19 of the constitution we are free to assemble peacefully and without arms ; and to move freely throughout union territory of India. We had assembled in Mehrauli on 23rd in accordance with this article ..... I have already given in writting.

Mr. Speaker : That does not means that I have admitted the same.

Shri Shiv Chandra Jha : The constitution has been violated in an undemocratic manner (Interruptions).

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में न्यायालय निर्णय कर सकता है।

Shri Shiv Chandra Jha : We should be allowed when the constitution is violated. You are informed of arrest as well as release of a Member. Sincerely the treatment meted out to Member in the jail should also come under your jurisdiction.

Mr. Speaker : You have written certain things. In so far as legal position is concerned, you can go to the court of law.

Shri Shiv Chandra Jha : May I know whether you have been informed about my release or not ? We were kept in the jail like criminals. We were not provided medical facilities in accordance with the Jail Manual. We have reserted to hunger strike because the time for our remand was extended. The whole thing was unconstituional.

Shii Hardayal Devgun (Delhi East) : The law and order situation has deteriorated in Delhi. There have been 10 dacoities in 15 days. One dacoity has been commited to-day itself and I request the Government to give a statement thereon.

Mr. Speaker : The hon'ble Member may resume his seat now.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्ष 1968-69 के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई देखिये** संख्या एल० टी०—4086/70]

विमान (संशोधन) नियम, 1970

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं विमान अधिनियम 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत विमान (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 अप्रेल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 594 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखती हूँ। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—4087/70]

सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं चौथी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) अनुपूरक विवरण संख्या 5 और 6	...	दसवां सत्र, 1970
(2) अनुपूरक विवरण संख्या 7	...	नवां सत्र, 1969
(3) अनुपूरक विवरण संख्या 9	...	आठवां सत्र, 1969
(4) अनुपूरक विवरण संख्या 19	...	सातवां सत्र, 1969
(5) अनुपूरक विवरण संख्या 14	...	छठा सत्र, 1968
(6) अनुपूरक विवरण संख्या 21	...	पांचवां सत्र, 1968
(7) अनुपूरक विवरण संख्या 27	...	चौथा सत्र, 1968
(8) अनुपूरक विवरण संख्या 21	...	तीसरा सत्र, 1967

[**ग्रंथालय में रखे गये देखिये** संख्या एल० टी०—4088/70]।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियम, 1970

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 4089/70]

कांडला पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत, वर्ष 1968-69 के लिए कांडला पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल. टी.—4090/70]

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

कार्यवाही साराँश

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई 65 वीं से 67 वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

———

राज्य-सभा से संदेश

MESSEGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है कि लोक सभा द्वारा 25 अगस्त, 1970 को पास किये गये पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

———

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

नवां प्रतिवेदन

श्री अंबाजागन (तिरुचेगाडे) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का 9 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I would like to point out that hon'ble Minister, while answering my questions, had assured that Rs. 500/- will be given per family to the dependants of those persons who were killed in the riots which took place in Heavy Engineering Corporation, Ranchi but this compensation has not been paid. This is clear vialation of the assurace given by the hon'ble Minister and I want to say.....

अध्यक्ष महोदय : यह सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन है। माननीय सदस्य ने, जो विरोधी पक्ष के हैं, अभी अभी यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा है और आप मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप को उपयुक्त नोटिस देना चाहिये।

———

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1968-69

DEMANDS FOR EXESS GRANTS (GENERAL) 1968-69

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं वर्ष 1968—69 के लिये बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

———

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 31 अगस्त, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा—

(1) आज की कार्य सूची में से लिये गये सरकारी कार्य सम्बन्धी किसी विषय पर विचार।

(2) संविधान (24वां संशोधन) विधेयक, 1970 पर **1 तथा 2 सितम्बर**, 1970 को विचार तथा उसे पास करना।

(3) देश में तोड़ फोड़ तथा हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर **2 सितम्बर, 1970** को आगे चर्चा

(4) केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1970 को प्रवर समिति को भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे चर्चा

(5) जल दूषण निरोध विधेयक, 1970

(विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के प्रस्ताव पर चर्चा

(6) सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के बारे में आग चर्चा **31 अगस्त, 1970 को।**

(7) सोवियत प्रकाशन में भारत के गलत मानचित्र दिखाये जाने पर **चर्चा 3 सितम्बर, 1970** को।

(8) पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में मछली की सप्लाई में कमी के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा नियम 193 के अधीन चर्चा **3 सितम्बर, 1970** को।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मंत्री महोदय ने अभी घोषणा की है कि 1 और 2 सितम्बर को यह सभा संविधान (24 वां संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी। इस सत्र के अन्तिम दिन इतना महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। हम में से कुछ सदस्य जानना चाहेंगे कि इसके बाद कौन-सा कानून लाया जा रहा है। जो सरकार इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पास होने के बाद प्रस्तुत करेगी। यदि मंत्री महोदय के पास यह कानून तैयार नहीं है तो इस

का स्पष्ट अर्थ यह है कि सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। यदि सरकार इसके लिये तैयार नहीं है तो वे हमें बताये कि भूतपूर्व शासकों के साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और सरकार ने क्या सुझाव दिये हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं श्री नाथ पाई के तर्क का समर्थन करता हूँ। सरकार को सभा को बताना चाहिये कि वह क्या कार्यवाही करने वाली है, मैंने कई बार निवेदन किया है कि दिल्ली की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिये कोई समय निर्धारित किया जाना चाहिये। इनमें से एक समस्या कानून और व्यवस्था की है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I had raised this point in the Businees Advisory Committee and it was decided unanimously that this matter should be discussed. There should be no political discrimination.

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : अगले दिन डा० त्रिगुण सेन ने कहा था कि जब तक एकरूप विधेयक पास नहीं होता तब तक औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई कारगर उपाय नहीं किये जा सकते। परन्तु अब हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम में उसे सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक इस सत्र में पास किया जाना चाहिये।

श्री प्र० के० देव (कालाहोडी) : मैं श्री नाथपाई के विचारों का समर्थन करता हूँ कि संविधान के 24वें संशोधन के सम्बन्ध में की जाने वाली बाद की कार्यवाही को भी स्पष्ट किया जाना चाहिये। जब तक पूरी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया जाता तब तक इस सम्बन्ध में चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : निहित स्वार्थ बहुत शक्तिशाली है। एकरूप कानून बनाने के लिये वर्ष 1948 से प्रयत्न किये जा रहे हैं। तीसरी लोक सभा में इस विधेयक को पेश किया गया था। फिर यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया परन्तु इसके प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की जा सकी। चौथी लोक सभा ने इसे फिर संयुक्त प्रवर समिति को भेजा और उनका प्रतिवेदन कई महीनों से विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस सत्र में, चाहे रात्रि को देर तक बैठना पड़े, यह विधेयक अवश्य पास करवाया जाना चाहिये। यदि यह असम्भव है तो उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में यह विधेयक पास हो जायेगा।

टेक चन्द समिति का प्रतिवेदन गत पांच वर्षों से पड़ा है। इस सभा में उस पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। अतः इस पर अब चर्चा की जानी चाहिये अन्यथा मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में उस पर चर्चा की जायेगी।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यदि सरकार वास्तव में यह कानून बनाना चाहती है तो उन्हें अपना इरादा स्पष्ट करना चाहिये और हम इस विधेयक को पास करने के लिये शनिवार अथवा किसी अन्य दिन बैठने के लिये तैयार हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह सभा इस विधेयक को बिना चर्चा किये ही पास कर सकती है क्योंकि इस मामले को संयुक्त प्रवर

समिति के पास दो बार भेजा जा चुका है । हम इसे लगभग आधे घण्टे में पास करके राज्य सभा को भेज सकते हैं जिससे वे इस पर आगे विचार कर सकें ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैंदूर) : एकस्व विधेयक इसी सत्र में पास किया जाना चाहिये । गत सत्र की कार्य मन्त्रणा समिति में सरकार की ओर से वचन दिया गया था कि इस सत्र में योजना आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा सकेगी । इस विषय पर राज्य सभा में चर्चा की जा चुकी है । अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का हमें अवसर दें । इस कार्य के लिये पूरा समय दिया जाना चाहिये । अतः मन्त्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि आगामी सत्र के पहले सप्ताह में इस पर चर्चा की जाएगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि शनिवार को सभा की कार्यवाही न रखी जाये तो मेरे विचार में इन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री कंवरलाल गुप्त : एकस्व विधेयक पास करने के लिए हम शनिवार को बैठने के लिये तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अधिकांश सदस्य मध्यान्ह भोजन के लिये पहले ही जा चुके हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है । इस प्रयोजन के लिए हम रात को देर तक भी बैठ सकते हैं । आप सभा की राय पूछ लीजिये ।

उन पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में कई आश्वासन दिये गये हैं जो अभी तक मुअत्तल हैं और बर्खास्त किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में श्री यशवन्त राव चव्हाण अथवा श्री विद्याचरण शुक्ल ने गृह मन्त्रालय में जो निर्णय किये थे, वे सभा को बताये जाने चाहियें -

यदि सरकार निजी थैलियों सम्बन्धी विधेयक को 1 या 2 सितम्बर को पास करवाना चाहती है तो गिरफ्तार किये गये सदस्यों को पुलिस की निगरानी में यहाँ लाया जाना चाहिये जिससे वे मतदान कर सकें ।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं प्रजा समाजवादी दल की ओर से कहना चाहता हूँ कि एकस्व विधेयक कल या आगामी सप्ताह में पास किया जाना चाहिये । अन्यथा औषधियां न मिलने के परिणाम स्वरूप आगामी दो महीनों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाएगी ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I would like to say that Fourth Five Year Plan should be discussed in this House. This is an important item and if necessory, the session may be extended for another day or two. I may point out that some hon'ble members get their motions admitted who approach you in your Chamber but motions of other members are not accepted. In view of this I would suggest that ballot system should be introduced for this purpose.

श्री रा० छो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के चार प्रतिवेदन हैं । उन पर चर्चा कब शुरू की जाएगी और कब पूरी की जायेगी ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The Prime Minister had announced on 31st July that Himachal Pradesh would be a full fledged state. We had been expecting that a Bill would be introduced in Session but nothing has been done. We are prepared

sit on Saturday or late at tonight but the Bill should be passed in this session. The session may be extended, if necessory, for that purpose.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I would like to point out that Legislative Assembly of Bihar has passed a resolution to abolish Legislative Council. This matter should be discussed here.

Shri Janeshwar Misra (Phulpur) : It has been published in the press that some energetic people will use lathis to prevent other to grab the land of the Prime Minister. It is not proper. The Prime Minister should make a statement.

Shri Deorao Patil (Yeiotmal) : The discussion regarding setting up of Cotton Corporation could not be completed yesterday. I would like to say that it should be included in the agenda for the next week.

अध्यक्ष महोदय : सभा ने गत सप्ताह निर्णय किया था कि मध्याह्न भोजन का अवकाश समाप्त नहीं किया जायेगा। वह निर्णय अभी है और उसमें एकदम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैंने कहा था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय में से तीन घण्टे का समय निकाला जा सकता है। श्री सोनावने तथा कुछ अन्य सदस्य इस बात पर सहमत नहीं हुए। अतः यदि चर्चा शीघ्र समाप्त हो गई तो कुछ समय बच जाएगा।

श्री रघुरामैया : जब हमने सभा को शनिवार को बैठने के लिए कहा था तब हमारे मन में एकस्व विधेयक ही था परन्तु सभा इस बात पर सहमत नहीं हुई। सरकार चाहती है कि यह विधेयक शीघ्र पास हो जाये। कल बैठकर इस पर चर्चा की जा सकती है। हम रात को देर तक बैठ कर भी इसे पास करवाने के लिये तैयार हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : एकस्व विधेयक पास करने के लिए मैं उनका समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री रघुरामैया : इस सम्बन्ध में मैं अन्य नेताओं के साथ भी विचार विमर्श करूंगा और फिर उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। श्री नाथ पाई, कांग्रेस (ओ०) और स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों के विचार मैं प्रधान मंत्री तक पहुँचा दूंगा।

दिल्ली से सम्बन्धित प्रस्तुत विषय पर चर्चा समाप्त होने के बाद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रतिवेदनों पर चर्चा जारी रहेगी।

यदि समय मिला तो हम चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। कार्य मन्त्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि इस पर यथासम्भव शीघ्र चर्चा की जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार नियम स्थगित करने के लिए पांच बजे प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसको अभी रहने दीजिए।

उड़ीसा में हरिजनों की हत्या के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING KILLING OF HARIJANS IN ORISSA

अध्यक्ष महोदय : आप इसको सभा पटल पर रख सकते हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं विवरण सभापटल पर रखता हूँ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पैंतीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए। / Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं कार्य सूची के मद 14 के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको निपटाया जा चुका है। अब हम पद 15 पर हैं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I oppose this Bill. It has been stated in Rule 19 B of the Rules of Procedure that " No Bill that be included for introduction in the list of busisens for a day until after copies thereof have been made available for the use of members for at atleast two days before the day on which the Bill is proposed to be introduced". In this connection, I may state that I have first received the copy. Government want to move this Bill huriedly. May I know whether they have given the reason as to why they want to move this Bill so huriedly ?

Secondly the objects and reasons are also not very clear. There does not seem to be any social necessity for bringing farward this Bill. The Government should clarify the position in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या विधेयक को दो दिन पूर्व परिचालित नहीं किया गया था। इसका लाया जाना आवश्यक है अथवा नहीं यह निर्णय करना सभा का कार्य है। यह बात स्पष्टरूप से बताई गई है कि विधेयक को 25 तारीख को परिचालित किया गया था। अब प्रश्न यह है।

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूँ ।

दिल्ली विश्वविद्यालय [संशोधन] अध्यादेश तथा दिल्ली विश्वविद्यालय [संशोधन] विधेयक के बारे में सांविधिक संकलल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE AND DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : It was not proper on the part of the Government to issue ordering at a time when the House was reveawed to meet. Therefore my objection is technical.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I rise on a point of order. The name of the university is "University of Delhi" not Delhi University. There are so many other short comings in the Bill. The discussion on the Bill shold be held only after removing their shortcomings.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : दिल्ली विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम की धारा एक में यह दिया गया है

"इस अधिनियम को दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम कहा जायेगा :

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह ठीक है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I welcome the new provisions whereby private students will also be able to appear in the university examinations. The Government have also admitted in this Bill that these are unable to give admission in the regular colleges to these students who secured less then forty percent marks. That is why they have made a provision to the effect that students can appear privately. In this connection of may also state that there is no such condition in the colleges located at Gaziabad. Several people encouraged by this ordinance have opened private colleges on commercial basis. They lack even basic amenities ? I would request the hon. Minister to frame some rules and regulations for these private institutions also. The Government have failed in its responsibility of providing education to the people. I will request the Government to allocate more funds in the Fourth Plan. So that more colleges could be opened. About thirty thousands students are going to Ghaziabad, Sonepat and Rohtak daily for their education. The educational institutions open there at 6 O'clock in the morning and close at about 7.30. Such an arrangement can be made here are alternative arrangement has been made for the students who secure less than forty percent marks and they fail to get admission in the regular colleges. Something should be done for these students also otherwise they will indulge in anti-social activities.

Thirdly I want to suggest that there should be uniformity in regard to admissions throughout India. At present there are different conditions in different universities in regard to admissions. The conditions in Delhi University in regard to admissions are more strict as compared to other universities. This discremination should be done away with. Proper planning should be made in this regard, so that maximum students could get admission in colleges in Delhi and the colleges could be accommodated in good

buildings. In colleges proper facilities should be provided for laboratories, libraries and other such things.

At present there are sixty thousand students in the university of Delhi. In this connection I want to suggest that if the Government is interested in maintaining discipline amongst the students it should have two universities instead of the present one. According to the university rules there should be hostel accommodation for about twelve thousand students but at present only fifteen hundred students, including teacher are accommodated in the university hostels. The number of hostels, therefore be increased. The ten students who solved their question papers in Hindi have been declared unsuccessful.

These students have been declared as unsuccessful only because they solved their papers in Hindi.

The number of naxalities is on the increase in Delhi University. I support the action of Vice-chancellor of dealing with such students firmly but I smell that he is discreminating amongst the students that type of attitute is not good, The Vice-chancellor took no action for stopping the sale of naxalite literature in this coridor of the building of Faculty of Arts. I would therefore say that he is sympathising with the Communist indirectly. I condemn this policy. I would request that the action taken against the students should be withdrawn.

With these words I want to move my censure motion. I move :

"that this House disapproves of the Delhi University (Amendment) ordinance, 1970 (ordinance No. 4 of (1970) promulgated by the President on the 20th June, 1970."

अध्यक्ष महोदय : तीन बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करनी है, माननीय मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं एवं भाषण कर सकते हैं।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं प्रस्ताव करता हूँ। "कि दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

मैं अपने से पहले भाषण करने वाले माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अगले अवसर पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CUNSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 163 का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I move

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

रेल पटरी की समीपस्थ भूमि का उपयोग विधेयक, 1970

UTILISATION OF LAND ADJOINING RAILWAY TRADE BILL, 1970

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I move

"that leave be granted to introduce a Bill to provide for the utilisation of land adjoining railway trade on both sides for agricultural purposes."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेल पटरी के दोनों ओर की समीपस्थ भूमि का खेती-बाड़ी के लिए उपयोग करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Raghuvir Singh Shastri : I introduce the Bill.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1970

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL, 1970

(धारा 488 का संशोधन)

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I move

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the code of criminal Procedure, 1898."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Raghuvir Singh Shastri : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(तृतीय अनुसूचीत का संशोधन)

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I move

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

श्री बि० प्र० मण्डल (मधेपुरा) : मैं इसका विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह इसका विरोध करना चाहते थे तो नियमों के अन्तर्गत उन्हें लिखित रूप में सूचना देनी चाहिए थी। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Shiv Chandra Jha : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 74 का संशोधन)

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : I move

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

संसद सदस्यों के विधायी प्रस्ताव विधेयक 1970

MEMBERS OF PARLIAMENT LAGISLATIVE PROPOSALS BILL, 1970

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I move

"That leave be granted to introduce a Bill to regulate the procedure of early consideration and passage of legislative proposals of Members of Parliament."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के विधायी प्रस्तावों पर शीघ्र विचार करने तथा उन्हें पास करने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमती दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Raghuvir Singh Shastri : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(नये अनुच्छेद 16 क का जोड़ा जाना)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री नाथ पाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सूरज भान द्वारा प्रस्तुत भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा ।

Shri Yashwant Singh Kushwah (Bhind) : I may also be permitted to move my Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अवस्था अब गुजर चुकी है । मैं आपको बाद में अवसर प्रदान करूंगा ।

Shri Jashwant Singh Kushwah : I went outsite for a moment otherwise I was present in the house at the time. I request him to permit me to move my motion.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन)

Shri Yashwant Singh Kushwah : I move

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Yashwant Singh Kushwah : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.

(अनुच्छेद 330 तथा 332 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान द्वारा 31 जुलाई 1970 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाये।

Shri Mohlau Prashad (Baurgaon) : I oppose it.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और मुझे आशा है कि अनेक सदस्य इसका समर्थन करेंगे। सदस्यों को सूचना देने के पश्चात इसके लिए समय निश्चित कर दिया जाना चाहिये ताकि इस विधेयक को अपेक्षित समर्थन प्राप्त हो सके। अतः इस पर मतदान आज नहीं होना चाहिए।

श्री सोम चन्द सोलंकी (गांधीनगर) : मैं श्री मूर्ति का ममर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा जिस प्रकार चाहे निर्णय कर सकती है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : As shri Rammurti has stated it is very importent Bill. Requisite majority is required to pass this Bill. I therefore suggest that sufficient voters should be given to the hon. Members. I beg to move :

"That discussion on Shri Suraj Bhan's Bill further to amend the constitution be extended by another three hours."

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के समय को तीन घण्टे और बढ़ाने का प्रस्ताव है। यदि सभा की ऐसी इच्छा हो तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : We oppose this move. How can you say that house has agreed to it.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता का प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर चर्चा के समय को और तीन घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय परन्तु श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इसका विरोध किया है। मैं इसको सभा की अनुमति के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है :

"कि संविधान में और संशोधन करने बाले विधेयक पर, जिसे श्री सूरजभान द्वारा पेश किया गया था, चर्चा के समय को तीन घण्टे और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सिद्दय्या (चामराजनगर) : इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों को 9 व अनुसूचित आदिम जातियों को 10 और स्थान प्राप्त हो जायेंगे। विभिन्न

राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों को छः तथा अनुसूचित आदिम जातियों को छः अथवा सात अतिरिक्त स्थान प्राप्त होंगे ।

आसाम के स्वायत्तशासी जिलों के मामले में 'इससे कम नहीं' शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 332(4) में विद्यमान हैं । अतः इनको गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक हैं ।

[श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या लगभग 90 लाख है और संविधान में उनके लिए 25 स्थान रखे गये हैं । वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस मामले में अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय किया गया है । संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या क्रमशः 12 लाख तथा 11.5 लाख है । इस प्रकार इन दोनों जातियों को सात स्थान मिलने चाहिए । परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों को चार तथा अनुसूचित जातियों को केवल दो स्थान ही दिये गये हैं । एक स्थान अन्य जातियों द्वारा हथिया लिया गया है । स्थानों के आवंटन में भी कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । लक्कदीव, मीनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपों की जनसंख्या 24,000 है और उनके लिए एक स्थान रक्षित है, परन्तु पांडिचेरी जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 57,000 है एक भी स्थान रक्षित नहीं किया गया है । इसी प्रकार त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,90,725 है परन्तु, वहां पर भी कोई स्थान रक्षित नहीं किया गया है । यही स्थिति गोवा, दमन, दीव तथा मनीपुर की है । यह कहना निराधार है कि यदि इन क्षेत्रों के स्थान अनुसूचित जातियों के लिए रक्षित कर दिये गये तो लोकसभा में अन्य जातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा । यह तर्क भी दिया जा सकता है कि कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग सामान्य स्थानों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं अतः इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । 1960 से पूर्व ऐसी व्यवस्था थी परन्तु अब दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । समूचे देश से केवल आसाम में ही अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति सामान्य स्थान प्राप्त कर सका है । आसाम को छोड़ अन्य कहीं भी अनुसूचित जातियों का कोई व्यक्ति सामान्य स्थान प्राप्त नहीं कर सका है । गत आम चुनावों में कांग्रेस ने भी संजीवैया को करनूल जिले में एक सामान्य स्थान से चुनाव लड़ाया था । परन्तु वह भी चुनाव हार गये थे हालांकि वह उस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार रक्षित स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकते । अतः इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या कुछ हद तक बढ़ जाएगी । मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश वक्ताओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है । इसका सभा के सभी वर्गों द्वारा समर्थन किया गया है । अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार स्वयं इस आशय का विधेयक लाये और उसे पास कराये ।

Shri Atam Das (Morena) : I can quote many cases where non-Scheduled Caste

Students have got themselves admitted in Medical Colleges by unfairmeans. All these things should be looked into and Government should take steps to check such things. A separate department should be established for uplift of the Harijans as has been done in case of refujees. Industries should be established in backward areas such as Sopur and Vijaypur where the majority of population is of Adivasis. No Plan has been formulated for ths uplift of these people.

Secondly, I want to suggest that Scheduled Castes and Scheduled tribes should be taken with services in accordance with their population. Only Scheduled Castes and Scheduled tribes candidates should be appointed on the reserved seats.

Special police protection should be provided to the Scheduled Castes and Scheduled tribes of my area because they are harassed by dacoits as well as by police. The farmers who are about eighty percent should be given land so that they could improve their economic condition. As these people are illiterate they do not understand the meaning of society and they also do not know how to form society and desire benefit thereby. I would suggest that some special law may be enacted for them so that they may be benefitted.

The big mill owners are not appointing the Harijans in their mills and factories. Such exploitation should be stopped.

Shri Rameshwar Prasad Singh (Chapra) : I rise on apoint of order. Yesterday an hon. Member had said that son of Shri Bahuguna, has been appointed as solicitor by the Railways.

Mr. Chairman : There is no point of order in it. Please sit down.

श्री सोनावने (वेंडरपुर) : यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए मैं श्री सूरज भान को धन्यवाद देता हूँ। इस सभा को इस विधेयक को प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए और इसे पास कर देना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों को यह शंका है कि इस विधेयक के पास हो जाने से सामान्य पूल से अनेक स्थान निकल जायेंगे। परन्तु मेरे विचार में ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे विचार में कुछ राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में बहुत कम स्थान इससे अनुसूचित जातियों को मिलेंगे। विधेयक का आशय अनुछेद 330 के उप-खण्ड (2) और अनुच्छेद 332 के उप-खण्ड (3) में जितना निकट हो सकें शब्दों को निकालना है। अतः इन शब्दों को निकालने में कहीं कहीं अनुसूचित जातियों को स्थान प्राप्त होंगे। परन्तु हो सकता है कि गणना में ऐसा बिल्कुल भी न हो। अतः माननीय सदस्यों की शंका निराधार है कि इस विधेयक के पास हो जाने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बहुत अधिक स्थान रक्षित करने पड़ेंगे।

दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया है। इससे अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों का बलिदान समझा जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया जा रहा है कि जिन संघ राज्य क्षेत्रों में लोक सभा के केवल दो स्थान हैं यदि उनको रक्षित कर दिया जाता है तो अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकेगा। क्या अनुसूचित जातियों के लोग उनका प्रतिनिधित्व करने के समर्थ नहीं हैं ? अतः हमें अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व करने के उनके अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। हमें अपने प्रतिनिधियों में, चाहे वे अनुसूचित जातियों के हैं अथवा अन्य जातियों के, पूरा विश्वास है। अतः इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अन्य जातियों व प्रतिनिधियों में, जो कि उनके चुनाव क्षेत्र से चुनकर आते हैं, पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस विधेयक से अन्डमान निकोबार द्वीपों में रहने वाली अनु-

को बहुत सहायता मिलेगी । अतः मैं महसूस करता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों विधेयक का समर्थन करना चाहिए ।

सभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग 85 सदस्य राज्य सभा में केवल चार अथवा पांच स्थान है जबकि हम आशा करते हैं कि इन 40 से 45 होनी चाहिए ।

बात राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है कि वे अनुसूचित जातियों तथा आदिम कितने सदस्य वहां पर भेजते हैं । सांविधिक उपलब्ध के अभाव के कारण इन जातियों पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है । मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों को इस से मिलने वाले मामूली लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

शायद इस बात के लिए तैयार नहीं है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति सामान्य से चुनाव लड़े । इस बारे में श्री संजीवैय्या का उदाहरण दिया जा चुका है । वह के स्थान से चुनाव लड़े थे परन्तु हार गये थे हालांकि वह उस राज्य के मुख्य मंत्री अभी तक ऐसी स्थिति बनी हुई है । यह सच है कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं को गति बहुत धीमी है । इसको तेज करने के लिए सभी को सहायता करनी चाहिए । जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

अनुरोध करूंगा कि सभी सदस्यों को इस विधेयक को पास करने में सहायता देनी चा

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Very simple demands have been made in thi and I would request that we should accept them. The hon. Prime Minister sh ve accepted this Bill without any discussion and have made the necessary amendments to the constitution. One Harijan or Adivasi is biological unfit for any post whatsoever might it might be. This old practices should be done away with.

Mahatma Gandhi and Dr. Ram Manohar Lohia with the lists of the uplift of Harijans during the independence struggle. Dr. Ram Manohar Lohia wanted sixty percent seats for the Harijans.

We could not do away with the discremination as we fail to bring industrialization in our country on socialistic pattern. Instead we have adopted industrialization capitalistic pattern. However we have failed to clean politics. We are running our policies on certism. Therefore we could not make much headway in the matter of uplift of Harijans. In my view this Bill will not make solve the necessary purpose. Basic charges have to be made in the minds of people and we have to reconstruct our social pattern if we want to uplift the Harijans.

I support the Bill as demand made in it is not too high.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : श्री सूरजभान द्वारा पेश किये गये इस विधेयक का हमारे दल ने सैद्धान्तिक रूप से समर्थन किया है । आज आवश्यक बहुमत न होने के कारण उसे मतदान के लिये नहीं रखा जा सकता । यह नहीं सोचना चाहिये, क्योंकि इस पर चर्चा की जा रही है तो हम इसे पारित नहीं करा सकते । ... व्यवधान

विचार करने की बात यह है कि यदि यह विधेयक जैसे का तैसा पारित हो जाता है तो इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कहां तक सहायता मिलेगी। एक समय ऐसा सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार के विधेयक से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। यह भी कहा गया था कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो कुछ क्षेत्रों में इन जातियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा ही नहीं। इन दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हुए हमें यह देखना है कि संसद तथा राज्यविधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किन सिद्धान्तों पर स्वीकार किया गया था। हमें लोकतांत्रिक-शासन प्रणाली तथा लोकतांत्रिक जीवन यापन में विश्वास है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन जातियों को विधानसभा, कार्य पालिका तथा प्रशासन में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय। संविधान में इन जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। इनमें कुछ कमी भी रह गई है और वह कमी यह है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाय। यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होना चाहिये वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो पाता है। इस विधेयक का उद्देश्य इसी कमी को पूरा करना है।

इस विधेयक के पारित होने के पश्चात परिणाम क्या निकलेंगे इस पर बाद में विचार किया जायगा। इस समय हमें केवल विधेयक पर ही बल देना है क्योंकि आगामी वर्ष से जन-गणना आरम्भ हो जायगी। हमारे देश में जनगणना भी एक राजनैतिक मामला बन गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या की गणना, उचित रूप में नहीं की जाती है, उनकी संख्या वास्तविक से भी कम दिखाई जाती है।

1919 के बाद से जन गणना एक राजनैतिक मामला बन गया। 1931 में हमारे यहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की एक विशिष्ट संख्या थी किन्तु प्रत्येक जन-गणना के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातितों की संख्या में कमी की गई है। इसलिये यह कहना पड़ता है कि जनगणना एक राजनैतिक मामला बन गया है।

इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूँ। जनगणना करते समय जनगणना आयुक्त अपने मर्मचारियों को यह निदेश दें कि वे प्रपत्र में धर्म और जाति के स्तम्भ शामिल करें ताकि इन लोगों की संख्या का सही पता चल सके।

सैद्धान्तिक रूप में आरक्षण का अपना इतिहास है। सर्व प्रथम, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी परन्तु महात्मा गांधी की इच्छा के अनुकूल इस मांग को छोड़ दिया गया इसके पश्चात संविधान बनाते समय हमने द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धान्त स्वीकार किया था ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और सामान्य समुदायों के एक दूसरे की सहायता से लोक-सभा या राज्य विधान मंडलों में सामान्य जाति तथा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों सब को प्रतिनिधित्व मिल सके।

परन्तु 1957 में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन के समय एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इसका महत्व यह है कि सामान्य समुदाय और अनुसूचित-जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बीच समझौता होना चाहिये। यदि पूर्ण समझौता हो जाता, तो समूचे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर इतना अधिक अत्याचार नहीं किया जाता। अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामान्य स्थान दिये जाने चाहिये। यदि ऐसा किया जाता तो दोनों के बीच समझौता हो सकता है। इस सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को स्वयं प्रभावी ढंग से प्रयास करना चाहिये। इसका जनसाधारण पर स्वयं ही प्रभाव पड़ेगा और इस समुदाय पर कम अत्याचार होंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें अपने आपको सशक्त बनाना चाहिये ताकि वे उचित प्रतिनिधित्व कर सकें और जिसका देश व्यापी प्रभाव हो सके। यदि यहां पर प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तो लोग अधिक प्रभावित होंगे और अत्याचार भी कम होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अत्याचारों का उन्मूलन ही हो जायगा क्योंकि जब तक यह साम्प्रदायिक ढांचा और वर्ग भेद समाप्त नहीं हो जायगा तब तक ये अत्याचार किसी न किसी रूप में बने रहेंगे।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और दूसरे राजनैतिक दलों से आशा करता हूँ कि वे सामान्य जाति तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच समझौते के सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुये इस विधेयक को अपना हार्दिक समर्थन प्रदान करें।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : यदि इस बिधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है तो लोक सभा में स्थानों की कुल संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हो जायगी मोटे तौर पर गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लोक सभा में कुल संख्या 114 से बढ़कर 133 हो जायेगी।

इस प्रकार 19 स्थानों की वृद्धि से इन लोगों के भाग्य पर पर्याप्त रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह माँग करना इस समुदाय का यह न्यायसंगत अधिकार है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मेरे विचार से इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये यदि इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति उठाता है तो वह अनुचित तथा उपहास की बात होगी। एक ओर तो हम यह घोषणा करते हैं कि इन जातियों को सेवाओं आदि में कुछ छूट तथा विशेषाधिकार दिये गये हैं और दूसरी ओर जान बूझकर या अनजाने उन्हें संसद तथा राज्य विधानमंडलों में उचित तथा अधिकार संगत प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जाता है। अतः जन संख्या के अनुसार यदि इन जातियों को 19 स्थान और प्राप्त होते हैं तो ये स्थान इन्हें अवश्य ही दिये जाने चाहिये। मुझे विश्वास है सरकार इस से सहमत होगी।

केन्द्र में समाज कल्याण मंत्रालय अधिकांशतः प्रचार का ही एक साधन है जिसका उपयोग निर्वाचन के उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। इस विभाग को जितना नियतन किया

जाता है वह इस के अन्तर्गत वैसे अनेकों विभागों के प्रशासनिक खर्चों को ही पूरा कर सकता है। सरकार को इस विषय पर गम्भीर रूप से सोचना चाहिये नियतन में वृद्धि करनी चाहिये तथा अस्पृश्यता निवारण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे इन पिछड़े हुए लोगों का कल्याण हो सके।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि सदस्य जो यहाँ भाषण करते हैं उनके मस्तिष्क में यह बात घर कर गई है कि हम इसे अपना अधिकार कह कर नही मांग सकते बल्कि ऊँची जातियों के सम्मुख अपनी एक माँग रख सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे मस्तिष्क से निकालने तथा देश से उन्मूल करने का हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे इस देश में रोजगार तथा बेरोजगारी छोटे तथा बड़े पदों की अनेकों समस्यायें हैं विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय को पददलित समुदाय की अपेक्षा अधिक लाभ तथा सुविधायें प्राप्त हैं और सर्वोच्च प्रशासनिक व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से इन लागों में अरुचि है। इस प्रकार का वातावरण समस्त देश में व्याप्त है। केन्द्र तथा राज्यों में निदेशकों तथा सचिवों जैसे उच्चपदों पर हरिजनों की संख्या नगण्य है। निर्वाचन के समय बड़े बड़े वायदे किये जाते हैं। परन्तु पूरे नहीं किये जाते। उच्च पदों पर हरिजनों को नियुक्त न किये जाने का एकमात्र कारण यह दिया जाता है कि योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। संविधान निर्माताओं ने इस बात का विचार करने में बुद्धिमत्ता से कार्य किया कि कुछ समय के लिये एक संरक्षण की व्यवस्था करने से यह समस्या हल हो जायगी। इस समय की अवधि और बढ़ाई जा रही है। मुझे भय है कि इस गति से यह समस्या शताब्दियों तक भी नहीं सुलझाई जा सकती है। ये पददलित जातियाँ सदैव सोती ही नहीं रहेंगी एक न एक दिन विद्रोह की अग्नि भड़केगी सरकार को इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं और उनमें से लगभग 70 या 80 प्रतिशत अनपढ़ हैं। समाचार पत्रों आदि के द्वारा शहर के पढ़े लिखे लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुँच जाती है परन्तु ग्रामीण लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे इधर-उधर दौड़ते भागते हैं परन्तु उनकी आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के द्वारा अनेकों अपमानजनक बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। गांवों में रहने वाले लोगों को यह पता तक नहीं चल पाता है कि देश की क्या स्थिति चल रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

गत 23 वर्षों से ऊँची जाति के लोग पददलित जातियों का शोषण करते चले आ रहे हैं। इन जातियों को यह कह कर बहका दिया जाता है कि उनके स्थानों का आरक्षण किया गया है परन्तु वास्तव में उन्हें अधिकारों के अनुपात में स्थान नहीं दिये जाते हैं। सत्ताधारी दल इस विधेयक को स्वीकार करने का आश्वासन देता है परन्तु मंत्रियों ने इस सम्बन्ध में अभी कुछ भी नहीं कहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि अब हरिजनों और आदिवासियों में चेतना आने लगी है अतः कभी भी देश में स्थिति आपत्तिजनक हो सकती है। इसलिए सरकार को इन जातियों के कल्याण के बारे में गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए तथा पर्याप्त मात्रा में धन

राशि इन जातियों के कल्याण हेतु की जानी चाहिए। समाज कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा धन-राशि राज्यों को दी जानी चाहिए। इस धन-राशि की देखभाल के लिए संसद अपना केन्द्र को अधिकार रहना चाहिए। अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी सत्र में सभी सदस्यों द्वारा विधेयक का समर्थन किया जाएगा।

श्री दे० श्रमात (सुन्दरगढ़) : भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कराई गई इस पुस्तक में बताया गया है कि गत 20 वर्षों में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 275 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए 69 करोड़ रुपये की राशि और खर्च की गई है। परन्तु अब तक जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वे आशानुकूल नहीं हैं तथा बहुत असंतोषजनक हैं।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य के विधान मण्डलों में स्थान नहीं दिये गये हैं। इस राज्य में इन जातियों के लगभग 7.2 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। स्कूल तथा कालेजों में इन जातियों के छात्रों के प्रति सहानुभूति के लिए कोई स्थान नहीं है। इन जातियों के लोगों को दूसरी जातियों के समान स्तर पर लाने के लिए शिक्षा तथा आर्थिक सहायता बहुत ही आवश्यक है। यदि ये लोग शिक्षित हो जायेंगे तो अस्पृश्यता जैसी अपमानजनक बातों का स्वयं ही उन्मूलन हो जाएगा। इन लोगों को शिल्प आधारित तथा रोजगार प्रधान शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि, स्कूल छोड़ने के पश्चात रोजगार के लिए वे सरकार पर बोझ न बनें।

अब तक भारत की सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में यह संविधान के अनुच्छेद 355 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए वर्गभेदहीन समाज का उद्देश्य मिथ्या है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, उन्हें सरकारी सेवाओं में अधिक स्थान दिये जाने चाहिए। 6 जनवरी 1947 के 'यंग इण्डिया' में महात्मा गांधी ने भी लिखा था कि अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों को आवास तथा शिक्षा आदि की सुविधाएं दी जानी चाहियें। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को केवल शाब्दिक सहानुभूति दिखाई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

यद्यपि इन जातियों के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि वे सभी जनसेवाओं में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु जानबूझ कर इन जातियों के लोगों को सैनिक सेवाओं तथा प्रतिरक्षा सेवाओं में स्थान नहीं दिये जाते हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अब तक अपने सत्रह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। आयुक्त की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है उनकी सिफारिशें प्रतिवेदनों तक ही सीमित रह जाती हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में बहुत अधिक असंतोष फैल रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए 1963 में निदेशक पद बनाया गया था जिसके आधीन कई क्षेत्रीय तथा उप-निदेशक हैं। चूंकि कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के

हाथों में है इसलिए इन अधिकारियों के पास कोई कार्य नहीं है। अतः इतने बड़े संस्थान को एक महानिदेशक के अधीन रहने देना वांछनीय नहीं है। इसे समाप्त कर देना चाहिए और जो धन-राशि बचे उसे आदिवासियों के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने पर व्यय किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के अधीन एक बहुत बड़ा संस्थान है। आयुक्त का कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो संवैधानिक संरक्षण प्रदान किये गए हैं उनकी रक्षा करना है। पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए महानिदेशक का पद होने पर भी आयुक्त को निरीक्षण कार्य सौंपना अनावश्यक तथा तर्कहीन है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से केवल अपव्ययता बढ़ती है और वह धनराशि खर्च होती है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु नियत की जाती है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने बड़े बड़े प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। यह संस्था धर्मार्थ कम्पनी के रूप में पंजीकृत की गयी थी। धर्मार्थ कम्पनियों के विषय में मैं 30 अगस्त 1968 के 'नेशनल हैराल्ड' के एक समाचार की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है ये सभी धर्मार्थ कम्पनियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के खर्चे पर पलती हैं। ये ही असली शोषक हैं।

बहुत से स्वयं सेवी संगठन भी हरिजनोद्धार में लगे हुए हैं जैसे, हरिजन सेवक समाज, भारतीय दलित सेवक संघ, भारत सेवक समाज, ईश्वरसरन आश्रम। इनके विषय में पहले ही सदन में काफी चर्चा हो चुकी है।

आयुक्त के 17वें प्रतिवेदन में कहा गया है कि ये स्वयंसेवी संघ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं अतः आयुक्ताधीन बड़े संस्थान को समाप्त करके उनका कार्य इन संघों को दिया जाना चाहिए। महानिदेशक तथा उसके अधीन समस्त संस्थानों को समाप्त करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए धनराशि सीधे राज्य सरकारों को दी जानी चाहिए। इससे बहुत सी बचत हो सकती है जिससे भूमि को कृषि योग्य बनाकर आदिवासियों में बांटा जा सकता है।

ढेबर आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में बताया है कि क्योंझर जिले के चम्पुआ और आनन्दपुर सब-डिवीजन, फूलवानी जिले के बाउद सबडिवीजन, कलाहांडी (अब कोरापुर जिले के अन्तर्गत) के काशीपुर तालुक, सम्बलपुर जिले के दीगढ़ और कचीन्दा सबडिवीजन, पालाहाड़ा सबडिवीजन के जुआगिपिढ़ क्षेत्र और ढ़ेकनाल जिले के कामक्षनगर सबडिवीजन में सौरिरा क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाय। उड़ीसा में इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लोग सबसे अधिक हैं। अभी तक भी इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। सरकार को इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना चाहिए।

श्री बसुमतारी (कोकरानगर) : यह विधेयक सराहनीय है। इसमें संसद और राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में वृद्धि करके उनके साथ न्याय करने की मांग की गई है। सरकार द्वारा यह विधेयक स्वीकार किया जाना चाहिये।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्र में जाता है तो उसे बहुत सी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में एक तिहाई आदिवासियों को पांचवीं अनुसूची की घोषणा होने के कारण उस राज्य की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

कुछ सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि आयुक्त के तीन प्रतिवेदन और इलायपेरूमल समिति के प्रतिवेदन पर एक साथ तीन वर्ष पश्चात विचार किया गया है। सरकार की इस विषय में गम्भीरता स्पष्ट करने के लिए यह पर्याप्त है। जब इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है तो भावुकतापूर्ण भाषण देने से ही क्या होगा।

सरकारी सेवाओं में इन जातियों का प्रतिशत 2.11 तथा 3.11 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के लिए बताया गया है। अनुसूचित जनजातियों का प्रथम श्रेणी में प्रतिशत लगभग 0.11 है। यह स्थिति निराशाजनक है। इलाहाबाद, मद्रास और पंजाब में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ संस्थान खोले गये हैं। यही कारण है कि इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति कुछ अच्छी है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर सभी राज्यों में ऐसे केन्द्र खोलने चाहिए।

संसद की तरह राज्यों में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति होनी चाहिए। जहां तक मुझे पता है, केवल मैसूर में उस प्रकार की समिति है, शेष राज्यों में ऐसी समितियां होनी चाहिए जिससे इन जातियों की दशा में कुछ सुधार हो सकें। सूचियों के पुनरीक्षण का विधेयक यदि इस सत्र में नहीं लाया जा रहा है तो अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में अवश्य लाया जाना चाहिए। यदि यह विधेयक पास हो जाएगा और क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध हट जाएंगे तो इससे अनेक आदिवासियों को लाभ होगा। मंत्री महोदय को उस ओर ध्यान देकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सक्रिय पग उठाने चाहिए।

समाज कल्याण विभाग का एक मंत्रालय बनाया जाना चाहिये और उसका कार्यभार पूर्ण रूप से एक मंत्री के अधीन रहना चाहिए।

Shri Shiva Chandika Prasad (Jamshedpur): There are a large number of Harijans and Adivasis in my constituency. Many of them are educated. There are quite a good number of factories and school in my constituency. All the post of teachers for teaching upto VIII class and all the class IV services should be reserved for Harijans and Adivasis.

Secondly, the Government should provide more funds for providing schools, roads, wells, Tubwells, hospitals and minor and major irrigation facilities in harijans and Adivasi regions.

There are Grain Cotas for providing grains in my constituency and I like their number to be increased. Besides, there should be no lignor in the industrial areas.

There are certain areas in my constituency where there is no facility of primary education. The Government should open residential school for children of harijans and Adivasis in Jamshedpur and surrounding areas. These schools would produce good citizens who in the longrun would not fed that they are Harijans or Adivasis.

Shri Shiv Charan lal (Firozabad) : I Support the bill moved by shri Surajbhan. But I would like to condemn the negligence and apartly of the Government toward betterment of scheduled castes and scheduled tribes. Nothing substantial for ametiorating the lot of scheduled castes and scheduled tribes has been done by the Government. The Ministers have been giving assurances time and again but it is very much disgusting that the assurances have not so far been put to action. We have been witnessing for last 22 years a vast difference between the words and action. The assurances regarding anrelioration of there lot and eradication untouchability further aggrevate the situation. Scheduled castes and scheduled tribes students are expected to complete the competitive examinations aganist with the students who are well educated and coming from educated families. It is not possible for the students whose education has always been poor due to their illetrate surroundings. There are placees in our country where Harijans have no facility for disposing of the dead bodies. Such a state of affair is really shocking.

There are a number of institu ions and voluntary organisations which claim to be working for the welfare of Harijans. The grant allocations to these institutions for the welfare or these downholder are not being properly utilized. An enquiry in to the funds alloted be made and those found guilty should he severly deal with The money should be spent on Harijans welfare in rural areas and these people should not be deprived of their legitimate rights.

Shri Onkar lal Berwa (Kota) : During last 22 years the Congress Government has made a total allocations of Rs 275 crores for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. They might have given 150 crores to the welfare of these people and the rest of the amount they have... (interruptions)

The problems of Harijans and Adivasis are being discussed that is why the members of the Ruling Party are not found present here in this house. This shows their insincerity towards the welfare of these castes and communities. The presence on the Congress Benches is almost nil, only three or four members are present.

Harijans should be given representation in Panchayats on the basis of their population.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए । **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

As regards educational facilities, scheduled castes and scheduled tribes I want to know as to how many people from these casts have been granted scholarships to study abroad. The number is nil. There is no scheduled caste scheduled tribe officer in the Ministry of Information and broadcasting. This is the position and Government say that they are doing a lot for the welfare of scheduled castes and scheduled tribes. The people of these castes and tribes should be given every opportunity for higher posts in services and the able persons for these communities should also be considered for the international post of Prime minister and President.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri Suraj Bhan has brought forward this Constitution (Amendment) Bill.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

———

*दिल्ली के बड़े होटलों में भारतीयों के शराब पीने पर प्रतिबन्ध

RESTRICTION ON INDIANS TAKING WINE IN BIG HOTELS.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम डा० सुशीला नैयर द्वारा उठाए जाने वाले विषय पर आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करेंगे। वस्तुतः इस विषय पर 21 अगस्त, 1970 को चर्चा की जानी थी, किन्तु वह स्थगित करदी गई थी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए नियम 55(5) के अन्तर्गत अनुमति मांगी गई थी तथा जिन 4 माननीय सदस्यों के नाम सूची में पहले हैं, वे प्रस्तावक के अतिरिक्त, इस चर्चा में भाग ले सकेंगे और यह चर्चा आज की जाएगी।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : मैं 28 जुलाई, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 34, जिसका विषय होटल तथा बारों में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया था, के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर से उत्पन्न बातों पर यह चर्चा उठा रही हूँ। मंत्री महोदय ने उस दिन उत्तर दिया था कि कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा था कि होटलों में ठहरने वाले भारतीय मदिरा-पान कर सकते हैं किन्तु विदेशियों के अतिथियों के रूप में गए भारतीयों को केवल बारों में मदिरा पीने का अनुमति है। क्या यह भेदभाव नहीं है ? मेरे विचार से यह केवल भेदभाव ही नहीं है अपितु इस प्रक्रिया से भारतीय नागरिकों को अपने विदेशी मित्रों पर मदिरा के लिए आश्रित बनाया जाता है।

मैं मद्य-पान के सर्वथा विरुद्ध हूँ। मैं मंत्री महोदय के इस विचार से सहमत हूँ कि विदेशियों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं वे भारतीयों को नहीं दी जानी चाहिए परन्तु बढ़िया तरीका तो यह होगा कि होटल-बारों में विदेशियों और भारतीयों दोनों को शराब नहीं दी जानी चाहिए। कानून दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। यदि हम विदेशियों को सुविधाएं देना चाहते भी हैं तो उन्हें उनके अपने कमरे में शराब पीने की अनुमति दे सकते हैं। जहाँ तक किसी विशेष राज्य में नशा बन्दी या आंशिक नशाबन्दी का प्रश्न है, होटलों में ठहरने वालों का सम्बन्ध किसी अन्य देश से है जिसमें शराब पी जाती है तो उनको कमरों में शराब पीने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु होटलों में सभी को शराब पीने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब कोई भारतीय विदेश में जाता है तो वहाँ कुछ स्थान ऐसे अवश्य होते हैं जहाँ उसे भारत के अनुकूल वातावरण, भोजन तथा पेय पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार विदेशी अतिथियों को भी उनकी रुचि के अनुकूल सुविधाएं दी जा सकती हैं। परन्तु इसके लिए अलग स्थान बनाया जाना चाहिए जहाँ वे शराब पी सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि होटल-बारों को बन्द किया जाना चाहिए और विदेशी अतिथियों को उनके अपने कमरे में ही शराब पीने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार जिन राज्यों में नशाबन्दी है, वहां भी विदेशियों को शराब पीने की अनुमति दी जा सकती है। होटल-बारों में आप लोगों को शराब पीने की मनाही से सभी पर और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरे विचार में अच्छा होगा यदि अधिकारियों और आम जनता को शराब पीने की मनाही कर दी जाए।

---

* आधे घंटे की चर्चा

* Half an hour discussion.

भारत के 80 प्रतिशत से अधिक लोग शराब नहीं पीते और शराब पीने की आदत को अच्छा नहीं मानते हैं। यह सर्वविदित है कि किस प्रकार गांधी जी ने नशाबन्दी के लिए रचनात्मक कार्य किया।

मैं सदन को तथा माननीय मंत्री को सूचित करना चाहती हूँ कि बोट क्लब के पास 65 गांधी वादियों ने 21 अगस्त से हड़ताल कर रखी है। स्वयं यातना सहकर भी वे सरकार को यह अनुभव करा देना चाहते हैं कि संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों के रूप में नशाबन्दी को स्वीकार किया गया है और नशाबन्दी के सिद्धाँत को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

श्री आत्माराम भट्ट ने माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। परन्तु बड़े खेद की बात है कि वह पत्र स्कीकार नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री के नाम की डाक खोलने वाले कर्मचारियों का रवैया कितना रूखा है। यदि माननीय प्रधानमंत्री यह अनुभव करती हैं कि वह व्यक्ति इतने कष्ट क्यों उठा रहा है तो वह ऐसा उदासीन रवैया न अपनातीं जो उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति अपनाया हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 15 वर्ष विभिन्न जेलों में काटे हैं।

यदि सार्वजनिक रूप से होटलों में शराब पीने पर पाबन्दी लगा दी जाती है तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि शराब के प्रति लोगों की वृत्ति उदासीन हो जाएगी। यही नहीं यदि हम निर्धन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें उन्हें शराब पीने की बुराई से बचाना होगा। केवल श्रमिकों के वेतन बढ़ाने से या किसान द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भाव बढ़ाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अतिरिक्त पैसा प्राप्त होने से वह धन शराब के रूप में निर्धनों की जेबों से निकलकर अमीरों, पूंजीपतियों की जेबों में चला जाएगा। जब तक नशाबन्दी को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक समाजवाद का नारा लगाना बेकार है। अन्त में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगी कि वे होटल-बारों में सार्वजनिक रूप से शराब पीने की मनाही का कदम उठाएं। इससे भारतीयों तथा विदेशियों के बीच भेदभाव समाप्त होगा और भारतीय आत्मसम्मान और गरिमा का अनुभव करेंगे और यह महसूस करेंगे कि वे विदेशियों से किसी प्रकार कम नहीं हैं।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I am in favour of prohibition and I agree with the principle of Mahatma Gandhi that liquor is the root cause of all evils. But it is a matter of regret that use of liquor has increased.

It is very bad thing that on the same table foreigner is served liquor while an Indian is denied. It is nothing but an insult to Indians. In this way Government treats them as second grade citizens. We should treat Indian foreigner equally and any discrimination should not be done. May I know, after the implementation of the law of Prohibition, how many persons were arrested,prosecuted and punished ? I do not find any practicability in this law. In case there is any practicability, it may be clarified by the hon. Minister.

Shri Kakwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : The policy of Government regarding prohibition, is not, understandable on the one hand Government takes pride in name of the prohibition and on the other hand relaxation is being given to states. Government should declare whether they want to implement prohibition or not ?

It has been suggested by Dr. Sushila Nayar that liquor should be served only in rooms. But liuqor is a thing which is usually taken in company or meeting. So there should be no restriction about taking liquor at particular place. Tek Chand Committee recommended that Government should declare its policy regarding prohibition.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is not proper to do discrimination in hotels between Indian and Foreigner. If you serve liquor to foreigner, why you deprive Indian of this right ?

Beer, Bhang and liquor are intoxicating. Government should form a committee of doctors and social leaders and should decide whether taking Bhang comes within the purview of liquor. I would like to know whether Government are proposing to make a policy regarding ceiling of expenditure in hotels ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लोबो प्रभु अनुपस्थित हैं। श्री ओबराय का इस प्रश्न से घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि वह बड़े होटलों के मालिक हैं। उनका नाम बैनट में नहीं है। यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति न हो तो मैं उनको बोलने की अनुमति दूं।

श्री एम० एस० ओबराय (हजारीबाग) : शायद डा० सुशीला नैयर ने टेकचन्द समिति की सिफारिशों को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा है। न्यायाधिपति टेकचन्द ने सिफारिश की थी कि किसी भी हालत में शयन कक्षों में शराब सप्लाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कई बार महिलाएं भी शयन कक्षों में आमन्त्रित होती हैं। **(व्यवधान)** दिल्ली में शराब की खपत आगे से बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि लोगों को होटलों और रेस्तरां में शराब पीने की अनुमति नहीं होती और इसलिये वे शराब की दुकानों से इच्छानुसार शराब खरीदकर घरों में पीते हैं।

डा० सुशीला नैयर : यह बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एम० एस० ओबराय : घर में शराब के सेवन करने से बच्चों तथा पत्नियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और अब छात्रों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया है। डा० सुशीला नैयर तो कई वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, फिर उन्होंने दिल्ली में नशाबन्दी लागू क्यों नहीं करवाई।

डा० सुशीला नैयर : यद्यपि यह कार्य मेरे विभाग के अन्तर्गत नहीं था फिर भी मैं उसके लिए प्रयत्नशील रही और रहूँगी।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तैय्या) : माननीय सदस्यों ने नशाबन्दी पर अपने ढंग से चर्चा उठाई है। हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्वों में नशाबन्दी को प्रतिष्ठापित किया गया है। अब हमें नशाबन्दी को क्रियान्वित करना है। प्रारम्भ में जब संविधान बनाया गया उस समय राष्ट्र के नेताओं ने नशाबन्दी के प्रति काफी उत्साह दिखाया और कई राज्यों में उन्होंने नशाबन्दी लागू भी करवाई। यद्यपि राज्यों ने नशाबन्दी के प्रति अपनी नीति बदल दी है तथापि केन्द्रीय सरकार अब भी नशाबन्दी के पक्ष में है।

जहां तक भेद-भाव का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को इस बारे में गलतफहमी हो गई है। सरकार ने भेद-भाव की नीति कभी नहीं अपनाई। जब विदेशी भारत में अतिथि के रूप में आते हैं तो पर्यटन नीति को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उन्हें शराब पीने की सुविधाएं दी जाती हैं। यह प्रश्न कि क्या विदेशी भारतीयों को भी शराब पीने के लिए निमन्त्रित कर सकते हैं—

सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अनुमति दी है। (**व्यवधान**). इसी प्रकार यदि भारतीय विदेशियों को बड़े होटलों में निमन्त्रित करते हैं तो शराब पीने की सुविधा उन्हें दी जाती है। हमें नशाबन्दी के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति से बैचेन नहीं होना चाहिए क्योंकि शराब पीने की अनुमति तो केवल बड़े-बढ़े होटलों में दी जाती है। सच तो यह है कि होटलों से बाहर हमें नशाबन्दी का पालन करना चाहिए नशाबन्दी के प्रचार के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे, उनका उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो होटलों में ठहरते हैं और शराब पीते हैं।

जहां तक भेद-भाव का प्रश्न है, किसी भी प्रकार से भेद-भाव नहीं किया जाता है। यह मामला उच्चतम न्यालय में भी गया था और उसने यह निर्णय दिया कि कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। विदेशियों को जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं।

जहां तक नशाबन्दी के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का प्रश्न है, सरकार ने गत दस वर्षों में स्थानीय सरकारों को नशाबन्दी अपनाने की स्वतन्त्रता देने की नीति अपनाई है और राज्यों को नशाबन्दी लागू करने से जो हानि हुई है, उसका 50 प्रतिशत देने का कार्य शुरू किया है। मैं माननीय मन्त्रियों द्वारा दिए गए सुझावों का आदर करता हूं और हाल ही में होने वाली बैठक में उन सुझावों पर विचार किया जाएगा और यदि वे सुझाव व्यवहार्य हुए तो उन्हें अपना लिया जाएगा। सरकार की ओर से मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि यदि संविधान के राज्य-नीति के निदेशक तत्वों के अनुरूप नशाबन्दी को लागू किया जाएगा तो सरकार को बड़ी प्रसन्नता होगी।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

श्री उमानाथ (पुद्दू कोटै) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगाकि प्रातः जब माननीय मंत्री ने अगले सप्ताह के लिए सभा का कार्य घोषित किया था तो मैंने प्रस्ताव किया था कि पेटेंट विधेयक पर चर्चा की जाए और उसे पारित किया जाए।

एक माननीय सदस्य : आप प्रस्ताव पेश कीजिए।

श्री उमानाथ : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि शनिवार 29 अगस्त, 1970 को सभा की बैठक निश्चित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाए।"

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं पेटेंट विधेयक पेश किये जाने का विरोधी हूँ बल्कि इसलिए कि यह प्रस्ताव 5.15 सांय प्राप्त हुआ है। कल शनिवार है और इसदिन सभा नहीं बैठती है। यदि यह चर्चा कल की जाएगी तो मैं उसमें भाग लेने से वंचित रह जाउँगा क्योंकि मुझे पूना जाना है। अतः इस विषय पर सोमवार या मंगलवार को चर्चा की जानी चाहिए। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि हमें कल सभा में बैठने के लिए कहा जा रहा है जबकि कल सभा का कार्य-दिवस नहीं है।

श्री रंगा (आंध्र प्रदेश) : जब सदन द्वारा उसी सत्र में कोई निर्णय लिया जा चुका हो तो अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार वह विशिष्ट कारणों को छोड़कर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस मामले पर कि सदन शनिवार को बैठे या नहीं, 15 दिन पहले निर्णय किया जा चुका है। मैं समझ नहीं किन अच्छे या बुरे कारणों से सरकार शनिवार को यह विधेयक सदन में लाना चाहती है। पेटेंट विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि सरकार चाहती है कि इस विधेयक पर पूर्ण रूप से विचार किए जाने के बाद पारित किया जाए तो सरकार सत्र अवधि को दो या तीन के लिए क्यों नहीं बढ़ा देती ? पेटेंट विधेयक को देर से पेश करने के लिए सरकार उत्तरदायी है। पहले भी जब अन्य उद्देश्यों के लिये हमने सत्र की अवधि एक या दो दिन बढ़ाने की मांग की तो सरकार ने कहा कि मंत्री महोदय अन्य मामलों में व्यस्त हैं। अतः वे इस चर्चा में भाग लेने की स्थिति में नहीं हैं। अब सरकार शनिवार को विधेयक पारित करना चाहती है। यह अनुचित है। श्री मसानी, जो हमारे दल के अध्यक्ष और सदन में हमारे दल के उप-नेता हैं, भी संयुक्त समिति में थे और उन्होंने वहां महत्वपूर्ण कार्य किया था। हमने उन्हें अनुरोध किया था कि जब भी यह विधेयक चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत हो, उस समय आप हमारे प्रवक्ता बनें। जब कुछ दिन पहले यह निर्णय किया गया कि शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा नहीं होगी तो वे किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गये। अब यदि कल उस विधेयक पर चर्चा की जाती है तो श्री मसानी चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। इसी प्रकार कई अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। सरकार कहती है कि इस विधेयक को पारित किया ही जाना है। यदि ऐसी बात है तो क्या इस आवश्यक विधेयक पर इस प्रकार चर्चा करना क्या उचित है ? इससे तो सरकार की असमर्थता ही प्रकट होती है। यह एक अल्पसंख्यक सरकार है और सरकार वही करती है जो अल्पसंख्यक चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार विधेयक को अच्छे या बुरे, प्रजातांत्रिक अथवा अप्रजातांत्रिक ढंग से पारित करना चाहती है। क्या सरकार हमारे सुझावों पर विचार नहीं करेगी ? अतः मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय गत कई दिनों से दवाओं के मूल्य और उनकी उपलब्धि की स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। अतः स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पेटेन्ट विधेयक पर सभा स्थगित होने से पहले चर्चा कर ली जाए और विशेषकर तब जबकि मंत्री महोदय का यह कहना है कि जब तक पेटेन्ट विधेयक पारित नहीं हो जाता, वे प्रभावशाली कदम नहीं उठा सकते। यदि विधेयक पारित करने के लिए कल बैठने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, तो हम कल बैठने को तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि विधेयक पर विचार किया जाएगा और सभा स्थगित होने से पहले पारित किया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जब यह प्रश्न उठाया गया तो प्रायः सभी संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया। श्री रंगा का कहना है कि संयुक्त समिति के सदस्य श्री मसानी उपस्थित नहीं है इसलिए इस विधेयक पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। परन्तु मेरा कहना है कि श्री मसानी जैसे और भी महानुभाव यहां उपस्थित हैं। अतः पेटेन्ट विधेयक पर कल चर्चा होनी ही चाहिए और इसे पारित किया ही जाना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे सन्देह है कि सरकार मंत्रि-परिषद के संयुक्त उत्तरदायित्वों के सिद्धांत के आधार पर कर्तव्य पालन करती है कि नहीं। यदि करती है तो मंत्री महोदय बार बार यह क्यों चिल्लाते हैं कि जब तक विधेयक पारित नहीं होता, तब तक वे औषध नियंत्रण आदेश लागू नहीं कर सकते ? पता लगा है कि मुज़फ्फरपुर तथा अन्य क्षेत्रों में कई व्यक्तियों की मँहगी और जीवन बचाने वाली औषधियों के अभाव के कारण मृत्यु हो गयी। चोर बाजारी करने वाले व्यापारी दवाईयों को इकट्ठा कर लेते हैं और इसके बाद ऊँचे दामों पर बेचते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार अपने उत्तरदायित्व को समझे और बिना विलम्ब किये यह विधेयक पारित कर दे ताकि अनगिनत गरीबों की जान बच सके। साथ ही दवाओं के अभाव से पीड़ित निर्धन लोगों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए हमें शीघ्रतापूर्वक औषध नियंत्रण आदेश लागू करवाना चाहिए। अतः इस विधेयक पर कल चर्चा की जाए और इसे पारित किया जाए।

श्री रा० की० अमीन (ढंढ़का) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक प्रस्ताव पेश किया गया था कि 21 तारीख को अर्थात कल सभा होगी और यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था। अब वही प्रस्ताव पुनः सदन के समक्ष कैसे रखा जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, नियम संख्या 388 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य नियम के निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश कर सकता है। माननीय सदस्य ने नियम के निलम्बन का प्रस्ताव पेश किया है। अतः यह नियमानुसार है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा किए बिना, मतदान होना चाहिए। मैं समापन प्रस्ताव पेश करता हूँ। **(व्यवधान)**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : यह प्रस्ताव 6 बजे साँय पेश किया गया जबकि कई माननीय सदस्य दिल्ली से बाहर जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए अन्यथा कई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। कार्य मंत्रणा समिति ने पहले निर्णय किया था कि शनिवार को सभा नहीं होगी और सर्वसम्मति से भी यही निर्णय किया गया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि गत चार दिनों में ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है कि शनिवार को सभा बुलाने के लिए कहा जा रहा है। यदि सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए इतनी उत्सुक है तो उसे सत्र की अवधि बढ़ाकर 4 सितम्बर कर देनी चाहिए। यदि कल इस विधेयक पर चर्चा होती है तो इससे नियमों का उपहास ही होगा। **(व्यवधान)**

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मुझे खेद है कि श्री कुन्टे तथा अन्य माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति से हमें बड़ी असुविधा होगी। परन्तु हमारी असुविधा से भी ऊपर देश की जनता के हित हैं। ये बुर्जुआ लोग जनता को हानि पहुँचाकर लाभ कमा रहे हैं। अतः हमें अपनी असुविधा छोड़कर निर्धन लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः हमें कल बैठकर विधेयक को पारित करना चाहिए।

श्री एस० कण्डप्पन (मैदूर) : हर एक सदस्य की सुविधा असुविधा को ध्यान में रखकर कोई कार्यक्रम निश्चित करना असम्भव है। कार्य मन्त्रणा समिति ने निर्णय किया था कि शनिवार

को सभा बैठनी चाहिए। मैंने निर्णय के अनुसार अपना कार्यक्रम बना लिया। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कहा गया है कि सत्र की अवधि 4 तारीख तक बढ़ा दी जाए परन्तु कठिनाई यह है कि मुझे 4 तारीख को कहीं काम है। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित कर दूं? क्या इससे मुझे असुविधा नहीं होगी? अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर चर्चा किए बिना मतदान कराया जाए।

श्री एस० पी० राममूर्ति (शिवकाशी) : मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। मतदान कराया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेई (बलरामपुर) : यदि इस विधेयक पर कल विचार किया जाता है तो कब सदस्य संशोधन प्रस्तुत करेंगे, कब उन संशोधनों पर विचार किया जाएगा? यदि कल विधेयक पारित करना ही है, तो इसमें कठिनाई आ सकती है। फिर भी यदि कल विधेयक प्रस्तुत किया जाए तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : No doubt this is an important Bill and we should sit tomorrow and discuss it. But Fourth Five Year Plan is also an important matter. I want that we should sit on saturday and discuss it.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री बाजपेई ने जो संशोधनों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है, उसका क्या होगा?

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय किया था कि पेटेन्ट विधेयक पर 10 घण्टे चर्चा की जाएगी। क्या यह चर्चा कल समाप्त हो जाएगी अथवा उसे जारी रखा जाएगा?

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : यदि हम इस विधेयक पर बिना विचार किए पारित कर देंगे तो इससे इस विधेयक का महत्व कम हो जाएगा। यह विधेयक उच्चतर न्यायालय तक जा सकता है। सदन में भी विधेयक पर मत-वैभिन्नय हो सकता है। अतः कल विधेयक को पारित करना एक पूर्वोदहारण के सिवाय कुछ नहीं होगा।

श्री रणधीर सिंह : हम उच्चतर न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से नहीं डरते हैं। हम प्रभुसत्ता सम्पन्न हैं।

श्री क० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य धमकी दे रहे हैं कि यदि कल चर्चा पूरी नहीं की जाती तो वह इस विधेयक को उच्चतर न्यायालय में ले जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। देश का कोई भी नागरिक न्यायालय में जाने के लिए स्वतन्त्र है।

श्री कमल नयन बजाज : सदन में कहा गया है कि दवाओं की चोर बाजारी हो रही है और वे जनतो को सुलभ नहीं होती। अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक पर परी तरह विचार करने के बाद ही पारित किया जाए।

श्री एस० कन्डप्पन : शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा करने में क्या परेशानी है?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : पेटेंट विधेयक को पेश करने में असाधारण

विलम्ब किया गया है। यह विधेयक दो बार संसद में पेश किया जा चुका है और दो समितियां इस विधेयक पर विचार कर चुकी हैं तथा यह विधेयक तीन माननीय मंत्रियों के हाथों गुजर चुका है, फिर भी यह पारित नहीं किया गया। अतः अच्छा होगा यदि कल इस पर चर्चा की जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं समापन प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इस चर्चा की कोई सीमा होनी चाहिए।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं समापन प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री प्रेमचंद वर्मा और श्री शिवनारायण बोलेंगे और इसके बाद माननीय सदस्य बोलेंगे।

Shri Prem Chand verma (Hamirpur) ; Mr. Deputy Speaker, Sir, this bill has come before the House so many times but today when this question is raised by the opposition parties we are being blamed for not coming forward. I would like to say that the Congress party is prepared to get the Bill passed on Saturday. I would request that those hon. Members who do not want that bill be passed, should be ignored and decision should be made in a democratic way and voting should be held.

श्री शिव नारायण : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर 10 घंटे तक चर्चा की जानी चाहिए।

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मेरा कहना यह है कि 12 अगस्त की कार्य सूची में यह सब बातें दी गई हैं। अतः श्री रंगा और अन्य माननीय सदस्यों का यह कहना कि कल सभा बुलाने के लिए नोटिस नहीं दिया गया, गलत है। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, कई माननीय सदस्य पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर चुके हैं।

यह प्रश्न कि इस विधेयक पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया, इसका कारण समय-सारिणी है। कार्य मंत्रणा समिति ने जो समय-सारिणी प्रस्तुत की थी, वह सदद के निर्णयों के कारण रही न रह सकी। परन्तु सरकार इस मामले में बहुत चिन्तित है। मैं कई दिनों से सदन के विपक्षी दल से अनुरोध कर रहा था कि शनिवार को पेटेंट विधेयक पर चर्चा की जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने मेरा अनुरोध स्वीकर कर लिया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय संशोधन प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देंगे।

श्री रघुरामैया : यह बात सचिवालय और माननीय सदस्यों पर निर्भर करती है। हम इस बीच में नहीं पड़ेंगे। लेकिन विधेयक कल हर हालत में पारित होना चाहिए चाहे इसके लिए हमें आधी रात तक क्यों न बैठना पड़े।

बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि मुझे श्रीमती सुशीला नैयर और अन्य माननीय सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें लिखा है कि कल इस विधेयक पर चर्चा की जाए और इसे पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि शनिवार 24 अगस्त, 1970 को सभा की बैठक निश्चित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री उमा नाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 13 अगस्त, 1970 को किए गए अपने इस निर्णय का 'कि शनिवार, 29 अगस्त, 1970 को सभा की कोई बैठक नहीं होगी' विखंडन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13 अगस्त, 1970 को किये गए अपने इस निर्णय का 'कि शनिवार, 29 अगस्त, 1970 को सभा की कोई बैठक नहीं होगी' विखंडन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री उमानाथ : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पेटेन्ट विधेयक, 1967 पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने तथा उसको पास करने के लिए शनिवार 29 अगस्त, 1970 को भी बैठे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पेटेन्ट विधेयक, 1967 पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने तथा उसको पास करने के लिए शनिवार 29 अगस्त, 1970 को भी बैठे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात लोकसभा शनिवार, 29 अगस्त 1970/7 भाद्र 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock, on Saturday, 29th August 1970/Bhadra 7, 1892 (Saka)

———

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj Delhi-6.